Par. S. 17. II. 15. 52.
285

खंड २
संख्या १५

मंगलवार
२९ जुलाई, १९५२

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(First Session)

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:O:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग ३३०५—३३४६]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ३३४६—३४४२]

(मूल्य ४ आने)

530 PSD

लोक सभा

मंगलवार २९ जुलाई १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जापानी औद्योगिक शिष्टमंडल

*२१८०. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जापान सरकार ने १९५१-५२ में भारत को कोई औद्योगिक शिष्टमंडल भेजा था ; और

(ख) शिष्टमंडल भारत में कितने दिन रहा और उसने किस किस स्थान का दौरा किया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जापान सरकार द्वारा प्रेषित एक औद्योगिक शिष्टमंडल जिस में कतिपय अग्रगण्य जापानी औद्योगिक थे, मार्च १९५२ में भारत आया था ।

(ख) वह मंडल एक मास से अधिक काल तक भारत में रहा और उसने कई स्थानों का दौरा किया जिन में आगरा, मुंबई, मैसूर, बंगलौर, भद्रावती. मद्रास, सिंदरी, टाटानगर, चितरंजन, कलकत्ता, दामोदर घाटी आदि भी सम्मिलित हैं।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह औद्योगिक शिष्टमंडल एक विशेष शिष्टमंडल था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस अर्थ में था कि शिष्टमंडल भारत के औद्योगिक विकास में सहयोग देने की संभावनाओं का पता लगाना चाहता था और भारत से जापान को अधिक माल मंगवाने की संभावना का भी पता लगाना चाहता था ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या उन्होंने कोई प्रतिवेदन तैयार किया और क्या हमें उसकी कोई प्रतिलिपि मिली ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : : नहीं, श्रीमान् उन्होंने हमें कोई प्रतिवेदन पेश नहीं किया ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम् : क्या यह सत्य है कि शिष्टमंडल के आने के फलस्वरूप एक जापानी प्रतिष्ठान जमशेदपुर में टाटा लोहा तथा इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण में सहायता देने के लिये सहमत हो गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कुछ अस्पष्ट सुझाव थे परन्तु कोई भी सफल नहीं हुआ ।

श्री बंसल : क्या अपिधम लोहे और इस्पात के विकास के विषय में इस शिष्ट-मंडल से कोई बात हुई थी, यदि हुई थी तो वह वार्ता किस प्रक्रम पर है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैंने कहा है, कुछ अस्पष्ट बातें हुई थीं और तत्पश्चात् हम ने जापानस्थित अपने राजदूत के द्वारा जापानी सहयोग से भारत में अपिधम लोहे के विकास की संभावना

के विषय में कुछ पत्र-व्यवहार किया था, परन्तु उसका अभी कोई मूर्तरूप नहीं बना है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह शिष्टमंडल भारत सरकार के आमंत्रण पर भारत आया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता कि कोई विशेष आमंत्रण गया था या नहीं ; स्पष्टतः वे भारत सरकार की सम्मति से ही आये थे।

श्री रघवय्या: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या जापानी शिष्टमंडल ने मद्रास में फ़ाउन्टेन पेन का कारखाना खोलने की प्रस्थापना की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: उस विषय पर बाद में एक प्रश्न आ रहा है। हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।

सेठ अचल सिंह: क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उस इंडस्ट्रियल मिशन औद्योगिक शिष्टमंडल ने कोई रिपोर्ट दी है और अगर दी है तो क्या उसको यहां पर रखने की कृपा करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय: वे शिष्टमंडल क प्रतिवेदन मांगते हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: नहीं, श्रीमान् हमारे पास कोई प्रतिवेदन नहीं है।

संसद् के विशेषाधिकारों सम्बन्धी विधेयक

*२१८२. **श्री एस० एन० दास:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या संसद् के प्रत्येक सदन की और सदस्यों तथा प्रत्येक सदन की समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को परिभाषित करने के विधेयक को संसद् के वर्तमान सत्र में पुरःस्थापित करने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है ; और

(ख) यदि ऐसा है तो इस विषय में क्या विनिश्चय किया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) तथा (ख). इस विषय पर विशेष विधान बनाना आवश्यक नहीं समझा गया है। संविधान के अनुच्छेद १०५ में संसद् की, उसके सदस्यों और उसकी समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को परिभाषित किया गया है। जिस हद तक वे विशेषतः विहित नहीं हैं, उस के विषय में संयुक्त राजतंत्र ग्रेट ब्रिटेन की संसद् की लोकसभा में प्रचलित प्रथा की ओर निर्देश किया गया है। इन मामलों का पुनरावलोकन करने की और संसद् की शक्तियों तथा विशेषाधिकारों को विधि द्वारा अग्रेतर परिभाषित करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई है।

श्री एस० एन० दास: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को कोई आवश्यता अनुभव नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय: शांति, शांति। मैं माननीय सदस्य को बता देता हूं कि इस प्रश्न पर अध्यक्षों के सम्मेलन में दो बार विचार किया गया था। अधिक जानकारी के लिये वह मुझ से मिलें तो अच्छा रहेगा। मैं उन्हें पूर्ण जानकारी दे दूंगा।

सीमा की घटनायें

*२१८३. **श्री एस० एन० दास:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि हाल ही के महीनों में पांडीचरी के आसपास सीमा-घटनायें बढ़ती जा रही हैं ;

(ख) यदि ऐसा है तो ये घटनाएं किस प्रकार की हैं ;

(ग) अब तक कितनी घटनाओं के समाचार मिले हैं ; और

(घ) सरकार ने स्थिति पर काबू पाने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

प्रधान मंत्री के सभासचिव (श्री सतीश चन्द्र): (क) तथा (ख). पांडीचरी के आसपास सीमा-घटनाएं तो होती रही हैं परन्तु गतकाल से उनकी संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। नवम्बर १९५१ से ऐसी बारह घटनायें घटी हैं ।

(ख) ये घटनाएं इस प्रकार की हैं :

(१) फ्रांसीसी पुलिस द्वारा व्यक्तियों पर आक्रमण तथा उन्हें निरूद्ध करना ।

(२) भूमि को जोतने बोने में रुकावट डाल कर और फ़सलों एवं फलों को लूट कर सीमावर्ती निवासियों को परेशान करना।

(३) फ्रांसीसी पुलिस द्वारा भारत के राज्यक्षेत्र में अतिचार और ग्रामीणों के अपहरण का प्रयत्न ।

(४) पुलिस तथा गुंडों द्वारा पृथक तथा संयुक्त रूप से आतंक फैलाना तथा डराना धमकाना ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप कोई भी अपराधी पकड़ा गया है ?

श्री सतीश चन्द्र : जो घटनाएं फ्रांसीसी भारतीय राज्य-क्षेत्र में होती है उनसे पांडीचरी प्रशासन का सम्बन्ध है ।

श्री एस० एन० दास : वह तो मैं जानता हूं । परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या फ्रांसीसी भारत की सरकार ने हमारी सरकार के विरोध पत्रों पर कोई कार्यवाही की ?

श्री सतीश चन्द्र : कदाचित वे समय समय पर कार्यवाही करते हैं परन्तु उसके परिणाम संतोषजनक नहीं हुए ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि फ्रांसीसी भारत में कुछ पदाधिकारी इन आक्रमणों तथा घटनाओं में भाग लेते रहे हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : मैं ने अपने उत्तर में जिन बारह घटनाओं के प्रति निर्देश किया है उनमें से दो में फ्रांसीसी भारत के एक पुलिस दरोगा ने भाग लिया था ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि भारतीय राज्य क्षेत्र से अपहृत व्यक्तियों के विषय में भारत सरकार द्वारा विरोध प्रकट करने के और अन्य कार्यवाहियों के क्या परिणाम हुए हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : सीमा-आरक्षी की संख्या बढ़ा दी गई है और इन मामलों पर विचार करने के लिये स्थानीय पदाधिकारियों का एक सम्मेलन भी हुआ था ।

श्री टी० के० चौधरी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अपहृत व्यक्तियों का उद्धार हो गया है ?

श्री सतीश चन्द्र : अपहृत व्यक्तियों का उद्धार हो गया है ।

श्री केलप्पन : क्या यह तथ्य है कि हमारे पुलिस तथा मद्य निषेध अधिकारी इन घटनाओं पर आंख मींच लेते हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री बादशाह गुप्त : केवल पुलिस दल पर ही निर्भर रहने की बजाय क्या सरकार ने पड़ौस के ग्रामीणों को आत्मरक्षा के लिये अग्न्यस्त्र दिये हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): दोनों में से किसी भी ओर सशस्त्र लूटमार नहीं हो रही है और न अग्न्यस्त्रों का ही प्रयोग होता है । वे तो छोटी मोटी वारदात

हैं, जो निस्संदेह परेशानी की चीज़ हैं। यह मैं मानता हूं। परन्तु उन्हें ऐसा नहीं समझना चाहिये कि मानों सेनाएं लड़ रही हैं।

बाबू राम नारायण सिंह: जिस दिन दोनों सरकारों के कर्मचारियों का एक सम्मेलन हुआ था, उस दिन के बाद से क्या कोई घटना हुई है ?

अध्यक्ष महोदय : वे जानना चाहते हैं कि क्या सम्मेलन के पश्चात् कोई घटनाएं हुईं।

श्री सतीश चन्द्र: उस सम्मेलन से कोई अधिक लाभ नहीं हुआ है। भारत सरकार ने अपनी पुलिस चौकियों को बहुत अधिक सशक्त बना दिया है, क्योंकि घटनाएं ज़ारी हैं।

डालर क्षेत्रों से आयात

*२१८४. **श्री पी० टी० चाको:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) तिरुवांकुर-कोचीन में के व्यापारियों को अथवा तिरुवांकुर-कोचीन के लाभार्थ किसी अन्य को १९५१-५२ में डालर क्षेत्रों से डालर चलार्थ के रूप में जिन वस्तुओं के आयात की अनुज्ञा दी गई थी उनका कुल मूल्य ; और

(ख) १९५१-५२ में तिरुवांकुर-कोचीन से निर्यात द्वारा अर्जित डालर चलार्थ का कुल मूल्य ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) तथा (ख). आयात अथवा निर्यात अनुज्ञप्तियों के विषय में आवेदकों के निवासस्थान के आधार पर अभिलेख नहीं रखे जाते। अत: सरकार इस जानकारी के देने में असमर्थ है।

श्री ए० एम०सटाम: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के पास कोचीन और अलेप्पी के विषय में निर्यात एवं आयात के पृथक पृथक आंकडे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह समुद्रीय व्यापार के प्रकाशनों में प्राप्य है।

वस्त्र एवं धागे का संचरण

*२१८६. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत के भीतर डाक पारसलों द्वारा वस्त्र तथा धागे के भेजने पर से रोक हटाली गई है ; और

(ख) क्या विदेशों को डाक पारसलों द्वारा वस्त्र तथा धागा भेजने के लिये भी ऐसी ही सुविधा दी गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) विदेशों को डाक पारसलों द्वारा वस्त्र तथा धागा निर्यात अनुज्ञप्ति द्वारा भेजा जा सकता है।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि डाक पारसलों द्वारा कपड़ा तथा धागा भेजने पर जो रोक थी वह कब हटा ली गई थी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: १० मई १९५२ से।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यहां से डाक पारसल द्वारा प्रवासी भारतीयों को वस्त्र भेजने के मामले में भी ऐसी सुविधा दी जायेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हां श्रीमान्, निर्यात अनुज्ञप्तियां प्राप्त करके।

नेदरलेंड्स के साथ व्यापार

*२१८७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत से नेदरलेंड्स को निर्यात की प्रधान मदें क्या हैं ; और

(ख) भारत को नेदरलेंड्स से आयात की प्रधान मदें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) वनस्पति तेल, नारियल की रस्सी, चाय, रद्दी रुई, कपास, टाट की चीजें, तैल-बीज और चमड़ा।

(ख) उपकरण तथा वैज्ञानिक औज़ार, पाक-सामग्री और तेली का सामान, धातुएं तथा कच्ची धातुएं, नकली रेशम का धागा, खाद, स्टार्च, डेक्सट्रीन तथा फेरीन, वस्त्र आदि तथा चमड़ा रंगने के पदार्थ, रासायनिक पदार्थ तथा उनसे बनाई गई वस्तुएं।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं नेदरलेंड्स से आयातित तथा उसे निर्यातित माल का मूल्य जान सकता हूं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : किस कालावधि के लिये ?

डा० राम सुभग सिंह : विगत वर्ष के लिये ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : १९५१-५२ के विषय में हमारे पास जनवरी १९५२ तक की जानकारी है । आयात का मूल्य लगभग ८१६ लाख रुपये है। निर्यात ६२० लाख रुपये का है और पुनर्निर्यात १८ लाख रुपये का है ।

श्री बंसल : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह जानकारी सरकार के कतिपय प्रकाशनों में प्राप्य नहीं है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे विश्वास है, श्रीमान्, कि इसमें से अधिकांश जानकारी प्राप्य है ।

अचल निष्क्रान्त सम्पत्ति

*२१८८. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि अचल निष्क्रान्त सम्पत्ति का मूल्यांकन कुछ मासों से किया जा रहा है ; और

(ख) क्या यह तथ्य है कि सरकार ने उन विस्थापित व्यक्तियों से, जिनके सम्पत्ति के दावों की जांच पूरी हो चुकी है, ऋण आदि के विषय में राशियों की अगली किश्तों की वसूली स्थगित कर दी है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) हां ।

(ख) हां ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि किस श्रेणी के विस्थापित व्यक्तियों को यह रियायत दी गई है ?

श्री ए० पी० जैन : कदाचित माननीय मंत्री का निर्देश भाग (ख) के प्रति है । उस में छोटी नगरीय ऋण योजना के अधीन ऋण लेने वालों; सरकार से खरीदे गये मकान या जमीन के प्लाट के मूल्य की अनभुगती किश्तों ; भारत में या विदेशों में शिक्षा के लिये दिये गये ऋणों और मकान बनाने के लिये दिये गये ऋणों के प्रति निर्देश है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : श्रीमान्, क्या आप प्रश्न संख्या २२१४ को भी पूछने की अनुमति देंगे जो उसी विषय से सम्बद्ध है जो प्रश्न संख्या २१८८ में है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय इसका अभी उत्तर देना पसंद करेंगे ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : इसे पहले लिया जा रहा है, इसी लिये मैं यह जानना चाहता था कि इसका सुविधानुसार वर्गीकरण हो सकता है या नहीं । अस्तु, हम यथाक्रम चलेंगे । यहां माननीय सदस्य प्रश्न को पहले लेना चाहते हैं ।

डा० केसकर : मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा ।

चलचित्र

*२१८९. **श्री एस० सी० सामन्त** : (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सेंसर मंडली के बनने के समय से उस ने किस प्रकार के कितने चलचित्रों का परीक्षण किया है ?

(ख) इन चलचित्रों में से कितने सेंसर किये गये हैं ?

(ग) क्या कोई सेंसर संहिता बनाई गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) मंडली ने ३० जून १९५२ तक ५,५०४ चलचित्रों का परीक्षण किया जिन जिनमें समाचार-चित्र, यथार्थ जीवन चित्र, वैज्ञानिक चलचित्र, शैक्षणिकचित्र क्षौर रूपक चित्र हैं ।

(ख) २२ चलचित्र अस्वीकृत हो गये और ४८३ चल-चित्रों में कांट-छांट का आदेश दिया गया ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

चलचित्रों का प्रदर्शन

*२२१४. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **सूचना तथाप्र सारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार ने क्या कदम उठाये हैं जिनसे यह सुनिश्चित रहे कि ऐसा कोई चित्र सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये प्रमाणित न हो जो दर्शकों का नैतिक स्तर गिराये ताकि दर्शकों की सहानुभूति अपराध, दुष्कर्म, बुराई अथवा पाप के साथ न हो ;

(ख) कोई चलचित्र सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये उपयुक्त है या नहीं इसके निर्धारण में क्या परीक्षण समिति उन निदेशों का पालन करती है जो समय समय पर चल-चित्र सेन्सर की केन्द्रीय मंडली देती है ;

(ग) क्या चलचित्र निर्माता चित्र खींचने से पूर्व अपनी लिपि, वार्तालाप, तथा गानों को चलचित्र सेन्सर मंडली को या उससे सम्बद्ध निकायों को देखभाल या पद-प्रदर्शन के लिये पेश करते हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा०केसकर) (क) तथा (ख). चलचित्र अधिनियम के अंतर्गत, किसी भी चलचित्र के जनता को प्रदर्शित करने की अनुज्ञा नहीं दी जाती जब तक कि चलचित्र सेन्सर की केन्द्रीय मंडली उसका परीक्षण करके उसे सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये उपयुक्त प्रमाणित न करदे । चल-चित्र सेन्सरों की केन्द्रीय मंडली एक विधिवत् निकाय है और परीक्षण समितियों के द्वारा चल-चित्रों का परीक्षण करती है; वे समितियां केन्द्रीय मंडली द्वारा निकाले गये व्यापक निदेश-पत्र के अनुसार कार्य करती हैं । वह निदेश-पत्र १ मार्च १९५२ को भारत के सूचनापत्र में प्रकाशित हुआ था । उसमें अन्य बातों के अतिरिक्त ऐसी भी हिदायतें हैं जो इस बात को सुनिश्चित करने के लिये रखी गई हैं कि जो चलचित्र दर्शकों का नैतिक पतन करें या आपराधिक पात्रों के प्रति दर्शकों की सहानुभूति या प्रशंसा-भाव जागृत करें उन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये उपयुक्त प्रमाणित नहीं किया जाता है ।

(ग) नहीं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या में ज़ान सकता हूं कि क्या सेन्सर संहिता की रचना से पूर्व चलचित्र उद्योगों से परामर्श किया गया था ?

डा० केसकर : कदाचित मेरे माननीय मित्र का आशय 'निदेश-पत्र' से है। निदेश-पत्र निकालने का प्रयोजन यह व्यवस्था करना है कि कोई चल-चित्र विधिव्यवस्था के अतिक्रमण के लिये प्रेरणा न दे और नैतिक पतन न करे। यह कोई शिल्पिक निदेश-पत्र नहीं है और इसीलिये इस विषय में चल-चित्र समवायों से भाग लेने या मंत्रणा देने के लिये कहने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं ज़ान सकता हूं कि क्या मंत्रालय के पास कोई शिकायतें आई हैं कि मंडली ने सेन्सर संहिता का अनुसरण नहीं किया है ?

डा० केसकर : सरकार के पास समय समय पर ज़नता से विशेष चल-चित्रों के बारे में शिकायतें तो आती रहती हैं कि उन में कुछ ऐसे भाग हैं जो आपत्तिज़नक हैं । मंडली के विषय में कोई सामान्य शिकायत नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं ज़ान सकता हूं कि क्या क्षेत्रों में गठित मंत्रणा-गणों को चल-चित्रों के सेन्सर के विषय में कोई सिपारिश करनी होती है ?

डा० केसकर : मैं प्रश्न को समझा नहीं।

श्री एस० सी० सामन्त : तीन क्षेत्रों में मंत्रणा-गण बनाये गये हैं । क्या इन चल-चित्रों को सेन्सर करते समय उनकी राय पर विचार किया ज़ाता है ?

डा० केसकर : मंत्रणा-गणों का कार्य यह है कि वे चलचित्रों को देखने में मंडली की सहायता करें क्योंकि यह ऐसा कार्य है जिसमें बहुत सा समय लगता है और गण में से दो तीन सदस्यों की एक परीक्षण समिति सेन्सर के लिये आने वाले चल-चित्र का आरंभिक परीक्षण करने के लिये बना दी ज़ाती है और वे अपनी राय मंडली को भेज़ देती हैं और यदि परीक्षण समिति की राय के विरुद्ध कोई अपील होती है तो उस का मंडली द्वारा नियुक्त पुनरीक्षण समिति द्वारा फिर परीक्षण किया ज़ाता है । गण या गण की परीक्षण समिति की राय मंडली को भेज़ दी ज़ाती है, सरकार को नहीं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : चलचित्र ज़ांच समिति के प्रतिवेदन में यह उल्लेख है कि चल-चित्रों के निर्माता चित्र खींचने के पूर्व उसकी कथालिपि और वार्तालाप आदि तैयार करेंगे । क्या मैं ज़ान सकता हूं कि उन्हें चित्र खींचने से पूर्व उन्हें पेश करने के लिये क्यों नहीं कहा गया है ?

डा० केसकर : चलचित्र ज़ांच समिति के प्रतिवेदन पर अमल नहीं हो रहा है । उस पर विचार हो रहा है । हम यह कदम तभी उठा सकते हैं ज़ब कि कोई अधिनियम पारित हो ज़ाये जिससे कि सरकार को यह अधिकार मिल ज़ाये कि वह चलचित्र समवायों से चित्र खीचने से पूर्व अपनी कथालिपियों, वार्तालापों आदि को पेश करने के लिये कह सकती है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : जहां तक चलचित्रों के प्रदर्शन का सम्बन्ध है सरकार नैतिकता का अधिक ऊंचा स्तर कायम करने के लिये क्या पग उठा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो सब कुछ अस्पष्ट है ।

श्री एम० डी० जोशी : क्या मैं ज़ान सकता हूं कि जिन चल-चित्रों का परीक्षण किया गया और जिन्हें अस्वीकार किया गया उनमें से कितने चलचित्र विदेशी थे ?

डा० केसकर : मेरे विचार में २२ में से बहुत से चित्र विदेशी थे, पर मैं ठीक संख्या नहीं बता सकता ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने कोई ऐसे पग उठाये हैं जिनसे कि चलचित्रों के निर्माण से पूर्व ही, अर्थात् जब वे कथा प्रकम पर हों, सेन्सर हो सके और कथालिपि मंडली को भेज दी जाये ?

डा० केसकर : यह चलचित्र जांच समिति की सिपारिशों में से एक है और हम विचार कर रहे हैं कि इसे कैसे कार्यान्वित किया जाये ।

सेठ गोविन्द दास : माननीय मन्त्री जी ने प्रश्न नम्बर २१८९ के (सी) पार्ट में यह कहा है कि इस प्रकार का सेन्सर बोर्ड बना लिया गया है । क्या माननीय मन्त्री जी को यह बात मालूम है कि जो सैन्सर बोर्ड बनाया गया है वह इस प्रकार का है कि उसमें बहुत सी बातें कही गई हैं लेकिन फिल्म कम्पनियों को उनसे निकल भागने की बहुत गुंजाइश है ।

डा० केसकर : कोड बनाने के बाद उसके अमल में जो कुछ हमें तजुर्बा हुआ है उसको देखते हुए और क्या करना चाहिये इसके बारे में सरकार सोच रही है ।

श्री दाभी : जो बाईस चलचित्र अस्वीकृत हुए उनके क्या विशेष कारण थे ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में भिन्न भिन्न कारण होंगे । विस्तृत बातों को लेना बहुत कठिन है ।

श्री रघवय्या : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने उन विदेशी चल-चित्रों के प्रदर्शन को सेन्सर करने के लिये क्या कार्यवाही की है जो हमारे लोगों के नैतिक विकास में सहायक नहीं होते ?

डा० केसकर : हम विदेशी चल-चित्रों और भारतीय चल-चित्रों के विषय में एक ही मानदंड का प्रयोग करते हैं । मंडली को हमारा यह निदेश है कि ऐसे चल-चित्रों की अनुमति न दी जाये जिन से नैतिक स्तर गिरते हों ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारतीय चल-चित्रों के विदेशी चल-चित्रों के साथ विनिमय की सिपारिश करने में केन्द्रीय सेन्सर मंडली का कोई हाथ है ?

डा० केसकर : मंडली के पास चलचित्रों के सेन्सर का ही एकमात्र कार्य है और उसका कोई अन्य कृत्य नहीं है ।

विस्थापित व्यक्तियों में यक्ष्मा रोगी

***२१९०. श्री बी० के० दास :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९४९-५०, १९५०-५१ और १९५१–५२ इन तीन वर्षों में विस्थापित व्यक्तियों में के यक्ष्मा रोगियों के इलाज के लिये कितने कितने अनुदान दिये गये ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : १९४९-५० में ५,००,००० रुपये; १९५०-५१ में ९,२५,९१३ रुपये ।

श्री बी० के० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि ये अनुदान हस्पतालों और स्वास्थालयों को दिये गये हैं या राज्य सरकारों को ?

श्री ए० पी० जैन : कभी कभी हस्पतालों को सीधे और कभी कभी राज्य सरकारों के द्वारा दिये गये हैं ।

श्री बी० के० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि विभिन्न हस्पतालों में कुल कितने पलंग रखे गये हैं विशेषतः यक्ष्मा के शरणार्थी रोगियों के लिये ?

श्री ए० पी० जैन : १९५०–५१ में ५५३ ; १९५१–५२ में ६०८ ।

श्री बी० के० दास : यदि उन्हें हस्पतालों में प्रविष्ट न किया जाये तो क्या बाहर ही उनके उपचार की कोई व्यवस्था की गई है ?

श्री ए० पी० जैन : कुछ मामलों में कुछ सहायता दी जाती है ।

श्री बी० के० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या शरणार्थियों में यक्ष्मा रोगियों की संख्या का कोई अनुमान लगाया गया है ?

श्री ए० पी० जैन : हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हैं।

श्री बी० के० दास : क्या भारत सरकार के यक्ष्मा मंत्रणाकार ने कोई अनुमान नहीं लगाया था ?

श्री ए० पी० जैन : केवल यूंही अनुमान लगाया था ; उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो रिफ्यूजीज़ टी० बी० के मरीज़ हैं उन को मदद मिलने का क्या तरीका है ?

श्री ए० पी० जैन : एक तो उन को मदद मिलने का तरीका यह है कि जिनकी बिमारी काफी बढ़ जाती है तो उन को अस्पताल में दाखिल किया जाता है। दूसरा मदद मिलने का तरीका यह है कि जिनकी बिमारी कम होती है तो जहां तक मुमकिन होता है उन को बाहर का मरीज़ ट्रीट किया जाता है। तीसरा तरीका यह है कि जो अस्पताल में दाखिल होते हैं अगर उन के बच्चे वगैरह होते हैं और उनका कोई दूसरा इन्तजाम नहीं होता तो उस के लिये हम स्कीम बना रहे हैं कि उन को कुछ मुनासिब मदद दी जाय।

सेठ अचल सिंह : वह किस तरीके से एप्रोच (approach) करें कि उन को यह मदद मिल सके।

श्री ए० पी० जैन : वे पैदल आ सकते हैं, चिठ्ठी लिख सकते हैं या किसी के जरीये खबर भेज सकते हैं।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि हस्पतालों में प्रवेश के जो आवेदन-पत्र आते हैं उनकी संख्या उपलब्ध स्थान से अधिक होती है, और यदि ऐसा है तो सरकार पलंगों की संख्या बढ़ाने के लिये क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री ए० पी० जैन : कभी कभी ऐसा तो हो जाता है कि लम्बित आवेदन-पत्रों की संख्या पलंगों से अधिक होती है। हम पलंगों की संख्या बढ़ाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इस सम्बन्ध में सरकार ने कितनी वार्षिक रकम खर्च की है ?

श्री ए० पी० जैन : अभी जो मैं ने सब कुछ पढ़ कर सुनाया वही तो था।

श्री टी० के० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि शरणार्थी बस्तियों में यक्ष्मा बढ़ता जा रहा है ?

श्री ए० पी० जैन : मैं तो कह नहीं सकता ; हो सकता है।

श्रमिकों को जरावस्था निवृत्ति वेतन

*२१९१. **श्री एम० आर० कृष्ण :** (क) क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कारखानों और मिलों में श्रमिकों की जरावस्था निवृत्तिवेतन देने का कोई प्रयास किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितनों को ऐसे निवृत्तिवेतन मिल रहे हैं और इस पर गैर-सरकारी कारखानों और मिलों द्वारा कितनी वार्षिक राशि व्यय की जाती है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) तथा (ख) सरकार ने जरावस्था निवृत्ति-वेतन योजना नहीं बनाई है। परन्तु उन्होंने कर्मचारी भविष्य-निधि अधिनियम, १९५२ बनाया है, जिससे कारखानों में

अंशदान भविष्य निधियां स्थापित हों। यह अधिनियम सरकारी तथा स्थानीयप्राधिकारियों के कारखानों को छोड़ कर सभी कारखानों पर लागू है जिनमें वस्त्र, लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, यंत्र-कला, कागज़, सिगरेट उद्योग हैं जिन में ५० या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हों। केन्द्रीय सरकार इन उपबन्धों को अन्य उद्योगों पर भी लागू कर सकती है जिनमें उपरोक्त उद्योगों में ५० से कम व्यक्ति नियोजित हों। नौकरों और नियोजकों का अंशदान मूल मजूरी और मंहगाई भत्ते का ६ १/४ प्रतिशत होगा। आशा है कि यह योजना पूर्ण होकर आगस्त १९५२ से लागू हो जायेगी।

सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है कि किसी गैरसरकारी कारखाने ने अपने श्रमिकों के लिये जरावस्था निवृत्ति-वेतन लागू किया है या नहीं। आवश्यक जानकारी संकलित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सदन -पटल पर रखी दी जायेगी।

श्री एम० आर० कृष्ण : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कोई ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने इस कर्मचारी भविष्य-निधि अधिनियम को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया है?

श्री वी० वी० गिरि: उस पर तो अभी १ अगस्त से ही अमल होना है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं भविष्य निधि की सुविधाएं उन अन्य उद्योगों को, जिनका माननीय मंत्री ने उल्लेख नहीं किया है, न देने का क्या कारण है?

श्री वी० वी० गिरि: क्योंकि वे अभी तक सशक्ततः विकसित उद्योग नहीं हैं।

श्री गणपति राम: क्या सरकार यह सोच रही है कि ऐग्रेरियन लेबरर (कृषि श्रमिकों) के लिये भी यह स्कीम चालू की जाय?

श्री वी० वी० गिरि: अभी नहीं।

श्री बंसल : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस योजना को जरावस्था तथा बीमा योजना का रूप देने की भी कोई प्रस्थापना है?

श्री वी० वी० गिरि : नहीं।

मंडापम की निरोधा व्यवस्था

*२१९३. **श्री शिवनंजप्पा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या लंका सरकार भारतीय भूमि पर मंडापम में निरोधा व्यवस्था चला रही है?

प्रधान मंत्री के सभासचिव (श्री सतीश चन्द्र) : हां, मंडापम शिविर के लिये भूमि को पहले-तो भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन मद्रास सरकार ने लंका सरकार के लिये और उसी के खर्च पर अर्जित किया था। शिविर वर्तमान स्थल पर १९१५ में स्थापित किया गया था। बाद में, लंका सरकार ने आधुनिक ढंग से वहां भवन खड़े कर लिये। तदनुसार उस शिविर का स्वामित्व और प्रबन्ध लंका-सरकार के पास है, और यह व्यवस्था बहुत पुरानी है।

श्री शिवनंजप्पा: क्या सरकार को ज्ञात है कि भारतीय राष्ट्र-जनों को मंडापम शिविर में अपमानजनक परिस्थितियों में निरुद्ध रखा जाता है?

श्री सतीश चन्द्र: कुछ वर्ष पूर्व इस आशय की कुछ शिकायत थी; परन्तु तब से भारत सरकार के हस्तक्षेप के फल स्वरूप स्थिति बहुत बदल गई है। श्री गिरि ने १९४८ में शिविर का निरीक्षण

किया था तब उन्होंने भारत सरकार को यह प्रतिवेदन दिया था कि शिविर की व्यवस्था बहुत उच्च स्तर पर की जा रही है।

कुमारी ऑनो मस्करीन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार दूसरी ओर तलाइमन्नर में कोई निरोधा व्यवस्था चला रही है ?

श्री सतीश चन्द्र : मुझे सूचना की अपेक्षा है।

हथकरघा वस्त्र

*२१९४. **श्री दामोदर मेनन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि हथकरघे का ५० लाख रुपये से अधिक मूल्य का वस्त्र कन्ननोर तथा उसके उपनगरों के हथ-करघा गोदामों में पड़ा है तथा उसका कोई ग्राहक नहीं है और कई सहस्र बुनकर बेकार हो गये हैं ; और

(ख) सरकार इस माल के लिये, जो इकट्ठा हो गया है, मंडी तलाश करने के लिये तथा हथकरघे के बुनकरों की बेकारी को कम करने के लिये क्या पग उठाने का विचार कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, सरकार को उसकी पहले जानकारी मिल गई है। परन्तु जो बुनकर बेकार हो गये हैं उनकी संख्या का अनुमान १०,००० है।

(ख) मद्रास सरकार ने एक योजना बनाई है कि बुनकरों को सहकारी संस्थाओं के द्वारा सहायता दी जाये।

श्री दामोदर मेनन : क्या मद्रास सरकार ने इस मामले में केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता मांगी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : विशेषतया, नहीं। परन्तु इस विषय पर मद्रास सरकार और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के बीच निरंतर पत्रव्यवहार चलता रहता है।

श्री दामोदर मेनन : क्या भारत सरकार उन कारीगरों की, जो बेकार हो गये हैं, सहायता करने के लिये तैयार है ?

श्री टी० टी कृष्णमाचारी : यह तो इस बात पर निर्भर है कि हम किस प्रकार की सहायता दे सकते हैं। हम जो भी सहायता दे सकते हैं सदा देने के लिये तैयार हैं।

श्री एम० डी० रामस्वामी : क्या सरकार निकट भविष्य में हथकरघा-बुनकरों और हथकरघा-वस्त्र की समस्या को सुलझाने के लिये कोई व्यापक योजना बनाने का विचार कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मामला विचाराधीन है ।

श्री राघवाचारी : क्या मैं जान सकता हूं कि रायलसीमा में कितने व्यक्ति बेकार हो गये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे सूचना की अपेक्षा होगी।

श्री ए० एम० टामस : क्या वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रेषित पदाधिकारी ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है, यदि हां तो, उसकी सिपारिशें क्या हैं और क्या सरकार ने उन पर कोई कार्यवाई की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य मलाबार के प्रति निर्देश कह रहे हैं तो मेरे ख्याल में मैंने कोई भी पदाधिकारी नहीं भेजा ।

श्री केलप्पन : क्या सरकार के पास इस जमा माल को जल्दी निकालने की कोई योजना है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नहीं, श्रीमान्।

श्री सारंगधर दास : क्या इस जमा माल के विदेशों में निर्यात करने की कोई संभावना है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हमें विश्वास है कि ऐसी संभावना है।

श्री राधावाचारी: क्या इस सम्बन्ध में मद्रास राज्य को कोई वित्तीय सहायता दी गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस समय भारत सरकार ने राज्य को ऐसी वित्तीय सहायता देने की किसी योजना पर विचार नहीं किया है। वास्तव में, ऐसी कोई प्रस्थापना ही नहीं की गई है।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या मद्रास सरकार ने इस सरकार से कोई परामर्श किया है कि कुछ विशेष प्रकार के धागे को हथकरधा बुनकरों के ही बुनने के लिये रक्षित कर दिया जाये ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह भी उन विषयों में है जिन पर पत्रव्यवहार चल रहा है।

श्री आर० के० चौधरी : क्या सरकार विद्यमान मिलों में धागे का उत्पादन बढ़ा कर या उस प्रयोजन के लिये नये मिल स्थापित करके देश में धागे के परिमाण को बढाने का प्रयत्न कर रहीं है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस समय तो समस्या यह है कि जितने धागे का निर्माण होता है उसकी खपत कैसे हो। अतः यह प्रश्न नहीं उठता।

लंका में भारतीय प्रव्रजन

*२१९५. **श्री दामोदर मेनन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या लंका में यह कहा गया है कि भारतीय भारी संख्या में लंका के उत्तर पश्चिमी तट पर अवैध रूप से उतरे हैं, और

(ख) क्या इस कथन में कोई सत्य है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख). भारत से लंका को भारी पैमाने पर अवैध प्रव्रजन की बातें कही गई हैं। यह सत्य है कि इसे रोकने के लिये दोनों सरकारों द्वारा भरसक प्रयत्न किये जाने पर भी, कुछ अवैध प्रव्रजन हो ही जाता है। परन्तु इस प्रव्रजन का परिमाण उतना भारी कदापि नहीं है जैसा कि लंका में कुछ वक्तव्यों में बताया गया है।

श्री दामोदर मेनन : क्या सरकार को बिदित है कि ये बातें इस लिये कही जाती हैं कि जिससे कि उन भारतीयों के दावों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े जो अब नागरिकता के अधिकारों के लिये लड़ रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य दूसरी सरकार के उद्देश्य के प्रति निर्देश कर रहे हैं। उसका यहां कैसे उत्तर दिया जा सकता है ?

श्री दामोदर मेनन : मैं तो यह जानना चाहता था कि क्या सरकार को ज्ञात है ...

अध्यक्ष महोदय : ऐसा प्रश्न पूछिये जिसके बारे में यह सरकार कोई जानकारी दे सके।

श्री दामोदर मेनन : मेरा उद्देश्य प्रधान मंत्री से यह पूछने का है कि क्या इन अतिशयोक्ति-पूर्ण समाचारों का सरकारी रूप में कोई खंडन किया गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य का यह सुझाव ठीक है कि ये समाचार, अत्युक्ति पूर्ण होते हुए भी, किसी विशेष प्रयोजन से दिये जाते हैं, क्यों कि वे समाचार डेढ़ दो वर्ष पहले के हैं जब कि यह समाचार उठा ही नहीं था।

यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार की गप्प वहां समय समय पर उड़ाई जाती है, यह एक अलग बात है। और हमने उस पर विचार किया है, साथ मिल कर सम्मेलन किये हैं और वक्तव्य जारी किये हैं, क्योंकि चोरी से प्रव्रजन तोहोता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। केवल परिमाण का ही प्रश्न है, और हमारी इच्छा उसे रोकने की है, उतनी ही जितनी कि लंका सरकार की है। हम नहीं चाहते कि हमारे लोग वहां इस प्रकार से जायें। इसका उस से कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि इस समय लंका में जो प्रश्न उठा हुआ है वह उन लोगों के लिये राष्ट्रीयता के अधिकारों के विषय में है जो इसके मुस्तहक हैं, क्योंकि यहां से जो कोई वहां जाता है उसे तो वह अधिकार मिल ही नहीं सकता। उस झगड़े से तो उन लोगों का सम्बन्ध है जो वहां कई पीढ़ियों से रह रहे हैं और जो वास्तव में लंका के राष्ट्रजन हैं। यहां से नवागन्तुकों को उस प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं चाहे वे वैध रूप में जायें चाहे अवैध रूप में।

श्री दामोदर मेनन: एक महीने पहिले ही, श्रीमान्, लंका के पत्रों में एक समाचार छपा था और उसका काफी प्रकाशन किया गया था। इसी लिये मैंने पूछा कि क्या सरकार ने कोई खंडन प्रकाशित किया है?

श्री जवाहरलाल नेहरू: किन पत्रों में?

अध्यक्ष महोदय: लंका के पत्रों में।

श्री जवाहरलाल नेहरू: मुझे पता नहीं है कि माननीय सदस्य किस समाचार विशेष के प्रति निर्देश कर रहे हैं, परन्तु ऐसी बात समय समय पर, विस्फोट के समान, होती रहती है।

कुमारी ऑनी मस्करीन: क्या सरकार उन लोगों के आंकड़े रखती है जो उस पार जाते हैं?

अध्यक्ष महोदय: यह तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वह तो अवैध रूप से होता है।

श्री बादशाह गुप्त: क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान्, ऐसी क्या विशेष चीज़ है जिससे ये अवैध प्रव्रजनकारी आकृष्ट होते हैं?

श्री रघवय्या: क्या सरकार को यह पता है कि इस देश में बेकारी बढ़ती जाती है जिस के फलस्वरूप भारतीयों का अनवरत प्रव्रजन होता रहता है?

अध्यक्ष महोदय: : मेरे विचार में हम तर्क आरम्भ कर रहे हैं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: क्या माननीय प्रधान मंत्री को ज्ञात है कि तथाकथित अवध प्रव्रजक, जो अब लंका को जा रहे हैं, वहां रहने वाले भारतीयों के सम्बन्धी हैं?

श्री जवाहरलाल नेहरू: मुझे कुछ पता नहीं है; शायद ऐसा नहीं है। उनमें कुछ हो सकते हैं, सामान्यतः ऐसा नहीं है।

श्री वेंकटारमन: वे लोग देश के किन भागों से जाते हैं---दक्षिण, उत्तर, पूर्व या पश्चिम?

श्री जवाहरलाल नेहरू: ठीक ठीक जानकारी न होते हुए भी, मैं कुछ निश्चय से कह सकता हूं कि वे दक्षिण से जाते हैं।

श्री वेंकटारमन: क्या यह तथ्य है कि अतीत काल से भारत के दक्षिण भाग और लंका के बीच समागम तथा लोगों में सम्बन्ध हैं, और आवागमन की इतनी मनाही है कि उन्हें अवैध रूपेण प्रव्रजन का आश्रय लेना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में यह तर्क करना नहीं है तो और क्या है?

चोर-बाजारिये

*२१९६. **श्री धूसिया :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५० तथा १९५१ में दिल्ली में कितने चोर-बाजारियें पकड़े गये ; और

(ख) उनमें से कितनों को मुकदमा चला कर दंड दिया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) सदन-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध सं० ४१**]

श्री धूसिया : श्रीमान्, क्या इन गिरफ्तारियों में कोई व्यक्ति किसी राजनैतिक संस्था से सम्बद्ध था या कोई मिल-स्वामी था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जब यह सूची संकलित की गई थी तब यह ख्याल मुझे नहीं आया। इसके अतिरिक्त, सूची का उन अधिनियमितियों से सम्बन्ध है जिनके लिये मेरा मंत्रालय उत्तरदायी नहीं है। यह व्यापक सूची है। मुझे खेद है कि जिन लोगों पर दोषारोप किया गया तथा जो सिद्ध-दोष हुए, उनके आचार या कार्य या राजनैतिक दृष्टिकोण के विषय में मैं विस्तृत जानकारी नहीं दे सकता।

श्री के० के० बसु : क्या इन में से किसी चोरबाजारिये को निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत निरूद्ध किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह प्रश्न तो उनके विषय में हैं जिन्हें मुकदमा चला कर सजा दी गई। इसमें निरोध सम्मिलित नहीं है।

श्री जांगड़े : उनमें कितने वस्त्र व्यापारी थे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं मुकदमों की श्रेणी से ही यह बता सकता हूं :

(१) दिल्ली वस्त्र व्यवसायी अनुज्ञप्ति आदेश —५२ व्यक्ति पकड़े गये ; ५१ पर मुकदमा चला ; २८ का दोष सिद्ध हुआ।

(२) सूती वस्त्र नियंत्रण आदेश—१०२ पकड़े गये ; १०० पर मुकदमा चला, ४८ का दोष सिद्ध हुआ।

(३) धागा व्यवसायी अनुज्ञप्ति आदेश —३ पकड़े गये, तीनों पर मुकदमा चला, तीनों का दोष सिद्ध हुआ।

(४) सूती वस्त्र संचरण-नियंत्रण आदेश—५४ पकड़े गये, ९३ पर मुकदमा चला, ३४ का दोष सिद्ध हुआ।

यह १९५० के विषय में है।

मैं कुछ और आंकड़े देना चाहता हूं.....

अध्यक्ष महोदय : क्या वे इस विवरण में शामिल नहीं हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वे सब विवरण में शामिल हैं।

श्री राधा रमण : इस सम्बन्ध में चोर-बाजारियों के लिये अधिकतम अर्थ दंड या कारावास कितना है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे खेद है, श्रीमान्, ये आंकड़े इस विवरण में नहीं हैं।

लोक सेवा संघ

*२१९८. **श्री बाल्मीकी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पंच वर्षीय योजना के प्रारूप में निर्दिष्ट लोक सेवा संघ की स्थापना के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार कर रही है ; और

(ख) क्या प्रस्थापित संघ के गठन, उद्देश्यों कृत्यों आदि की कोई रूप रेखा बना कर परिचालित कर दी गई है ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) तथा (ख) योजना आयोग द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक पुस्तिका में भारत सेवा संघ के निर्माण तथा राष्ट्रीय विकास में सार्वजनिक सहयोग के सुझाव दिये गये थे। निकट भविष्य में सार्वजनिक सहयोग के लिये एक राष्ट्रीय मंत्रणा-समिति बनाने की प्रस्थापना है।

श्री बाल्मीकी : क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इन लोक सेवकों का चुनाव किस आधार पर किया जायेगा ?

श्री नन्दा : अब तक जो ख्याल है वह तो इस पैम्फलेट में बताया गया है, मगर आगे क्या होगा उस का फैसला तो जब यह संस्था बनेगी तब होगा।

श्री बाल्मीकी : क्या केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकारों द्वारा इन लोक सेवकों को कुछ आर्थिक सहायता भी देने का ख्याल है ?

श्री नन्दा : संस्था को गवर्नमेंट की तरफ से सहायता मिले यह इरादा नहीं है।

श्री बाल्मीकी : क्या सरकार इस बात का ध्यान रक्खेगी कि इस संघ में केवल उन्हीं लोगों को स्थान दिया जाय जिन को इस संघ की योजनाओं और तरीकों में पूर्ण विश्वास हो ?

श्री नन्दा : योजना के किसी भी हिस्से में अगर किसी को विश्वास है तो उस का उस में काम करना मुमकिन है।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि लोक सेवा संघ का नाम भारतीय सेवा समाज में परिवर्तित करने का क्या कारण है ?

श्री नन्दा : परिवर्तन का सवाल नहीं उठता है।

श्री पी० एन० राजभोज : मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इस में किसी पोलिटिकल पार्टी (राजनैतिक दल) के लोग भी आ सकते हैं या नहीं ?

श्री नन्दा : इस में किसी भी पार्टी के लोग आ सकते हैं जो कि इस के कान्स्टिट्यूशन (संविधान) के अन्दर जो नियम बताये गये हैं उनका पालन करने को तैयार हों।

श्री के० के० बसु : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर से यह प्रश्न उठता है कि क्या इस में वे भी सम्मिलित हैं जो इस योजना का सशर्त आलोचनात्मक समर्थन करें ?

श्री नन्दा : यदि कोई भी रचनात्मक पहलू है तो उनका स्वागत किया जायेगा।

अखिल भारतीय चरखा संघ के लिये रुई

*२१९९. **श्री जांगड़े** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अखिल भारतीय चरखा संघ को अपने कताई के केन्द्रों में प्रयोग के लिये रुई खरीदने का सीधा ठेका या अनुज्ञप्ति दी जाती है अथवा उसे किसी अन्य ठेकेदार या अनुज्ञप्ति रखने वाले के द्वारा उसे खरीदना पड़ता है ?

(ख) क्या अखिल भारतीय चरखा संघ को रुई उगाने वालों से सीधे रुई खरीदने का अधिकार है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि गत वर्ष यातायात की पर्याप्त सुविधाओं के न मिलने के कारण उक्त संघ को कई मास तक रुई नहीं मिल सकी थी ?

(घ) क्या खादी पर भी उत्पादन कर लिया जाता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) संघ को स्वतंत्रता है कि वह अपने कताई के केन्द्रों के लिये जैसे चाहे रुई खरीद सकता है, चाहे 'सीधे ठेके' से या अन्यथा, पर उसे 'ग' श्रेणी अनुज्ञप्ति लेनी होगी जो आवेदन-पत्र देने पर अवाध मिल जाती है।

(ख) हां, यदि संघ के पास 'ग' श्रेणी की अनुज्ञप्ति हो।

(ग) गतवर्ष कुछ अवसरों पर संघ ने सरकार को सूचना दी कि उसे रुई के परिवहन में कठिनाई पड़ती है तथा उसे आवश्यक सहायता दे दी गई।

(घ) खादी पर कोई उत्पादन कर नहीं है।

श्री जांगड़े : क्या यह सत्य है कि प्रांतीय सरकारों ने, विशेषत: दिल्ली राज्य सरकार ने शुद्ध खादी पर भी बिक्री-कर लगा दिया है?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं इस कथन की तस्दीक करवा लूंगा।

श्री जांगड़े: क्या केन्द्रीय सरकार ने भारत के विभिन्न भागों में तथा विदेशों में केन्द्रीय कुटीर उद्योग एमपोरियम में खादी को बिक्री के लिये रखा है?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं तो नहीं समझता कि केन्द्रीय सरकार ने भारत के विभिन्न भागों में खादी को बिक्री के लिये रखा है।

श्री जांगड़े : कुछ दिन पूर्व, माननीय मंत्री ने कहा था कि सरकार अपनी तृतीयांश आवश्यकताओं को हथकरघा वस्त्र खरीद कर पूरा करती है। क्या मैं जान सकता हूं कि उस में खादी का अनुपात क्या होता है और ऐसी खरीद में कितनी राशि व्यय हुई है?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझ पर एक अत्यन्त सुनिश्चित वक्तव्य देने का आरोप लगाया गया है परन्तु मैं कहता हूं कि मैं इसका दोषी नहीं हूं। मैंने तो अपने माननीय सहकारी निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा संभरण मंत्री द्वारा जारी किये गए कर परिपत्र की ओर निर्देश किया था जिसमें यह संकेत था कि देशी वस्तुओं के लिये कुछ अधिमान दिया जायेगा जिनमें हथकरधा वस्त्र तथा खादी भी 'हैं?

श्री जांगड़े: क्या सरकार ने हिसाब लगाया है कि यदि सरकार अपनी सभी आवश्यकताओं को खादी ही खरीद कर पूरा करे तो उसे मिल के कपड़े पर जितना व्यय करना होता है उससे कितनी अधिक राशि व्यय करनी होगी?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रश्न में जो धारणा की गई है उसका कोई आधार नहीं है।

सेठ गोविन्द दास: क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को मिल वस्त्र के स्थान पर खादी खरीदने में क्या कठिनाई अनुभव होती है?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: श्रीमान्, मैंने यह नहीं कहा है कि इस में कोई कठिनाई है। वास्तव में मेरे माननीय सहकारी ने जो वस्तुत: क्रय के भार-साधक हैं इस दिशा में एक यह विशेष प्रयास किया है कि उन्होंने अपने क्रयकर्ता पदाधिकारियों से कहा है कि वे भावों के मामले में भी इस देश में निर्मित वस्तुओं को ही विशेष अधिमान दें जिनमें हथकरधा वस्त्र तथा खादी भी सम्मिलित हैं।

श्री जांगड़े: मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रश्न २२०१ का भी प्रश्न २२०० के साथ उत्तर दे दिया जाय।

हीराकुड जल-विद्युत् शक्ति संयन्त्र

*२२००. **श्री जांगड़े :** (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री हीराकुड परियोजना के एक अंश जल-विद्युत् शक्ति संयंत्र के निर्माण को जिसे कि प्रारम्भ में प्राथमिकता दी गई थी और जिस पर डेढ़ करोड़ रुपये व्यय भी कर दिये गये थे, स्थगित करने के कारण बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) सिंचाई संयन्त्र के निर्माण को आरम्भ में ही प्राथमिकता न देने के क्या कारण थे ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा) : (क) तथा (ख). माननीय सदस्य कदाचित विद्युतागार संख्या २ के काम की और उससे संसक्त कामों को, अर्थात् अनुसहायक बांध और विद्युत् मार्ग को, स्थगित करने की ओर निर्देश कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो मैं उनका ध्यान डा० नटवर पांडे द्वारा ६ जून १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० ६१२ पर दिये गये उत्तर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। गत जनवरी में निकाले गये प्रेस नोट की प्रति सदन-पटल पर रखी जाती है जिसमें उन परिस्थितियों को पूर्णतः स्पष्ट किया गया है जिनमें योजना सम्बन्धी प्राथमिकताओं का पुनरीक्षण किया गया था। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४२]**

हीराकुड बांध का निर्माण व्यय

*२२०१. **श्री जांगड़े :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हीराकुंड बांध परियोजन का अनुमानित निर्माण-व्यय जो कि १९४६ में ४७ करोड़ रुपये आंका गया था १९५२ में ८९ करोड़ रुपये तक क्यों बढ़ गया है ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा) : हीराकुड बांध परियोजना की लागत में वृद्धि के निम्न लिखित कारण हैं :

(१) परियोजना के क्षेत्र में वृद्धि अर्थात् १०·८५ लाख एकड़ से बढ़ाकर १९·२५ लाख एकड़ में वार्षिक सिंचाई ;

(२) बांध क्षेत्र के लिये अर्जित भूमि के क्षेत्र में वृद्धि और जो मकान, तालाब, कुएं आदि डूब जायेंगे उनके प्रतिकर मूल्य में वृद्धि ;

(३) रुपये के अवमूल्यन के तथा भावों में व्यापक वृद्धि के कारण विदेशों से आयातित कलों के मूल्य में वृद्धि ;

(४) पहुंचाने वाली लाइनों की लम्बाई और लागत में वृद्धि ;

(५) हीराकुड पर श्रमिकों की मजूरी में वृद्धि ।

श्री जांगड़े : क्या यह सच नहीं है कि जब हीराकुड योजना तैयार की गई उस समय चीजों की कीमत मजदूरी आदि का इन्डेक्स नम्बर (Index Number) ३०१ था और उस समय हीराकुड का कुल अनुमान ४७ करोड़ लगाया गया था, परन्तु अब जब कि इन्डेक्स नम्बर ३९३ से ४७५ तक अधिकतम बढ़ा है तो क्या कारण है कि अनुमान ४७ करोड़ से बढ़ कर ८९ करोड़ हो गया है जब कि भाखरा, नांगल और दामोदर वैली कारपोरेशन का खर्च इतना नहीं बढा है ?

श्री नन्दा : मैं आपको इस वृद्धि का विस्तृत विवरण देने के लिये तैयार हूं जो मुख्य प्रश्न के उत्तर में दिये गये विविध कारणों से हुई है ।

भूमि, मकान आदि के अर्जन का मूल्य पहले अनुमान से ५ करोड़ रुपये था, अब वह अनुमान ११·५ करोड़ हो गया है, जिसके फलस्वरूप ६·५ करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई है ।

श्रम पर जो लागत आयेगी उसमें लगभग ५ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

अवमूल्यन के कारण कलों के मूल्य में लगभग २.५ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

परियोजना के क्षेत्र में वृद्धि के कारण लगभग १२ करोड़ रुपये अधिक व्यय होंगे —इस मामले पर विचार करना आवश्यक है, और जैसा कि मैंने अपने मुख्य उत्तर में कहा था, सिंचाई का एकड़-क्षत्र काफी बढ़ा दिया गया है।

पहुंचाने वाली लाइनों की लागत में वृद्धि ९.६ करोड़ रुपये है।

कुछ और भी वृद्धियां हैं जिससे कि कुल वृद्धि लगभग ४४.३ करोड़ है।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि हीराकुड योजना का ८९ लाख का जो अनुमान लगाया गया है उस में डेल्टा की सिंचाई के साधनों का ही खर्च है या डेल्टा का भी खर्च उस में शामिल है।

श्री नन्दा : हां जी शामिल है।

श्री आर० एन० सिंह : क्या इस तरह से किसी स्कीम में परिवर्तन कर देने से रुपये का दुरुपयोग नहीं होता है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तर्क कर रहे हैं। यदि माननीय मंत्री स्पष्टीकरण करना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री सारंगधर दास: क्या मैं जान सकता हूं कि उन दोनों समितियां के प्रतिवेदनों को सदन पटल पर कब रखा जायेगा जिन्होंने हीराकुड परियोजना का परीक्षण किया था ?

श्री नन्दा : मुझे पुरी तरह पता नहीं है कि ये दोनों प्रतिवेदन सदन के समक्ष रखे गये या नहीं।

श्री जांगड़े : क्या यह सत्य है कि डेवलपमेंट बोर्ड और हीराकुड कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया है, और यदि हां, तो इस में गैरसरकारी आदमी कितने हैं ?

श्री नन्दा : हालही में एक नियंत्रण-मंडली बनाई गई है और उसने कार्य आरम्भ कर दिया है। मैं नहीं समझता कि उसने कोई अशासकीय व्यक्ति हैं।

श्री श्यामनन्दन सहाय : क्या सरकार ने तुलनात्मक रूप में यह विचार करने का प्रयास किया है कि श्रम-लागत और कलों में वृद्धि के कारण—भूमि के अर्जन को छोड़ कर-अनुमानों में वृद्धि अन्य सिंचाई योजनाओं यथा दामोदर घाटी योजना आदि के विषय में जो वृद्धि हुई है उसकी तुलना में कैसी है ?

श्री नन्दा : जांच की जा रही है।

श्री जांगड़े : क्या यह सच है कि इन इंजीनियर को फिर से भार दिया गया है कि वह इस हीराकुड योजना के प्रथम भाग में कुल कितना खर्चा लगेगा उसका फिर से अनुमान लगावें ?

श्री नन्दा : हाल ही में आंकड़ों में परिवर्तन किया गया है।

बनारस तथा जौनपुर में पुनर्वास कार्य

*२२०१-क. **श्री गणपति राम :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने बनारस और जौनपुर में पृथकतः विस्थापित व्यक्तियों के लिये बस्तियां, आश्रय-स्थान तथा क्वार्टर बनाने में क्या अंशदान दिया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : भारत सरकार ने बनारस तथा जौनपुर में विस्थापित व्यक्तियों के लिये आश्रय-स्थानों और क्वार्टरों के बनाने के लिये कोई ऋण नहीं दिये हैं। राज्य सरकारों को उनकी गृह निर्माण योजनाओं के लिये राशियां बांटी

गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से जो जानकारी प्राप्त हुई है उससे पता लगता है कि बनारस जिले में निवास सहित दुकानों के निर्माण पर २,८५,००० रुपये व्यय किये गये हैं। जौनपुर जिले में कोई व्यय नहीं किया गया।

आवाज़

*२२०२. **ज्ञानी जी० एस० मुसाफ़िर :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि 'इंडियन लिस्नर' के उर्दू संस्करण 'आवाज' की एक तिहाई प्रतियां पाकिस्तान के लोगों द्वारा खरीदी जाती हैं ; और

(ख) यदि ऐसा है तो आकाशवाणी भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों को सुधारने के लिये क्या कार्यक्रम प्रस्तुत करता है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) आकाशवाणी ऐसा कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं करती जो विशेषत: पाकिस्तान के प्रति सम्बोधित हो।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या माननीय मंत्री महोदय से मैं यह जान सकता हूं कि "आवाज" "लिसनर" और "सारंग" की प्रतियां मुफ्त बांटी जाती हैं ?

डा० केसकर : श्रीमान् हमें यह मालूम करना होगा।

कल्याणकारी योजनायें

*२२०३. **श्री गणपति राम :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि पंचवर्षीय योजना में श्रम कल्याण योजनाओं के लिये कई लाख रुपये की राशि रखी गई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सहायता से कितनी योजनाएं कार्यान्वित हो जायेंगी ; और

(ग) क्या राज्य सरकारों ने उस के लिये कुछ और भी अंशदान दिया है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) तथा (ख). योजना आयोग ने जिन योजनाओं के लिये ३८५ लाख रुपये की व्यवस्था करने की सिफारिश की है उनका विवरण सदन-पटल रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४३**]

(ग) वयस्क असैनिकों के लिये शिल्पिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना पर जो व्यय होता है उसे केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें दोनों अंशत: देती हैं। अन्य योजनाओं पर, जो इस समय प्रवर्तन में हैं, केन्द्रीय सरकार समस्त व्यय देती है।

श्री गणपति राम : क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान् कि इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये कौन कौन से केन्द्र हैं, विशेषत: उत्तर प्रदेश में ?

श्री वी० वी० गिरि : इसके लिए ६२ केन्द्र हैं। मेरे पास उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में जानकारी नहीं है।

श्री गणपति राम : क्या मैं जान सकता हूं श्रीमान्, कार्यान्वित करने में किस प्रकार की योजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री वी० वी० गिरि : मेरे पास विस्तृत जानकारी है जो मैं सदन तथा माननीय सदस्य के उपयोग के लिये पढ़ कर सुना देता हूं।

योजना सं० १, १९५० में आरम्भ की गई। योजना के प्रधान उद्देश्य ये हैं: देश के उद्योगों के लिये दक्ष श्रमिकों का संभरण, श्रमिकों के नियमित प्रशिक्षण द्वारा उत्पादन की किस्म अच्छा करना तथा उसके परिमाण को बढ़ाना, शिक्षित नवयुवकों को समुचित औद्योगिक नौकरियां देकर उनमें बेकारी कम करना इस योजना से ३२ व्यावसायिक और ३२

शिल्पिक व्यापारों का प्रशिक्षण दिया जाता है। कलों की व्यवस्था, भवन-निर्मान आदि पर जो प्रशिक्षण के लिये अपेक्षित हों, समस्त अनावर्तक व्यय भारत सरकार करती है। आवर्तक व्यय केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार ६०:४० के अनुपात से देती हैं। परन्तु इसमें वह व्यय सम्मिलित नहीं है जो निदेशक तथा निरीक्षक कर्मीवृन्द पर और परीक्षण पर होता है।

योजना सं० २. इस योजना का उद्देश्य यह है कि नाप-तोल के उपकरणों की कमी को पूरा करना और घिसे घिसाये उपकरणों और कलों को बदलना। इस योजना पर समस्त व्यय भारत सरकार करेगी।

योजना सं० ३. विद्यमान प्रशिक्षण केन्द्र अस्थायी सैनिक इमारतों में है। योजना में इनके लिये नये भवनों के निर्माण की व्यवस्था है।

योजना सं० ४. इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को, जो आधुनिकीकरण के फलस्वरूप नौकरी से निकाले जा सकते हैं, वैकल्पिक नौकरी के लिये प्रशिक्षण देना है। योजना का विस्तृत विवरण तैयार किया जा रहा है।

योजना सं० ५. इस योजना के मुख्य उद्देश्य ये है : केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की संस्थाओं में या गैर सरकारी संस्थाओं और प्रतिष्ठानों में जो शिक्षक हैं उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिये उन्हें उनके कार्य में और शिक्षण की कला में हिदायतें देना, विद्यमान संस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लियेनये लोगों को प्रशिक्षण देना और शिक्षकों के लिये पुनःस्मरण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना जिससे कि यह सुनिश्चित रहे कि वे सदा नवीनतम उपायों से अवगत रहेंगे और उन्हें उत्पादन तथा अपने कार्य की आधनिकतम प्रणालियों का ज्ञान होगा।

श्री गणपति राम : क्या मैं जान सकता हूं श्रीमान्, वे विशेष परिस्थितियां कौनसी है जिनमें इन योजनाओं को कार्यान्वित करने में प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री वी० वी० गिरि : जैसी भी बात हो और जैसी भी परिस्थितियां हों, उनके अनुसार।

धुआं मिटाने वाली चिमनियां

*२२०४. **ज्ञानी जी० एस० मुसाफ़िर :** क्या **निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि एक सज्जन ने धुवां मिटाने वाली चिमनियों का आविष्कार किया है और उन्हें संसद-सदस्यों के नये निवास-स्थानों में लगाया गया है ; और

(ख) क्या यह तथ्य है कि उसी सज्जन ने सरकार से कहा है कि वह ऐसे शक्ति-यंत्र बना सकता है जो प्राकृतिक शक्ति से चल सकें?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) एक स्थानीय फर्म ने एक नये प्रकार की अंगीठी तैयार की है जिसमें कोयला, कोक तथा लकड़ी का कोयला जल सकता है और यदि उसे ठीक प्रकार से काम लिया जाए तो आग जलाते समय कमरे में धुआं लगभग नहीं होता। इस अंगीठी को संसद् सदस्यों के नये फ़्लेटों में लगाया गया है। वास्तव में चुल्हे में एसी व्यवस्था है कि आग जलाते समय कमरे में धुआं नहीं फैलता।

(ख) सरकार को एसी किसी पेशकश का पता नहीं है, हर, कुछ समय पूर्व वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् से एक व्यक्ति ने यह दावा किया था कि पेट्रोल के यंत्र केवल पानी से चलाए जा सकते हैं। इस दावे का विस्तृत अनुसंधान करने से पता चला है कि यह अक्रियात्मक है।

ज्ञानी जी० एस० मुसाफ़िर : पिछले एक साल में कितने लोगों ने इस तरह की ईजादी के लिये गवर्नमेंट को दरख्वास्तें पेश की हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस किस्म की फैंटास्टिक (बेतुकी) ईजाद का क्लेम (दावा) किसी और ने नहीं किया।

काहिरा में विदेशियों के विरुद्ध उपद्रव

*२२०५. **श्री एच० एन० मुखर्जी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने मिश्र सरकार से उन उपद्रवों के विषय में विरोध प्रकट किया है जो २६ जनवरी १९५२ को काहिरा में विदेशियों के विरुद्ध हुए थे ; और

(ख) क्या उक्त काहिरा घटनाओं से पूर्व अन्य सरकारों को मिश्र में ब्रिटिश सेनाओं की कार्यवाहियों के विषय में कोई खरीते भेजे गये थे ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) नहीं ।

(ख) नहीं ।

पश्चिमी पाकिस्तान के हरिजन भंगी

*२२०६. **श्री बाल्मीकी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि पाकिस्तान सरकार पश्चिमी पाकिस्तान में रहने वाले हरिजन भंगियों को हिन्दू मानने के लिये तैयार नहीं हैं; तथा

(ख) इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या नीति रही है ?

प्रधान मंत्री के सभासचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) भारत सरकार को पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रकाशित ऐसी किसी अधिसूचना का पता नहीं है जिस के अन्तर्गत हरिजनों को हिन्दू नहीं माना जायेगा । परन्तु पाकिस्तान सरकार हरिजन भंगियों को अछूत अभिज्ञात करती है जिन्हें सवर्ण हिन्दू से भिन्न समझा जाता है ।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न उठता ही नहीं ।

श्री बाल्मीकी : क्या यह सच है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कानफ्रेंसों में पाकिस्तान ने कड़े ढ़ंग से मना किया है और कहा है कि ये हिन्दू नहीं हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : मेरे ख्याल में यह कहा है कि वे कास्ट हिन्दू नहीं हैं । उन को अलग विभाग में रखा है । लेकिन हिन्दू नहीं हैं ऐसी बात नहीं कही है ।

श्री बाल्मीकी : क्या वे हरिजन स्वीपर (भंगी) जो रहने वाले तो भारत के हैं, जिन के मां, बाप, पत्नी, बच्चे सब यहां पर हैं जिनकी की जायदाद यहां पर है और जब वे छुट्टी पर यहां भारत में आते हैं तो फिर किसी वजह से उन का जी वहां जाने को नहीं चाहता, वह यहां रहना चाहते हैं, और वे वहां के रिकगनाइज्ड (अभिज्ञात) नागरिक भी नहीं हैं, तो उन को यहां से वारंट के द्वारा ज़बरदस्ती वहां भेज दिया जाता है । तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि ऐसा क्यों है ?

श्री ए० पी० जैन : ऐसा नहीं हो रहा है ।

श्री बाल्मीकी : ऐसे उदाहरण हैं, मैं खुद जानता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वे माननीय सदस्य का ध्यान ऐसी चीज़ की ओर आकृष्ट कर सकते हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

व्यापार क़रार

*२१७८. **श्री वैलायुधन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री उन देशों के नाम बताने

की कृपा करेंगे जिन के साथ भारत के व्यापार करार थे और जो अवधि की समाप्ति पर उन्हें फिर से नये करना चाहते थे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : सदन पटल पर एक विवरण रखा है जिसमें वे देश दिखाये गये हैं जिन के साथ भारत के व्यापार करार हैं । [देखिये परिशिष्ट १०, अबनुन्ध संख्या ४४]

उद्योगों के लिये अनुज्ञप्ति व्यवस्था

*२१७९. **श्री वैलायुधन**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने संसद् द्वारा १९५१ में पारित उद्योग (विकास तथा विनिमन) अधिनियम के अनुसार उद्योगों को अनुज्ञप्तियां देने के लिये कार्यवाही की है; और

(ख) यदि ऐसा है तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सरकार ने औद्योगिक उपक्रमों का पंजीयन तथा अनुज्ञप्तिकरण नियम, १९५२ जारी कर दिये हैं, जिन में अन्य बातों के अतिरिक्त वह प्रक्रिया भी विहित है जिस का नये औद्योगिक उपक्रमों को अनुज्ञप्ति देने में अनुसरण किया जायेगा । इन नियमों की एक प्रति २१ जुलाई १९५१ को सदन पटल पर रखी गई थी ।

(ख) नई प्रक्रिया के अनुसार औद्योगिक उपक्रमों को अनुज्ञप्तियां देने के लिये अभी आवेदनपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं । जब वे प्राप्त होंगे तब उन पर नियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

भारतीय सैनिक शिष्ट मंडल

*२१८१. **श्री वैलायुधन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नेपाल को जो सैनिक शिष्ट मंडल भेजा गया था उस में कौन कौन थे ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): उस सैनिक शिष्ट मंडल के नेता मेजर जनरल वाइ० एस० परांजपे हैं तथा उस में २० पदाधिकारी, १७ जूनियर कमीशन्ड पदाधिकारी, ४५ हवलदार, ६ नायक तथा ५० अन्य पदों के व्यक्ति हैं ।

आकाशवाणी के महानिदेशक का निलम्बन

*२१८५. **डा० एम० एम० दास** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि हाल ही में आकाशवाणी के महानिदेशक को सेवा से निलम्बित कर दिया गया था और उस के विरुद्ध जो कथन हैं उन की जांच करने का आदेश दिया गया था;

(ख) यदि ऐसा है तो उस के विरुद्ध किस प्रकार के कथन हैं;

(ग) क्या उस के विरुद्ध कोई प्रथम दृश्टया मामला बन गया था; और

(घ) जांच करने वाले व्यक्तियों के नाम ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) हां ।

(ख) से (घ). क्योंकि इस की जांच अभी पूरी नहीं हुई है अत: उस का विस्तृत विवरण देना लोकहित में नहीं है ।

पारपत्र व्यवस्था

*२१९२. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय**: (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत तथा पाकिस्तान के बीच पारपत्र व्यवस्था लागू करने के विषय पर पाकिस्तान सरकार अब भी भारत सरकार से पत्रव्यवहार कर रही है ?

(ख) क्या वर्तमान परिस्थितियों में साधारण पारपत्र व्यवस्था जारी की जा सकती है या पारपत्रों के साथ कोई विशेष शर्तें होंगी ?

(ग) जनवरी से मई १९५२ तक के महीनों में पूर्वी पाकिस्तान और भारत के बीच कितना (मानवीय) यातायात हुआ ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) हां ।

(ख) जैसा कि पहले सदन के प्रांगण पर स्पष्ट किया जा चुका है, अंतर्राष्ट्रीय पारपत्र वाला कोई व्यक्ति उस का प्रयोग कर सकता है । परन्तु यह भी विचार है कि केवल भारत तथा पाकिस्तान के बीच यात्रा के लिये पृथक् पारपत्र भी रखे जायें जो सस्ते तथा सरल हों ।

(ग) इस कालावधि में लगभग ७,३१,७०० हिन्दू तथा ३,७९,००० मुसलमान, अधिकांश में रेल द्वारा, पूर्वी पाकिस्तान से भारत आये और लग भग ८,७२,००० हिन्दू तथा ४,२४,००० मुसलमान उधर गये। इन आंकड़ों में उन व्यक्तियों की संख्या नहीं है जो एक ही दिशा में गये, आये, क्योंकि उन में से कई दोनों देशों के बीच बार बार आये गये ।

विस्थापित व्यक्तियों के उपनगरों के लिये पीने का पानी

*२१९७. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि कालकाजी, किलोकरी, तथा जंगपुरा के उपनगरों में पीने के पानी की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है ?

(ख) सरकार ने उन के लिये पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

(ग) योजना पर कितनी लागत आयेगी और उस के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) कालकाजी, किलोकरी तथा जंगपुरा के निवासियों को पीने का पानी देने के लिये अंतरिम प्रबन्ध कर दिया गया है । कालकाजी और किलोकरी में कुवों और हथपम्पों की व्यवस्था कर दी गई है । जंगपुरा में नल द्वारा पानी प्राप्य है ।

(ख) एक टंकी लगभग बन चुकी है और ओखला में बड़ा हौज बन रहा है । इन टंकियों के बनने के पश्चात् और नलके लग जाने के पश्चात्, इन सभी बस्तियों में छना हुआ जल पहुंच जायेगा ।

(ग) इस योजना की कुल लागत ५५१ लाख रुपये हैं, जो तीन प्रक्रमों में विभाजित है । पहला प्रक्रम चालू वित्तीय वर्ष में पूरा होने की आशा है ।

भारत में फ्रांसीसी बस्तियां

*२२०७. **श्री ए० एम० टामस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या फ्रांसीसी सरकार ने भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों में की हालत पर तटस्थ प्रेक्षकों का प्रतिवेदन प्रकाशित करने के विषय में भारत सरकार के प्रति विरोध प्रकट किया हैं और

(ख) यदि ऐसा है तो उस के कारण क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) हां ।

(ख) यह आधार बताया गया था कि हमारी कार्यवाही एकांगी, अनुचित तथा विभेदात्मक थी । भारत सरकार की ओर से यह बता दिया गया कि तटस्थ प्रेक्षकों के प्रतिवेदन के कुछ भाग पहले ही फ्रांसीसी विदेश कार्यालय ने प्रकाशित कर दिये थे और उन पर 'लंदन टाइम्स' ने समीक्षा भी की थी । इस के पश्चात् ही उस प्रतिवेदन की एक प्रति पेरिस में भारतीय राजदूत को दी गई थी ।

मिशमी तथा अबोर पहाड़ियों में बाढ़ तथा भूकम्प से पीड़ित व्यक्ति

*२२०८. **श्री गोहैन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अगस्त १९५० से उत्तर-पूर्व सीमा अभिकरण के मिशमी और अबोर पहाड़ियों के ज़िलों में बाढ़ तथा भूकम्प के पीड़ितों की सहायता के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ख) चालू वर्ष के लिये क्या राशि दी गई है और उस में से हाल ही की बाढ़ से पीड़ित आदिम जातीय लोगों की सहायता के लिये कितनी राशि व्यय की गई है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) ९,८४,९४७ रुपये, जिन में राज्यपाल के आसाम भूकम्प सहायता कोष से दिये गये ३,८४,९४७ रुपये भी हैं।

(ख) सहायता के प्रयोजनों के लिये चालू वित्तीय वर्ष के लिये १०,००,००० रुपये की व्यवस्था आयव्ययक में की गई है । अब तक जो राशि व्यय की गई है उस की जानकारी एकत्र कर के यथासमय सदन पटल पर रखी जायेगी ।

मनीपुर में विस्थापित व्यक्ति

*२२०९. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मनीपुर में कितने विस्थापित व्यक्ति बसाये गये हैं;

(ख) विस्थापित व्यक्तियों को कितनी भूमि दी गई;

(ग) मनीपुर में बसाने के लिये विस्थापित व्यक्तियों का कोटा कितना है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ग). जानकारी संकलित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

कच्ची फ़िल्म

*२२१०. **श्री के० जो० देशमुख** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में प्रति वर्ष कितनी कच्ची फिल्म की खपत होती है ;

(ख) चल चित्रों के उत्पादन के लिये उस में से कितनी की खपत होती है;

(ग) क्या मद्रास राज्य में कच्ची फिल्म के उत्पादन के लिये कोई कारखाना बनाने की योजना है; और

(घ) यदि ऐसा है तो क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रारम्भिक परिमाप हुआ है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) २० करोड़ फुट ।

(ख) हमारे पास ठीक ठीक जानकारी नहीं है ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

(घ) यह प्रश्न उठता नहीं ।

मकानों का गिराया जाना

*२२११. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि दिल्ली में झंडेवाला पर दरगाह पीर रतन नाथ के सामने अर्थात् अपर रिज रोड के पश्चिमी तट पर ७२ मकानों को १७ मई १९५२ को गिरा दिया गया;

(ख) इन में से कितने मकान पक्के थे;

(ग) जो मकान गिराये गये उन की अनुमानिक लागत क्या थी; और

(घ) वहां से हटाने के बाद उन मकानों वालों को कहां जगह दी गई है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) वास्तव में ७१ मकान गिराये गये थे, ७२ नहीं । उन्हें गिराने से पूर्व उन में रहने वालों को समुचित सूचना दे दी गई थी और मकानों को गिराने के कारण समझने पर वे निकलने के लिये राज़ी हो गये थे ।

(ख) दो के सिवाय जो कि अधपक्के थे, शेष सभी कच्चे थे ।

(ग) लागत का पता नहीं है परन्तु वह अधिक नहीं हो सकती थी ।

(घ) ६८ परिवारों को तेहर बस्ती तिलक नगर में बसाया गया, और ३ को जो १५ अगस्त १९५० तक मकानों में नहीं गये थे, रामेश नगर में प्लाट दे दिये गये हैं ।

नमक

*२२१२. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में भारत में नमक का कुल उत्पादन कितना हुआ;

(ख) नमक की विविध किस्में और उन के श्रोत;

(ग) क्या इन वर्षों में नमक की कोई मात्रा का निर्यात किया गया;

(घ) यदि हां, तो दोनों में से प्रत्येक वर्ष में कितनी मात्रा का और किस देश को और किस किस्म का निर्यात किया गया;

(ङ) (१) भारत

(२) उत्तर प्रदेश

में वार्षिक खपत के लिये कितना नमक अपेक्षित है;

(च) क्या उपरोक्त किस्मों के नमक का उनके श्रोत से उत्तर प्रदेश को आयात करने पर कोई निर्बन्धन हैं, यदि हैं तो क्या;

(छ) उपर्युक्त वर्षों में प्रत्येक किस्म के नमक का कोटा जो उत्तर प्रदेश को दिया गया; और

(ज) क्या नमक में हम आत्मनिर्भर हो गये हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) क्रमशः ७१० तथा ७६२ लाख मन ।

(ख) सदन पटल पर एक विवरण रखा है जिस में नमक की विविध किस्में और उस के श्रोत दिखाये गये हैं । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४५**]

(ग) हां ।

(घ) जापान को समुद्री नमक का निर्यात इन वर्षों में क्रमशः ४,९२,००० मन और १४,७५,००० मन हुआ, जब कि पूर्वी पाकिस्तान को उस का निर्यात २६,१०,००० मन और ६,५६,००० मन था। इन के अतिरिक्त अन्य निर्यात नहीं हुआ ।

(ङ) (१) लगभग ७१३ लाख मन ।

(२) लगभग १०० लाख मन ।

(च) संयुक्त प्रान्त नमक नियंत्रण आदेश १९४७ के उपबन्धों के अधीन केवल उत्तर

प्रदेश सरकार के नामनिर्देशित व्यक्ति ही राज्य में नमक का आयात कर सकते हैं।

(छ) प्रत्येक किस्म के नमक का जितना कोटा उत्तर प्रदेश को दिया गया है उस का विवरण सदन पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४५**]

(ज) हां।

मुद्रणालय की संसदीय शाखा

*२२१३. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मुद्रणालय की संसदीय शाखा को विस्तृत करने का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हो गया है तो क्या उस शाखा में अपेक्षित गति से कार्यपटुता से तथा परिमाण में संसदीय कार्य करने की व्यवस्था है; और

(ग) क्या उस शाखा में संसद् के दोन सदनों की आवश्यकताओं के अनुसार हिन्दी अर्थात् राष्ट्र भाषा के कार्य को करने की व्यवस्था की गई है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) संसदीय शाखा के लिये नई दिल्ली मुद्रणालय के भवन का विस्तार करने का कार्य हाथ में है; भवन का निर्माण कार्य चल रहा है औ जुलाई के अन्त तक उस के पूर्ण होने की आशा है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

(ग) शाखा में ऐसी व्यवस्था करने की प्रस्थापना है कि वह हिन्दी मुद्रण की आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

आकाशवाणी द्वारा हिन्दी का विकास

*२२१३-क. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भाषा में एकरूपता लाने और उस का विकास करने के उद्देश्य से आकाशवाणी ने हिन्दी में कोई शब्दावली तैयार की है;

(ख) प्रसारण सम्बन्धी केन्द्रीय हिन्दी मंत्रणा समिति ने क्या कार्य किया है;

(ग) आकाशवाणी पत्र सूचना विभाग तथा प्रकाशन विभाग की हिन्दी शाखाओं के प्रधानों की विभागीय समिति द्वारा सरकारी कार्यालयों, पत्रों आदि में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले विभिन्न शब्दों के लिये उपयुक्त हिन्दी शब्दावलि तैयार करने के सम्बन्ध में हिन्दी समाचार पत्रों के अग्रगण्य सम्पादकों के विचार और उन के द्वारा सम्पादित पत्रों के नाम; और

(घ) क्या सरकार का सदन पटल पर केन्द्रीय हिन्दी मंत्रणा समिति और विभागीय समिति के प्रतिवेदनों की एक एक प्रति और उन के द्वारा रचित शब्दावलि की एक प्रति रखने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रसारण के लिये कोई केन्द्रीय हिन्दी मंत्रणा समिति नहीं है। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की हिन्दी मंत्रणा समिति उन सभी समस्याओं को निबटाती है जो मंत्रालय के सभी एककों में, जिन में आकाशवाणी भी सम्मिलित है, हिन्दी के प्रयोग से सम्बद्ध हों। समिति की बैठक दो बार हुई है और उस ने मूल्यवान सुझाव दिये हैं।

(ग) उन के विचार नहीं मांगे गये हैं। सम्पादकों से प्रार्थना की गई थी कि उन्हें जो अंग्रेज़ी शब्द भेजे गये थे वे अपनी भाषा में उन के पर्याय बतायें।

(घ) इन समितियों से प्रतिवेदन देने की अपेक्षा नहीं की गई थी। विभागीय समिति से अपेक्षा की गई थी कि वह राजनीति, प्रशासन आदि के लगभग एक सहस्र शब्दों की, जो प्रयोग में प्राय: आते हैं, एक शब्दावली तयार करे। उक्त शब्दावलि की एक प्रति सदन पटल पर रख दी जायगी

कुटीर उद्योग

*२२१५. **श्री हेम राज :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने उन कुटीर उद्योगों के अध्ययन के लिये, जो भारत में संगठित किये जा सकते हैं, विदेशों को कोई पदाधिकारी भेजे हैं;

(ख) यदि भेजे हैं तो कितने और किन देशों को;

(ग) क्या उन्होंने कोई प्रतिवेदन दिये हैं;

(घ) उन्हें भारत के विविध राज्यों में ग्रामों के लिये कौन से कुटीर उद्योग उपयुक्त दिखाई दिये हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उन के प्रतिवेदन पर कोई योजना तैयार की है; और

(च) यदि की है तो उसे विविध राज्यों में किस प्रकार कार्यान्वित किया जायेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) एक पदाधिकारी जापान भेजा गया।

(ग) हां, श्रीमान्।

(घ) ऐसे उद्योगों की एक सूची प्रतिवेदन में दी हुई है।

(ङ) नहीं, श्रीमान्।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

इन्दौर की तेल मिल

*२२१६. **श्री एन० एल० जोशी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इन्दौर की तेल मिल बन्द है;

(ख) क्या सरकार ने इस के बन्द होने के कारणों का पता लगाया है; तथा

(ग) यदि हां, तो उन की जांच का क्या परिणाम हुआ है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). मध्य भारत सरकार से पूछने पर पता चला है कि मिलें इस कारण बन्द हो गई थीं कि छंटनी के प्रश्न पर नियोजक तथा श्रमिक संघ के बीच का विवाद तय नहीं हुआ था और इस मामले को पंच-निर्णय के लिये भेजने का प्रयास हो रहा है।

दामोदर घाटी निगम

*२२१७. **श्री ए० सी० गुहा :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अब तक दामोदर घाटी निगम के पुनर्वास, भूमि अधिग्रह तथा भूमि संरक्षण विभाग पर कितनी राशि व्यय हुई है; और

(ख) विभाग का वर्तमान मासिक वेतन-व्यय ?

योजना तथा सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) तथा (ख). दामोदर घाटी

निगम से जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

डनलप रबड़ कारखाना

*२२१८. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५१-५२ में डनलप रबड़ कारखाने में कुल कितना माल तैयार हुआ;

(ख) उन के माल में से कुल कितना निर्यात किया गया;

(ग) उन के उच्च कर्मीवृन्द में कितने भारतीय हैं;

(घ) क्या भारत में अन्य रबड़ कारखाने भी चल रहे हैं, और यदि चल रहे हैं तो उन के नाम क्या हैं तथा उन में कितनी कितनी पूंजी लगी हुई है ; और

(ङ) डनलप एण्ड को कितना भारतीय रबड़ खरीदती है और किस दर पर ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). ठीक ठीक जानकारी सुलभता से प्राप्य नहीं है ।

(ग) इकतालीस पदाधिकारी जो प्रति मास १००० रुपये या अधिक वेतन लेते हैं ।

(घ) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में महत्वपूर्ण रबड़ निर्माता समवायों के नाम और उन में लगी हुई पूंजी के आंकड़े दिये गये हैं । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४६**]

(ङ) सरकार द्वारा नियत नियंत्रित दरों पर मार्च १९५१ से अप्रैल १९५२ में ८,४७० टन ।

नमक

*२२१९. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या **उत्पादन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जब नमक उत्पादन शुल्क लिया जा रहा था तब नमक का फुटकर भाव क्या था और इस उत्पादन शुल्क को हटा देने पर अब उस का भाव क्या है; और

(ख) आत्मनिर्भरता के बावजूद भी अब नमक के लाने ले जाने पर निर्बन्धन क्यों है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४७**]

(ख) उत्पादक क्षेत्रों से उपभोक्ता क्षेत्रों को नमक का जाना विनियमित करना पड़ता है क्योंकि अभी तक परिवहन-व्यवस्था पर्याप्त रूप में अच्छी नहीं है । कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में नमक का आयात करने के लिये अपने नाम-निदशित व्यक्ति रखे हैं जिस से कि कुछ व्यापारी कृत्रिम अभाव उत्पन्न न कर सकें ।

उड़ीसा को पुनर्वास अनुदान

*२२२०. **श्री संगण्णा** : क्या **पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उड़ीसा राज्य में विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियां और उन की जनसंख्या;

(ख) उड़ीसा राज्य को गत तीन वर्षों (१९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२) में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये कुल कितने सहायक अनुदान दिये गये;

(ग) क्या उड़ीसा राज्य में विस्थापित व्यक्तियों की सभी बस्तियां आत्म-निर्भर बन गई हैं; और

(घ) यदि बन गई हैं तो क्या सरकारी सहायता रोक ली गई है और यदि कोई नगद ऋण दिये गये थे तो क्या वे अंशत: या पूर्णत: वापस ले लिये गये हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) बस्तियां ४५ ।

जनसंख्या ७,५८१ ।

(ख) १९४९-५० में ३९,००० रुपये । १९५०-५१ में ५४,५४,००० रुपये । १९५१-५२ में ११,३५,००० रुपये ।

इस के अतिरिक्त ३८ लाख रुपये ऋण के रूप में दिये गये ।

(ग) तीन बस्तियां अब तक आत्म-निर्भर बन चुकी हैं ।

(घ) जो तीन बस्तियां आत्म-निर्भर हो गई हैं उन्हें कोई अग्रेतर सहायता की अपेक्षा नहीं है । ऋण का कोई अंश अभी तक वापिस नहीं लिया गया है क्योंकि अभी तक किस्तों का समय नहीं आया है ।

उड़ीसा में नई योजनायें

*२२२१. **श्री संगण्णा** : क्या **योजना मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने नई योजनाओं के निर्माण के लिये कोई प्रस्थापनायें पेश की हैं जो संघ सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि की हैं तो वे क्या हैं और कहां हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो क्या उड़ीसा सरकार से कोई नई प्रस्थापनायें पेश करने के लिये कहा गया है ?

योजना तथा सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

क़रार तथा समझौते

*२२२१-क. **श्री रघवय्या** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) संसद् के सदस्यों को भारत सरकार द्वारा अन्य सरकारों के साथ १५ अगस्त, १९४७ से अब तक किये गये करारों तथा समझौतों की प्रतियां उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या सरकार ने ऐसे लेख्यों की प्रतियां सदन के पुस्तकालय में रखने की वांछनीयता पर विचार किया ह ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) तथा (ख). इन में से कुछ करार तथा समझौते समय समय पर सदन पटल पर रखे जा चुके हैं । सरकार को इन लेख्यों की प्रतियां सदन के पुस्तकालय में रखने में बहुत प्रसन्नता होगी और इस आशय की हिदायतें सभी सम्बद्ध मंत्रालयों को दे दी जायेंगी ।

शिक्षा संस्थाओं को सहायता

*२२२२. **श्री जेठालाल जोशी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान से विस्थापित शिक्षा संस्थाओं को कोई वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) यदि दी है तो वे संस्थायें कौन सी हैं और प्रत्येक को कितनी कितनी राशि दी गई है ;

(ग) क्या यह सहायता प्रतिकर के बदले में है या पुनर्वास सहायता के रूप में है ; और

(घ) ऐसी सहायता के आवेदनपत्रों पर विचार करते समय क्या बातें ध्यान में रखी जाती हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) हां ।

(ख) विवरण (१) सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४८**]

(ग) ये राशियां इसलिये दी गई हैं जिस से कि ये संस्थायें भारत में अपना कार्य जमा सकें, परन्तु सरकार को सदा यह अधिकार है कि वह प्रतिकर का प्रश्न उठने पर इन अनुदानों को हिसाब में ले सकती है।

(घ) विस्थापित शिक्षा संस्थाओं को सहायक अनुदान देने के प्रश्न का विनिश्चय करते समय जिन बातों को प्रायः ध्यान में रखा जाता है वे विवरण (२) में उल्लिखित हैं जिस की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४८**]

तैल शोधक यंत्र

*२२२३. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या **उत्पादन** मंत्री प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशित उन निबन्धनों और आश्वासनों के निर्देश से जो बंबई में तेल शोधक यंत्र चलाने के लिये ब्रिटिश तथा अमरीकी फर्मों को दिये गये हैं, यह बतायेंगे कि क्या विदेशी पूंजी के विषय में सरकार की उस नीति में कोई परिवर्तन हुआ है जो प्रधान मंत्री ने १९४९ में प्रतिपादित की थी ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): नहीं, श्रीमान्।

राजघाट समाधि समिति

*२२२४. **श्री एस० एन० दास** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजघाट समाधि समिति का पूर्णतः गठन हो चुका है और वह कार्य कर रही है;

(ख) यदि समाधि निधि बना दी गई है तो उस की राशि ; **और**

(ग) क्या समिति ने कोई प्रबन्धक नियुक्त किया है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हां।

(ख) अभी निधि नहीं बनाई गई है।

(ग) नहीं, श्रीमान्, परन्तु सरकार ने समिति से परामर्श कर के अस्थायी रूप में नियुक्त किया है।

वयस्क असैनिकी प्रशिक्षण योजना

*२२२५. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में वयस्क असैनिकी प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत कितनी प्रशिक्षण संस्थायें हैं;

(ख) बिहार में ऐसी संस्थाओं की संख्या और उन की स्थिति ;

(ग) इन संस्थाओं में से प्रत्येक में इस समय प्रशिक्षार्थियों पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या ;

(घ) जो प्रशिक्षार्थी उत्तीर्ण हो कर निकले हैं उन की संख्या; और

(ङ) यदि प्रशिक्षार्थियों में कोई विस्थापित व्यक्ति हैं तो उन की स्त्रियों तथा पुरुषों की संख्या ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) ६२।

(ख) तीन संस्थायें हैं जो पटना, रांची और साहिब गंज में स्थित हैं

(ग)

३१-५-५२ को प्रशिक्षार्थियों की संख्या	पुरुष	स्त्री	योग
(१) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, डीघा, पटना	७२	१	७३
(२) औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, सरकारी शिल्पिक शिक्षालय, रांची	७	..	७
(३) औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, भारतीय यांत्रिक कर्मशाला, साहिबगंज	५	..	५
योग	८४	१	८५

(घ) वयस्क प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत इन तीन संस्थाओं से ४२५ प्रशिक्षार्थी उत्तीर्ण हो कर निकले ।

(ङ) मई १९५२ के अंत में बिहार की प्रशिक्षण संस्थाओं में जो प्रशिक्षार्थी दर्ज थे उन में से २३ विस्थापित व्यक्ति थे जो सभी पुरुष थे ।

आयात शुल्क में छूट

*२२२६. **श्री झुनझुनवाला :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग :

(क) क्या भारत सरकार ने किसी उद्योग में प्रयुक्त कच्चे माल पर दिये जाने वाले आयात शुल्क में छूट देने के विषय में, यदि कच्चे माल को पहचानने के लिये आवश्यक प्रशासन-व्यवस्था क्रियात्मक हो, निर्यात उन्नति समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) इस विषय में निर्यात उन्नति समिति की सिफारिश से पूर्व जिन वस्तुओं को ऐसी छूट दी जा रही थी, उन के नाम;

(ग) उन अतिरिक्त वस्तुओं के नाम जिन पर निर्यात उन्नति समिति की सिफारिश के पश्चात आयात शुल्क में छूट दी गई और उस छूट की दर;

(घ) क्या कुछ वस्तुओं के विषय में यह छूट वापिस ली गई है और उस के वापिस लेने के कारण;

(ङ) वस्तुओं के नाम और इस समय दी जा रही छूट की दर; और

(च) इस रियायत को विस्तृत करने में जो प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयां हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां श्रीमान् कुछ मामलों में ।

(ख) आयातिक अलूमीनियम जो निर्यात के लिये निर्मित बर्तनों में प्रयुक्त होता है ।

(ग) (१) **कपास** : आयातिक रूई से जो महीन तथा अधिक महीन कपड़ा बनता था उस के एक पाउंड पर २ आने की दर से ८ मार्च १९५० से शुल्क में छूट दी गई ।

(२) **नक़ली रेशम का धागा** : आयातित नकली रेशम के धागे से भारत में निर्मित और बाद में पुनःनिर्यातित नकली रेशम पर ६ मई १९५० से १२ आने प्रति पाउंड की दर से छूट देना मंजूर हुआ ।

(घ) कपास और नकली रेशम के धागे के विषय में रियायत वापिस ले ली गई । १ जून १९५१ से मोटे तथा मध्यम श्रेणी के वस्त्र पर निर्यात कर १० प्रतिशत से बढ़ा कर २५ प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया गया, आयातित रुई पर छूट की रियायत हटा दी गई जिससे कि किसी हद तक आयातित रुई से निर्मित महीन तथा अतिमहीन वस्त्र के निर्यात पर लाभ पूरा हो जाये । जो आयातित नकली रेशम का धागा, नकली रेशम के निर्माण में प्रयुक्त होता है और बाद में जिस का निर्यात हो जाता है उस पर आयात शुल्क की छूट ६ मई १९५० को मंजूर की

गई थी और यह तब तक के लिये थी जब तक कि समुचित बौंड प्रक्रिया का सूत्रण नहीं हो जाता। उस रियायत को १ जुलाई १९५१ से वापिस ले लिया गया क्योंकि सम्बद्ध न्यस्त हितों ने कोई बौण्ड व्यवस्था करने के लिये कदम नहीं उठाये और राजस्व के हित में यह देखना आवश्यक था कि कहीं देशी नकली धागे पर जो भारत से निर्यातित नकली रेशम में प्रयुक्त हुआ हो छूट-राशि न दे दी जाये ।

(ङ) अलूमिनियम के बर्तनों के निर्यात पर उस आयात शुल्क का ७·८ अंश वापिस दिया जाता है जो उन वर्तनों में प्रयुक्त अलूमिनियम पर लिया गया था।

(च) जब कोई कच्चा माल बाहर से भी आयात होता हो परन्तु देश में भी प्राप्य हो तो तैयार माल के निर्यात होने पर उस कच्चे माल पर लिये गये आयात शुल्क की छूट वापस देने में कई स्पष्ट क्रियात्मक कठिनाइयां हैं । इसमें सदा यह संभावना होती है कि देशी कच्चा माल प्रयोग में ला कर शुल्क की छूट मांग ली जाये और सरकार द्वारा दे दी जाये जब कि वास्तव में उस पर कोई भी आयात शुल्क दिया ही नहीं गया था ।

नमक

*२२२७. **श्री जसानी** : क्या **उत्पादन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सरकार की अपनी कितनी नमक कर्मशालायें हैं जिन्हें वह चला रही है और वे कहां कहां हैं ;

(ख) सरकार ने इन नमक कर्मशालाओं में कितनी पूंजी लगाई है ;

(ग) इन सरकारी नमक कर्मशालाओं में १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में कितना उत्पादन हुआ; और

(घ) इस कालावधि में लाभ या हानि?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) छै। वे राजस्थान में सांभर पचवद्रा और डिडवाना में हिमाचल प्रदेश में बम्बई में, खरगोढा और वडाला में हैं ।

(ख) भूमि तथा कार्यरत पूंजी के अतिरिक्त लगभग ९४ लाख रुपये ।

(ग) १९४९-५० में १५३·६ लाख मन ।

१९५०-५१ में १८३·५ लाख मन ।

१९५१-५२ में १९७·७ लाख मन ।

(घ) १९४९-५० में २,०८,००० रुपये लाभ ।

१९५०-५१ में ११,८८,००० रुपये लाभ

१९५१-५२ में अभी तक लाभ हानि खाता तैयार नहीं किया गया ।

आसाम में उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र

*२२२८. **जनाब अमजद अली** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आसाम के गोलपाड़ा, कचर, कामरूप तथा नवगांव क्षेत्रों में जहां १९५० में उपद्रव हुए थे, खेतों में हलों, ढोरों तथा धान की हानि हुई थी ;

(ख) क्या उन्होंने बीज उधार मांगा था और यदि उन्हें वह दिया गया तो उसका परिमाण ;

(ग) सरकार ने उनके खोये हुए ढोरों को वापिस दिलाने के लिये क्या प्रयत्न लिये; और

(घ) यदि किये तो क्या उपाय काम में लिये गये और उनके क्या परिणाम हुए ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) हां कुछ हद तक ।

(ख) हां । बीजों, हलों आदि के क्रय के लिये लगभग २८ लाख रुपये के पुनस्सं स्थापन ऋण दिये गये । बीज उधार देने पर जो राशि लगी उसके पृथक् आंकड़े प्राप्य नहीं हैं ।

(ग) तथा (घ). पुलिस अधिकारियों को हिदायतें दी गईं कि वे अपने क्षेत्राधिकार में ऐसे ढोरों को पकड़ लें जिनका कोई स्वामी या दावेदार न हो। उन्हें उत्तरदायी स्थानीय व्यक्तियों की अभिरक्षा में रखा गया। जब उनके स्वामियों ने लौटकर उन्हें मांगा तो स्थानीय अल्पसंख्यक मंडलियों की उपसमिति ने उनके दावों की तस्दीक करके उन्हें ढोर लौटा दिये । कुल मिला कर ४०,००० से अधिक ढोर लौटाये गये ।

मद्रास से धागे का निर्यात

*२२२९. **श्री एस० वी० रामस्वामी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मद्रास राज्य से जो धागा निर्यात करने की अनुमति दी गई थी वह राज्य की आवश्यकता को पूरी करके फालतू बचता था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : इस समय यही स्थिति है ।

दिल्ली में डी० डी० टी० का कारखाना

*२२३०. **श्री एस० वी० रामस्वामी :** क्या **उपादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दिल्ली में डी० डी० टी० के कारखाने के सम्बन्ध में कोई भवन निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) क्या उस कारखाने को दिल्ली में रखने में कोई विशेष लाभ है ;

(ग) क्या डी० डी० टी० के उत्पादन के लिये कास्टिक सोडा तथा क्लोरीन प्रधान कच्चा माल है ;

(घ) क्या दिल्ली में इस समय इस कच्चे माल को बनाने वाला कोई कारखाना है; और

(ङ) क्या मेतूर बांध सलीम ज़िले में एक कारखाना है जो बहुत समय से इन चीज़ों का निर्माण करता रहा है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) नहीं ।

(ख) हां । प्रधान कच्चे मामलों में से अधिकांश और अन्य सुविधायें दिल्ली में ठीक भाव पर सुलभ हैं ।

(ग) गंधक का तेजाब । ओलियम क्लोरीन, बेन्जीन और अलकोहल प्रधान कच्चे माल हैं। डी० डी० टी० के उत्पादन में कास्टिक सोडे का प्रयोग नहीं होता ।

(घ) हां । गंधक का तेजाब । ओलियम और क्लोरीन का यहीं निर्माण होता है ।

(ङ) मेतूरबांध के कारखाने में कास्टिक सोडा तथा क्लोरीन का उत्पादन होता है परन्तु अन्य कच्चे मालों का नहीं ।

हैदराबाद में विस्थापित व्यक्ति

*२२३०-क. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पश्चिमी पाकिस्तान के कितने विस्थापित व्यक्तियों ने हैदराबाद राज्य में आश्रय लिया है; और

(ख) उन्हें कितनी सहायता दी गई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) लगभग ४०००।

(ख) इस मंत्रालय ने हैदराबाद में पुनर्वास की कोई योजना आरम्भ नहीं की है । परन्तु कुछ परिवार उस राज्य में अपनी इच्छा से ही व्यापार या नौकरी की

खोज में चले गये और कोई सहायता की आवश्यकता नहीं समझी गई।

निर्यात तथा आयात व्यापार

*२२३१. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई प्रस्थापना है कि हमारे निर्यात तथा आयात व्यापार के बीच विद्यमान अंतर को पाटने की सम्भावना पर विचार करने के लिये १९४९ की निर्यात उन्नति समिति के समान कोई निकाय नियुक्त किया जाये ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : नहीं, श्रीमान्।

रूस के साथ व्यापार

*२२३२. **श्री एम० इस्लामुद्दीन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि रूस भारत के साथ व्यापार करने के लिये तैयार है चाहे उसे भारतीय चलार्थ में ही भुगतान क्यों न किया जाये; और

(ख) यदि ऐसा है तो रूस की इस व्यापारिक पेशकश के प्रति भारत सरकार का क्या रुख है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सीरा

*२२३३. **श्री बी० एन० राय :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार न पूर्वी पाकिस्तान को जहां कुछ समय पूर्व भारतीय सीरा बहुत बिक सकता था उसको निर्यात करना सुकर बनाने के लिये कोई कदम उठाये हैं; और

(ख) क्या उस सीरे की खपत के लिये जो पहले निर्यात किया जाता था और उससे कोई नवीन पदार्थ प्राप्त करने के लिये कोई उद्योग आरम्भ किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) चिट्टा सीरा निर्बाध रूप से पूर्वी पाकिस्तान को भेजने की अनुमति है।

(ख) सीरे की खपत के लिये या कोई अन्य पदार्थ प्राप्त करने के लिये अलकोहल के अतिरिक्त कोई अन्य उद्योग जारी नहीं किया गया है। चिट्टे सीरे का कोई औद्योगिक उपयोग नहीं है।

आयात अनुज्ञप्तियों का विक्रय

*२२३४. **श्री भगवत साहू :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उनके मंत्रालय में कोई रिपोर्ट आई थी कि ईस्टर्न मर्कन्टाइल निगम नामक एक फर्म ने जिसका मुख्यालय कटक में हैं कुछ अनुज्ञप्तियां बेच दीं जो उन्हें १९५० और १९५१ में दी गई थीं ;

(ख) क्या उपरोक्त रिपोर्ट की जांच की गई; और

(ग) यदि की गई तो क्या परिणाम हुआ ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): इस मंत्रालय में ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

(ख) तथा (ग): प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

शुष्क क्षेत्र गवेषणा

*२२३५. **श्री संगण्णा :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में जो शुष्क क्षेत्र गवेषणा की गई उसके क्या परिणाम निकले; और

(ख) अब तक उस पर कितनी राशि व्यय की गई है ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा) : (क) अभी भारत में कोई भी शुष्क क्षेत्र गवेषणा नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विशेष दावा पदाधिकारी

*२२३६. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि कई पदनिवृत्त ज़िला तथा सत्र न्यायाधीशों को, उनके भारी न्यायिक अनुभव के कारण, एक लाख से ऊपर के दावों की तस्दीक के लिये दावा पदाधिकारी नियुक्त किया गया था; और

(ख) क्या दावों की तस्दीक समाप्त हो गई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) हां।

(ख) नहीं।

दावों की तस्दीक़

*२२३७. **श्री अजीत सिंह :** क्या **पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि मई १९५१ के बाद जिन दावों की तस्दीक हुई उनका मूल्य उस तारीख से पहले तस्दीक किये गये दावों से कम निर्धारित किया गया है क्योंकि मुख्य दावा आयुक्त ने कुछ नियम लागू किये हैं;

(ख) क्या यह तथ्य है कि मई १९५१ से पूर्व तस्दीक किये गये दावों में से केवल २० प्रतिशत के मूल्य का पुनरीक्षण करने की हिदायतें दी गई हैं; और

(ख) यदि भाग (क) और (ख) के उत्तर 'हां' में हैं तो सरकार इस विसंगति को दूर करने के लिये क्या पग उठाने का विचार कर रही है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) नहीं।

(ख) नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। परन्तु यह बात कह देना चाहते हैं कि ३१.५.५१ से पूर्व जो ०·५ लाख दावे विनिश्चित किये गये उनमें से कुछ का मूल्य अधिक लगा दिया गया था और उनका पुनरीक्षण करने का निश्चय किया गया। अब तक उन में से १४,२९० मामलों का पुनरीक्षण किया गया है और इनमें से १,०२० का मूल्य अधिक दिखाई देता है। उन्हें स्वयमेव पुनरीक्षण के लिये दावा पदाधिकारियों के पास भेज दिया गया है।

विस्थापित व्यक्तियों द्वारा भूख हड़ताल

*२२३८. **श्री बी० एस० मूर्त्ति :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सिल्चर (आसाम) में विस्थापित व्यक्तियों को भुख हड़ताल का आश्रय लेना पड़ा था, यदि लेना पड़ा था तो भूख हड़ताल के आरम्भ होने की तारीख और भूख हड़तालियों की संख्या ;

(ख) भूख हड़ताल के कारण; और

(ग) भूख हड़ताल को समाप्त करने के लिये उठाये गये पग ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) हां, २५ जून को ५ व्यक्तिवों ने भूख हड़ताल की थी।

(ख) अधिक सहायता और पुनर्वास लाभों और कचर में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्संख्याकन की मांगें।

(ग) भूख हड़तालियों को यह बात स्पष्ट समझा दी गई थी कि मंजूर की गई योजनाओं में सहायता तथा पुनर्वास लाभों की पर्याप्त व्यवस्था थी। भूख हड़ताल ५ जुलाई १९५२ को वापिस ले ली गई।

नमक

*२२३८. **श्री ए० के० गोपालन:** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में १९४८ से १९५२ तक के वर्षों में भारत का कुल उत्पादन तथा आवश्यकता ;

(ख) क्या नमक केवल सरकार ही बनाती है या ग़ैर-सरकारी समवायों को उसके बनाने की छूट है, यदि है तो दोनों कितना कितना प्रति शत भाग बनाते हैं; और

(ग) नमक बनाने वाले गैर-सरकारी समवायों के नाम ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी):

(क) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें १९४८–५२ के वर्षों में भारत में कुल वार्षिक उत्पादन तथा खपत दिखाई गयी है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४९**]

(ख) सरकार और ग़ैर-सरकारी पक्ष सभी नमक निर्माण करते हैं। सरकार लगभग २५ प्रतिशत नमक का निर्माण करती है और शेष ७५ प्रतिशत अन्य करते हैं।

(ग) नमक-निर्माण के लिये ग़ैर-सरकारी पक्षों को लगभग ४८०० अनुज्ञप्तियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे निर्माता हैं जिन्हें निर्माण के लिये अनुज्ञप्ति नहीं लेनी पड़ती। सब के नाम देना क्रियात्मक नहीं है।

स्वामित्व मुक्त पट्टे पर कोयला खानें

*२२३८.-ख. **श्री के० पी० त्रिपाठी:** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि आसाम में कुछ कोयला खानें हैं जो किसी यूरोपीय फ़र्म को शास्वत स्वामित्व-मुक्त पट्टे पर दे दी गई हैं; और

(ख) क्या सरकार समवाय की इस स्वामिस्व-मुक्तता में कोई परिवर्तन करने का विचार कर रही है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) हां।

(ख) हां। यह मामला आसाम सरकार के विचाराधीन है।

आसाम की लकड़ी

*२२३९. **श्री बेली राम दास:** क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हीराकुण्ड बांध और दामोधर घाटी योजनाओं में प्रयोग के लिये शहतीरों के लिये भारत सरकार ने पंजाब के वनसंरक्षण को कहने से पूर्व आसाम के वन संरक्षक से कहा था;

(ख) पंजाब के वन-संरक्षक ने किस दर पर शहतीर भेजे और आसाम के वन संरक्षक ने किस दर पर भेजे; और

(ग) जो शहतीर भेजे गये उन पर रेल भाड़ा कितना पड़ा ?

योजना सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा): (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) हीराकुड बांध योजना के लिये पंजाब से जो शहतीर मंगवाये गये उनकी दरों के विषय में माननीय सदस्य कृपया उस विवरण की मद ६ को देखें जो ४ अक्तूबर १९५१ को श्री एस० एन० सिन्हा के तारांकित प्रश्न संख्या १५१७ के उत्तर में सदन पटल पर रखा गया था। आसाम के वन संरक्षक द्वारा शहतीर भेजने की दरें सुलभता से प्राप्त नहीं हैं और उन का पता लगाया जा रहा है।

(ग) भेजने के स्टेशन से लक्ष्य-स्थान तक रेलवे भाड़ा १० फ़ुट × १० इंच × ५ फ़ुट के शहतीरों पर १ रुपया १५ आने प्रति शहतीर पड़ा और अन्य माप के शहतीरों पर १ रुपया ८ आने ३ पैसे और १ पाई प्रति नग पड़ा।

मुख्य यांत्रिक, दामोदर घाटी निगम

*२२४०-क. **श्री कृष्ण चन्द्र:** क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के मुख्य यांत्रिक श्री एंड्रू एम० कोमोरा के साथ कोई सेवा-संविदा किया गया है, यदि किया गया है तो उक्त संविदे की क्या शर्तें हैं; और

(ख) क्या उन का संवरण वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूतावास की सहायता से किया गया था या टेनेसी घाटी प्राधिकारी और विश्व बैंक की सहायता से ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा) : (क) हां, श्रीमान्। सदन-पटल पर श्री एंड्रू एम० कोमोरा के साथ किये गये संविदे की प्रति रखी जाती है जिसमें उनकी सेवा सम्बन्धी निबन्धन तथा शर्तें भी हैं। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ५०**]

(ख) उनका संवरण वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूतावास की ओर टेनेसी घाटी प्राधिकारी की सहायता से किया गया था। उसे विश्व बैंक का समर्थन भी प्राप्त था।

अनुज्ञप्ति के बिना नमक का निर्माण

*२२४१. **श्री नानादास :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) नेलौर ज़िले में इस्कापल्ली के नमक कारखाने के पास के क्षेत्र में अनुज्ञप्ति के बिना जो नमक निर्माण होता है उस का कितना भूमि-क्षेत्र है;

(ख) ऐसे अनुज्ञप्ति के बिना निर्माण करने वालों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार की भूमि में कोई ऐसी कच्ची सड़क है जो इस्कापल्ली नमक कारखाने के पास के अनुज्ञप्ति-विहीन नमक-क्षेत्रों को जाती है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) लगभग ४३५ एकड़।

(ख) लगभग ४००।

(ग) हां, परन्तु यह सड़क अंशत: केन्द्रीय सरकार की भूमि में से और अंशत: राज्य सरकार की भूमि में से जाती है।

जम्मू तथा काश्मीर में प्रसारण केन्द्र

*२२४२. **श्री यू० एम० त्रिवेदी :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर के प्रसारण केन्द्र भारत सरकार के नियंत्रण में हैं, यदि नहीं तो क्यों नहीं;

(ख) क्या कारण है कि जम्मू तथा श्रीनगर केन्द्र अपने आपको काश्मीर रेडियो कहते हैं और आकाशवाणी (आल इंडिया रेडियो) नहीं कहते; और

(ग) क्या काश्मीर रेडियो कोई ग़ैर-सरकारी निकाय है, यदि है तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) नहीं। इस पर राज्य के वित्तीय एकीकरण के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।

(ख) तथा (ग). जम्मू तथा श्रीनगर केन्द्र जम्मू तथा काश्मीर सरकार के हैं।

ऐतिहासिक महत्व के स्थानों पर क़बजा किये हुए विस्थापित व्यक्ति

*२२४३. **श्री तेलकीकर:** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि कुछ विस्थापित व्यक्तियों ने दिल्ली में ऐतिहासिक महत्व के स्थानों पर क़ब्ज़ा किया हुआ है,

(ख) क्या वे क़ब्ज़े अप्राधिकृत हैं;

(ग) यदि इसका उत्तर हां ' में है तो सरकार इस मामले में क्या पग उठाना चाहती है; और

(घ) क्या विस्थापित व्यक्तियों ने इन भवनों या स्मारकों के किन्हीं भागों को क्षति पहुंचाई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) से (ग). विभाजन के पश्चात् ऐतिहासिक महत्व के कुछ स्थानों पर विस्थापित व्यक्तियों ने अप्राधिकृत क़ब्ज़ा कर लिया था। उस के पश्चात् सभी महत्वपूर्ण स्थानों को खाली करवा लिया गया है और क़ब्ज़ा करने वालों को वैकल्पिक स्थान दे दिये गये हैं।

(घ) जानकारी एकत्र की जा रही है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना (अनिवार्य-कटौती)

*२२४४. **श्री के० सुब्रह्मण्यम्:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दिल्ली के परिवहन श्रमिकों ने उन की मजूरी में से कर्मचारी राज्य बीमा योजना के लिये अनिवार्य कटौती पर विरोध प्रकट किया है; और

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर 'हां' में है तो क्या सरकार ने उनके अभिवेदन पर कोई कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) कर्मचारी बीमा अधिनियम के अधीन विमुक्ति के लिये दिल्ली ट्रामपथ संघ का एक अभिवेदन दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकारी को प्राप्त हुआ था। इस अभिवेदन के आधार पर दिल्ली राज्य सरकार ने एक आवेदन-पत्र भेजा था कि दिल्ली ट्रामपथ को, जो दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकारी के अधीन एक अनुसहायक संस्था है, विमुक्त कर दिया जाये।

(ख) सरकार का विचार है कि निगम की वित्तीय-व्यवस्था की रक्षा के लिये, धारा ८७ के अन्तर्गत शक्तियों को, जो सामर्थ्यदायी हैं, यथासम्भव कम काम में लिया जाये। दिल्ली राज्य सरकार द्वारा विमुक्ति के लिये भेजे गये आवेदन-पत्र पर विचार हो रहा है।

राजस्थान में विस्थापित परिवारों के लिये कृषि भूमि

*२२४५. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उन विस्थापित परिवारों की संख्या जिन्हें राजस्थान के नहरी-क्षेत्र में कृषि भूमि दी गई है;

(ख) उन विस्थापित परिवारों की सख्या जिन्हें राजस्थान में कृषि भूमि (बिना सिंचाई वाली) दी गई हैं; और

(ग) क्या उन लोगों के पुनःस्थापन के लिये, जिन्होंने कृषि कार्य अपना लिया है, लगान में आंशिक छूट के रूप में कोई रियायत दी गई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) तथा (ख). जानकारी संकलित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) प्रथम वर्ष में मत्स्य में राजस्व की माफ़ी दी गई थी, परन्तु वास्तव में प्रथम दो वर्षों तक कोई राजस्व वसूल नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार को विशिष्ट मामलों में माफ़ी देने की शक्ति दे दी गई है।

कार्य केन्द्र

*२२४६. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) विस्थापित व्यक्तियों को प्रशिक्षण तथा कार्य देने के लिये राजस्थान और बीकानेर में कितने कार्य केन्द्र खोले गये हैं;

(ख) ३१ मार्च को इन केन्द्रों में कितने व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे; और

(ग) १९५१-५२ में इन केन्द्रों पर कितना व्यय किया गया ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) सात, जिन में से एक बीकानेर में है ।

(ख) ८७२ ।

(ग) लगभग १,५१,००० रुपये

हैदराबाद में नदी घाटी योजनायें

*२२४७. **श्री एच० जी० वैष्णव :** क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) हैदराबाद राज्य में प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन सी नदी घाटी योजनायें आरम्भ की गई हैं; और

(ख) इन योजनाओं पर केन्द्र तथा राज्य सरकार कितना कितना व्यय करेगी ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा): (क) तुगंभद्रा, राजोलीबन्दा और गोदावरी का प्रथम प्रक्रम ।

(ख) इन्हें कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। तुंगभद्रा के विषय में, केन्द्रीय सरकार ऋण दे कर राज्य सरकार को सहायता कर रही है।

लंका के लिये अमिट स्याही

*२२४८. **श्री तेलकीकर:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या लंका सरकार ने अपने हाल ही के साधारण निर्वाचनों में प्रयोग के लिये अमिट स्याही की कोई मांग की थी; और

(ख) यदि की थी तो कितनी की ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): नहीं; श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नेलोर में अभ्रक की खानें

*२२४९. **श्री नानादास :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) नेलोर ज़िले में अभ्रक की खानें ;

(ख) सौ फ़ुट से अधिक गहराई वाली अभ्रक की खानें; और

(ग) जिन खानों में बिजली की रोशनी, लिफ्ट तथा वायु खीचने वाले पंखे लगे हुए हैं उनकी संख्या ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) लगभग २००, जिन में से १३५ इस समय चालू हैं।

(ख) इकतीस।

(ग) बारह अभ्रक खानें बिजली का प्रयोग कर रही हैं। उनमें मनुष्यों के शैफ्ट नहीं हैं। तीन खानों में हवा के आने जाने के लिये पंखे लगा दिये गये हैं और एक अन्य खान में भी पंखा लग रहा है।

हैदराबाद में सीमेंट के कारखाने

***२२५०. श्री एच० जी० वैष्णव:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हैदराबाद में चल रहे सीमेंट के कारखानों की संख्या ;

(ख) सन् १९५१ में इन कारखानों में सीमेंट का उत्पादन कितना हुआ; और

(ग) हैदराबाद राज्य से कितनी सीमेंट का निर्यात हुआ ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) एक।

(ख) १,८६,३१६ टन।

(ग) १,१४,८४८ टन सीमेंट पड़ौस के राज्यों को भेजा गया। भारत के बाहर कोई मात्रा निर्यात नहीं हुई :

हैदराबाद में कागज़ की मिलें

***२२५१. श्री एच० जी० वैष्णव:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करगे:

(क) हैदराबाद राज्य में चल रही काग़ज़ की मिलों की सख्या ;

(ख) सन् १९५१ में इन मिलों में काग़ज़ का उत्पादन; और

(ग) क्या इन मिलों ने निर्मित क़ाग़ज़ राज्य के बाहर भेजा जाता है, यदि भेजा जाता है तो कितना ?

वाणिज्य, तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक।

(ख) तथा (ग). ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

आसाम कोयला खानों की श्रम कल्याण निधि

***२२५२. श्री के० पी० त्रिपाठी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आसाम की कोयला खानों से (प्रति वर्ष) भम-कल्याण निधि के लिये कितना उप-कर लिया गया;

(ख) क्या वह निधि खर्च कर दी गई है यदि कर दी गई है तो किन प्रयोजनों के लिये ;

(ग) उस निधि की व्यवस्था कौन कर रहा है; और

(घ) क्या इस प्रयोजन के लिये कोई भवन-व्यवस्था मंडली बनाई गई है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि : (क)

वर्ष		रुपये (निकटतम सहस्र संख्या)
१९४४-४५		१,०००
१९४५-४६		७४,०००
१९४६-४७		६०,०००
१९४७-४८		८९,०००
१९४८-४९		९१,०००
१९४९-५०		१,२२,०००
१९५०-५१		१,४४,०००
१९५१-५२	(अनुमान)	१,३०,०००

(ख) हां । १९४४-४५ से १९५१-५२ के वर्षों में मलेरिया-निरोधक उपायों, खान के मुख पर स्नानागारों के निर्माण और सामान्य प्रशासन भारों पर लगभग ३,१०,००० रुपये व्यय किये गये ।

(ग) भारत सरकार का श्रम मंत्रालय, कोयला खान श्रम कल्याण निधि मंत्रणा समिति, वित्त उपसमिति, कोयला-क्षत्र उप-समितियों (आसाम की एक उपसमिति सहित) तथा भवन-व्यवस्था मंडली की सहायता से करता है ।

(घ) हां ।

आसाम तैल समवाय के कर्मचारी

*२२५३. **श्री जे० एन० हजारिका :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आसाम तैल समवाय, आसाम में नियुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या ;

(ख) समवाय में अभारतीयों की संख्या; और

(ग) उच्च श्रेणी के पदाधिकारियों की नियुक्तियां किस आधार पर की जाती हैं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उप-मंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) ७,५०० लगभग ।

(ख) तथा (ग). जानकारी संकलित की जा रही है ।

आसाम तैल समवाय के उत्पाद

*२२४५. **श्री जे० एन० हजारिका :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आसाम तैल समवाय डिगबोई के कौन कौन से उत्पाद तथा उप-उत्पाद विदेशों को निर्यात किये जाते हैं; और

(ख) क्या पेट्रोल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के भावों के विनियमन तथा नियत्रंण के लिये कोई व्यवस्था है, यदि है तो क्या है और कैसे चल रही है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उप-मंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) विदेशों को केवल पेरेफिन मोम का ही निर्यात होता है ।

(ख) तैल समवाय पेट्रोलियम उत्पादों के विक्रय-मूल्य सरकार द्वारा स्वीकृत सूत्र के आधार पर निश्चित करते हैं। आयातित तथा देशी दोनों प्रकार के तेल की चालू मूल्य-व्यवस्था में मूल मदें ये ह : एफ० ओ० बी० (परिवहन का भाड़ा), मेक्सिको की खाड़ी के पत्तनों पर संभरण की लागत तथा अबदन से भारतीय पत्तनों तक का समुद्री भाड़ा ।

कोयला खान श्रमिकों के लिये मकान

*२२५५. **डा० एन० बी० खरे :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विहार में कोयले खानों के श्रमिकों के लिये मकानों के निर्माण के संबन्ध में कार्य-सम्पन्न करने के लिये सरकार का अपना सार्वजनिक निर्माण-कार्य अभिकरण है ;

(ख) यह पृथक अभिकरण क्यों बनाया गया है ;

(ग) यह कार्य केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा क्यों नहीं करवाये जाते ; और

(घ) इन दोनों अभिकरणों के दर तुलना म कैसे है?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) हां ।

(ख) तथा (ग). १९४७ तक, इस निधि के भवनों का निर्माण कार्य केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपा हुआ था। उस वर्ष के अंत में, कोयला खान श्रम कल्याण निधि मंत्रण समिति ने, जो कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९४७ के प्रशासन के विषय में भारत सरकार को मंत्रणा देती है, यह सिपारिश की थी यह काम उनके अधीन तथा उनके अपने इंजीनियरिंग कर्मीवृंद के अधीन होना चाहिये, ताकि वे भवन-निर्माण की योजनाओं पर अधिक नियंत्रण तथा निरीक्षण रख सकें। एक और भी महत्वपूर्ण विचार यह था कि इस पृथक संस्था पर उससे कम लागत आयेगी जो केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग को देनी पड़ती थी। भारत सरकार ने इस सिपारिश को स्वीकार कर लिया।

(घ) मेरा समाधान हो गया है कि इस कार्य को केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा करवाने में जो व्यय होता है उस की तुलना में दर ठीक रहेंगे।

भवन-निर्माण कार्य को पूरा करना

*२२५६. **डा० एन० बी० खरे:** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या विविध मंत्रालयों ने एम० ई० एस० तथा केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त अन्य अभिकरणों को भी कार्य दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कार्य क्या हैं और उनकी राशियां क्या क्या हैं; और

(ग) खडकवसला की प्रतिरक्षा अकादमी और खनिकों के हटमेन्टों और रक्षित बंक के मुख्यालय के भवन और निवास क्वार्टरों के बनाने का कार्य केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग क्यों नहीं कर रहा है?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) हां, श्रीमान्।

(ख) यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य किस कालावधि के बारे में जानकारी चाहते हैं।

मुझे ऐसे सभी कार्यों के विषय में पूरी जानकारी संकलित करने के लिये अधिक लम्बी सूचना की भी अपेक्षा होगी।

(ग) केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग की संहिता के अनुसार, उसके द्वारा केवल केन्द्रीय सरकार के "असैनिक" भवनों का निर्माण ही अपेक्षित है। खडकवसला की प्रतिरक्षा अकादमी, खनिकों के हटमेन्ट और रक्षिक बंक का मुख्य भवन इस कोटी में नहीं आते।

कृत्रिम रेशम (आयात)

*२२५७. **श्री एस० एम० घोष:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि कृत्रिम रेशम के धागे के अतीव उदार आयात का हमारे अपने रेशम उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा है;

(ख) कृत्रिम रेशम के धागे के ऐसे बड़े पैमाने पर आयात की अनुमति देने का क्या मुख्य कारण है और सरकार ने किस आधार पर ऐसा किया; और

(ग) क्या देश में ऐसे बड़े पैमाने पर कृत्रिम रेशम के धागे के आयात की अनुमति देने से पहले रेशम मंडली से परामर्श किया गया था?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) से (ग). कृत्रिम रेशम के धागे का आयात केवल आवश्यकता

क अनुसार किया गया था, और सरकार ने इस प्रश्न पर रेशम मंडली से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं समझी।

कच्चे पटसन के रखने के गोदाम

*२२५८. **श्री जी० एल० चौधरी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) इस समय भारत में कच्चे पटसन के रखने के लिये कितने गोदाम हैं ;

(ख) उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या और स्थान ;

(ग) क्या कच्चे पटसन के वर्तमान गोदाम देश की आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त हैं ;

(घ) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो क्या सरकार नये गोदामों के बनाने का विचार कर रही है ; और

(ङ) उनमें से उत्तर प्रदेश में कितने होंगे और किन स्थानों पर होंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) से (ङ). कच्चे पटसन को रखने की व्यवस्था वे ही लोग करते हैं जिनका इस व्यापार से सम्बन्ध है। भारत सरकार कच्चे पटसन के गोदामों के आंकड़े नहीं रखती और न उसका विचार सरकार की ओर से कोई ऐसा गोदाम बनाने का ही है।

मद्रास में सरकारी चमडा कारखाना

*२२५९. **श्री इलयापेरुमल:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने १९५२-५३ में मद्रास राज्य स्थित केन्द्र सरकार द्वारा संचालित चमड़ा-कारखाने के लिये कुल कितनी राशि मंजूर की ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): मद्रास राज्य में कोई सरकारी चमड़ा-कारखाना नही है। यदि माननीय सदस्य का आशय केन्द्रीय चमड़ा गवेषणा संस्था, मद्रास से है जिसे वैज्ञानिक तथा औद्योकिग गवेषणा परिषद् संचालित करती है तो उसके लिये १९५२-५३ में निम्नलिखित राशियां मंजूर की गई थी ।

९,५०,००० रुपये अनावर्तक।

३,८३,९०० रुपये आवर्तक।

बेल्टिग के कारखाने में छंटनी

*२२६०. **श्री तुषार चटर्जी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि उत्पादन में कमी के कारण पश्चिमी बंगाल के बेल्टिंग के कारखाने में बड़े पैमाने पर छंटनी हो रही है;

(ख) यदि ऐसा है तो कारखानों के अलग अलग छंटनी के आंकड़े ;

(ग) क्या यह तथ्य है कि इन कारखानों में उत्पादन की कमी का कारण यही है कि ये कारखाने विदेशी आयात से प्रतियोगिता में असमर्थ हैं ; और

(घ) यदि ऐसा है तो सरकार विदेशों से बेल्टिग के आयात को बन्द करने के लिये क्या पग उठाने वाली है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) जहां तक मुझे ज्ञात है अभी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) अप्रैल १९५२ को छोड़कर, १९५२ के पूर्वार्ध में १९५१ की तुलना में कोई कमी नहीं हुई।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कोयला खनिकों के लिये पीने का पानी

*२२६१. **श्री पी० आर० राव :** क्या श्रम मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारतीय खान अधिनियम, १९५२ के खंड सं० १९ के अनुसार हैदराबाद की कोठागुदयम तथा बेलमपल्ली की कोयला खानों में खनिकों को भूगर्भ में ठंडा तथा अच्छा पीने का पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो उसकी व्यवस्थाकरने की क्या कोई प्रस्थापना है ; और

(ग) यदि है तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) पीने का पानी ट्रालियों पर लगी टंकियों से भूगर्भ में पहुंचाया जाता है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारत में निष्क्रान्त सम्पत्ति

*२२६२. **ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर :** क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार भारत स्थित निष्क्रान्त सम्पत्ति का मूल्यांकन निकट भवष्यि में करने वाली है ;

(ख) यदि ऐसा है तो उसमें कितना समय लगने की आशा है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो सरकार विस्थापित व्यक्तियों के मूल्यांकित दावों का वास्तविक भगतान के साथ अनुपात किस प्रकार निश्चित करना चाहती है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) हां। मूल्यांकन हो रहा है।

(ख) ३१ दिसम्बर १९५२ तक।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मद्रास में फ़ाउन्टेन पेनों का निर्माण

*२२६३. **श्री जी० एल० चौधरी :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि जापान के पेन-निर्माण समवाय ने मद्रास में लाल पहाड़ियों के निकट एक पेन-निर्माण समवाय खोलने का विनिश्चय किया है ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर हां में है तो वहां प्रतिवर्ष कितने पेनों का निर्माण होगा ; और

(ग) देश में फाउन्टेन पेनों की कितनी वार्षिक मांग है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) नहीं श्रीमान्। मद्रास के एक व्यक्ति श्री परनज्योति ए० संजीवी ने जापान से फाउन्टेन पेन निबों के निर्माण के लिये ५०,००० रुपये की कलें मंगाने के लिये अनुज्ञप्ति मांगी थी और वह ९ जनवरी १९५२ को दे दी गयी। इसी व्यक्ति ने एक और आवेदन-पत्र फाउन्टेन पेनों के भागों के निर्माण के लिये जापान से कलें मंगाने की अनुज्ञप्ति के लिये दिया है, जिस पर विचार किया जा रहा है।

(ख) तथा (ग). सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

बेलग्रेड में भारतीय राजदूतावास

*२२६४. **श्री के० सुब्रह्मण्यम :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बेलग्रेड में एक पूर्ण राजदूतावास स्थापित करने और यूगोस्लैव सरकार ने हमारे प्रति जो शिष्टता प्रदर्शित की है उसके बदले में वैसा ही करने की प्रस्थापना है ;

(ख) बेलग्रेड में पृथक राजदूतावास रखने के लिये कितना अतिरिक्त धन अपेक्षित होगा ; और

(ग) क्या यूगोस्लैव सरकार ने किसी समय यह प्रार्थना की है कि बेलग्रेड में पृथक रादूतावास रखा जाये ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) भारत सरकार बेलग्रेड में प्रथम सचिव के भाराधीन एक कार्यालय खोलने के प्रश्न पर विचार कर रही है। यह मंशा है कि हमारा इटली-स्थित राजदूत अब के समान बेलग्रेड में भी कार्य करता रहे।

(ख) बेलग्रेड के कार्यलय का अनुमानित व्यय प्रथम वर्ष में १,६५,२०० रुपये तथा अनुवर्ती वर्षों में १,२१,२०० रुपये होगा।

(ग) हां।

यूगोस्लाविया से व्यापार

*२२६५. **श्री के० सुब्रह्मण्यम् :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) यूगोस्लाविया के साथ १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में भारत के व्यापार का परिमाण ;

(ख) उपरोक्त वर्षों में उस देश से आयातिक माल तथा उस को निर्यातित माल;

(ग) क्या यूगोस्लाविया के माल के भाव शेष पूर्वी यूरोप के देशों और सोवियत संघ में प्राप्त वैसे ही माल के मूल्यो की तुलना में कम हैं ; और

(घ) क्या अंतर्राष्ट्रीय उद्योग प्रदर्शनी में जो हाल ही में दिल्ली में हुई थी, दिखाई गई यूगोस्लैव कलें हमारे उद्योगों के लिये उपयोगी हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। [**देखिये परिशिष्ट १० अनुबन्ध सं० ५१**]

(ग) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

(घ) सरकार इस मामले पर कोई राय देने में असमर्थ है।

दिल्ली अजमेर मारवाड़ किराया नियंत्रण अधिनियम

*२२६५-क. **पंडित ठाकुर दास भार्गव :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दिल्ली अजमेर मारवाड़ किराया नियंत्रण अधिनियम (१९५२) किस तारीख से लागू हुआ ;

(ख) क्या उस अधिनियम की विविध धाराओं के प्रवर्तन के लिये निर्देशित नियम बना दिये गये हैं ;

(ग) यदि ऐसा है तो कब ; और

(घ) क्या यह तथ्य है कि नियम न बनने के कारण अधिनियम की कई धाराओं का प्रवर्तन निलम्बित है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) ९ जून १९५२।

(ख) और (घ). इस अधिनियम के अंतर्गत नियम नहीं बनाये गये हैं परन्तु इन नियमों की अनुपस्थिति से इस अधिनियम के उपवन्धों के कार्यान्वित्त होने पर कोई सारवान प्रभाव नहीं पड़ता।

(ग) नियमों के मसौदे पर विचार किया जा रहा है और अधिक विलम्ब के बिना ही उन्हें लागू कर दिया जायेगा।

एकस्व जांच समिति

*२२६५-ख. **पंडित ठाकुर दास भार्गव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) डा० बख्शी टेक चन्द के सभापतित्व में एकस्व जांच समिति कब नियुक्त हुई थी ;

(ख) उसका अंतरिम प्रतिवेदन कब दिया गया था और उसकी मुख्य सिपारिशें क्या थीं ;

(ग) सरकार ने उसकी सिपारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या पग उठाये ; और

(घ) अंतिम प्रतिवेदन कब दिया गया था और सरकार ने उसकी सिपारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या पग उठाये थे ?

वाणिज्य तथा उद्योग उप मंत्री (श्री करमरकर) : (क) १ अक्तूबर १९४८।

(ख) अंतरिम प्रतिवेदन ४ अगस्त १९४९ को दिया गाय था । समिति की मुख्य सिपारिशें ये थीं।

(१) कि किसी निहित हित वाले को यह अधिकार होना चाहिये कि वह कुछ आधारों पर अनिवार्य अनुज्ञप्ति या एकस्व के प्रति संहरण के लिये आवेदन-पत्र दे सके ;

(२) कि एकस्व के अधिकारों के दुरुपयोग के विरुद्ध अनुतोष प्राप्त करने के लिये एकस्वों तथा रूपांकनों के नियंत्रक के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ करना संभव होना चाहिये ; और

(३) कि नियंत्रक के आदेश की अपील केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम-निर्देशित तदर्थ विशेष न्यायाधिकरण के पास होनी चाहिये।

(ग) इन सिपारिशों को प्रायः कार्यान्वित करन के विषय में अप्रैल १९५० में भारतीय एकस्व तथा रूपांकन (संशोधन अधिनियम, १९५० (१९५० का सं० ३२) पारित किया गया।

(घ) अंतिम प्रतिवेदन ३० अप्रैल १९५० को पेश किया गया था और विचाराधीन है।

भारतीय खान अधिनियम, १९५२

*२२६६. **श्री विट्टल राव :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वे राज्य (भाग क तथा ख) जहां भारतीय खान अधिनियम, १९५२, पूर्णतः लागू कर दिया गया है ;

(ख) वे राज्य (भाग क तथा ख) जहां भारतीय खान अधिनियम, १९५२ के केवल कुछ ही उपबन्ध लागू किये गये हैं, और वे उपबन्ध, जो कि वहां लागू किये गये हैं ; और

(ग) सरकार ३१ दिसम्बर १९५३ तक, जैसा कि अधिनियम में उपवन्धित है, इस अधिनियम को लागू करना सुनिश्चित करने के लिये क्या पग उठा रही है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) से (ग). खान अधिनियम, १९५२ को, उस अधिनियम की धारा १ की उपधारा (३) के अधीन एक अधिसूचना निकाल कर, पहली जुलाई १९५२ से , जम्मू तथा काश्मीर को छोड़ कर समस्त भारत में, पूर्णतः लागू कर दिया गया है।

परन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यदि भारतीय खान अधिनियम, १९५२ की धारा ४६ को लागू कर दिया जिसके अनुसार कोई स्त्री दिन में या रात्रि में खान के किसी भाग में, जो पास के धरातल से नीचा हो, नियोजित नहीं की जायेगी, तो बहुत सी स्त्रियां बेकार हो जायेंगी, यह निश्चय किया गया है कि स्त्रियों को केवल खुले स्थानों पर नियोजित करने दिया जाये, और इस

के लिये अधिनियम की धारा ८३ के अधीन विमुक्ति दे दी गई है।

हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड का अभ्यावेदन

*२२६७. **श्री एच० एन० मुखर्जी:** क्या **उद्योग तथा वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड ने उत्पादन बन्द करने से पूर्व तथा उसके पश्चात् कोई अभिवेदन दिया था, यदि दिया था तो उसका विस्तृत विवरण ;

(ख) क्या इस कारखाने की कारें, उतने ही हार्स-पावर की अन्य कारों (१) विदेशों से आयातित अथवा (२) भारत म फिट की हुई कारों से सस्ती हैं ;

(ग) क्या किसी भारतीय उत्पादकों ने भी सरकार को इस प्रकार के अभिवेदन दिये हैं ;

(घ) क्या कारों के आयात को निर्बन्धित करने के लिये कोई पग उठाने का विचार है ; और

(ङ) क्या सरकार के पास राज्य के उद्यम के रूप में मोटर कारखाने बनाने की कोई योजना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) इस फर्म ने अप्रैल १९५२ में कुछ अभ्यावेदन किये थे जिनमें उन्होंने यह भी कहा था कि यदि उनके स्टाक की हालत सुधरेगी नहीं तो उन्हें कारखाना बंद करना पड़ेगा। उन्होंने इस के पश्चात् अन्य पत्र भी भेजे हैं।

(ख) हिन्दुस्तान मोटर्स का सूची-मूल्य ११,०७५ रुपये है। इस श्रेणी की अन्य कारों का सूची-मूल्य अधिक है।

(ग) कुछ मोटरें फिट करने वालों में एसे ही तथा अन्य मामलों पर अभिवेदन किये ह।

(घ) १९५२ के उत्तरार्ध के लिये आयात नीति की अभी घोषणा नहीं की गई है।

(ङ) नहीं, श्रीमान्।

भट्टी का तेल

*२२६८. **डा० अमीन :** क्या **निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जनवरी–दिसम्बर १९५० में, जनवरी-दिसम्बर १९५१ में और जनवरी-जून १९५२ की कालावधियों में विविध देशों से आयातित भट्टी के तेल की मात्रा;

(ख) उपरोक्त कालावधियों में जिन फर्मों ने भट्टी के तेल का आयात किया उनके नाम, आयातित मात्रा और आयात के पत्तन पर लिया गया मूल्य जिसमें शुल्क भी सम्मिलित है ;

(ग) उपरोक्त कालावधियों में निर्यात के स्थानों पर प्रति टन औसत उपभोक्ता मूल्य, प्रतिटन नौवहन के भाड़े और प्रति टन आयात शुल्क ;

(घ) क्या यह तथ्य है कि तैल समवायों का एकाधिपत्य हमारे देश के हितों के विरुद्ध कार्य कर रहा है ; और

(ङ) यदि उक्त भाग (घ) का उत्तर हां में है तो सरकार इस एकाधिपत्य को समाप्त करने के लिये क्या पग उठाना चाहती है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना देते हुए तीन विवरण सदन-पटल पर रखे जाते हैं। [**दखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ५१**]

(घ) नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हड्डियों का चूरा

*२२६९. **श्री यू० एम० त्रिवेदी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ;

(क) क्या मध्य भारत में हड्डियों पर कोई निर्यात शुल्क है ;

(ख) क्या राजस्थान से हड्डियों के निर्यात पर कोई रोक है ; और

(ग) इस का मध्य भारत के हड्डियों के चूरे के कारखानों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) हां, श्रीमान्।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मूंगफली (निर्यात)

*२२७०. **श्री मुनिस्वामी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत के मूंगफली उत्पादकों को वृत्तिक निर्यात फर्मों से स्वतंत्र रूप में अपने उत्पादों को भारत से बाहर बेचने की सुविधाएं दी जाती हैं ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर हां में हो तो इस व्यापार को करने वाले कौन कौन से उत्पादकों के संगठन हैं ; और

(ग) यदि उत्तर नकारात्मक है तो ऐसी सुविधाएं न देने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) से (ग). क्योंकि अब मूंगफली का निर्यात नहीं करने दिया जाता, अतः उसके उत्पादकों को अपने उत्पादों के निर्यात के लिये सुविधाएं देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। तेल के उत्पादकों को तेल की निर्यात अनुज्ञप्तियां मिल सकती हैं।

मेंगनीज

*२२७१. **सरदार ए० एस० सहगल:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि मध्य प्रदश राज्य के मेंगनीज़ की मांग विदेशों से कम हो गई है ;

(ख) मध्य प्रदेश के किन जिलों पर इस मांग की कमी का प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) मांग में कमी होने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) नहीं, श्रीमान्, मध्य प्रदेश में जो कच्चा मेंगनीज़ होता है विदेशों से उसकी कुल मांग में कोई कमी नहीं हुई है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता।

हीराकुड की कर्मशाला

*२२७२. **डा० नटवर पांडे:** क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) (१) हीराकुड की कर्मशाला में पूर्ण कार्य ; (२) कर्मशाला पर पूंजी व्यय ; (३) विभिन्न बांध स्थानों पर कर्मशाला का औसत व्यय ; और (४) धन के रूप में पूर्ण कार्य ;

(ख) क्या यह तथ्य है कि कर्मशाला से कुछ डायनमों गैर-सरकारी व्यक्तियों को बेचने के लिये उड़ा दिये गये थे, और यदि ऐसा हुआ तो क्या उस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारियां की गई : और

(ग) क्या सरकार को इस आशय की कोई शिकायतें मिलीं हैं कि पुराने मोटर टायरों को ठीक करने के लिये कलकत्ते भेजा जा रहा है और वापिस आने पर नये टायरों का मूल्य चका दिया जाता है ?

योजना तथा सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सदन पटल पर रख दी जायेगी।

हीराकुड में मोटर चिकित्सा यान

*२२७३. **डा० नटवर पांडे** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) (१) क्या हीराकुड हस्पताल के लिये कोई मोटर चिकित्सा यान है, (२) हस्पताल में प्रतिवर्ष औषधि पर व्यय की जाने वाली कुल राशि. (३) चिकित्सा मोटर के लिये पट्रोल तथा मोबिल आयल पर व्यय की जाने वाली कुल राशि, (४) चिकित्सा मोटर पर कुल चालू व्यय जिसमें कर्मीवृन्द का व्यय भी सम्मिलित हो ; और (५) क्या उस यान का उचित कार्यों के अतिरिक्त भी प्रयोग होता है ; और

(ख) क्या यह तथ्य है कि पाठशाला जाने वाले बच्चों को उनके घरों से हीराकुड विद्यालय ले जाने के लिये एक बस है, यदि है तो उस पर कुल कितनी राशि व्यय होती है ?

योजना तथा सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) तथा (ख), जानकारी संकलित की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सदन-पटल पर रखदी जायेगी।

आकाशवाणी समाचार प्रसारण व्यवस्था

*२२७४. **श्री कण्डास्वामी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आकाशवाणी की समाचार प्रसारण व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण करने की कोई प्रस्तावना है ;

(ख) यदि है तो विकेन्द्रीकरण का आधार क्या होगा, प्रादेशिक या भाषायी ; और

(ग) यदि नहीं है तो क्या सरकार ऐसा पग उठाने की वांछनीयता पर विचार करने जा रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) आकशवाणी के विकेन्द्रीयकरण पर बहुत अतिरिक्त व्यय होगा क्योंकि प्रत्येक केन्द्र पर पृथक संपादकीय तथा अन्य कर्मीवृन्द रखने होंगे। प्रादेशिक भाषाओं के बुलेटिनों में स्थानीय समाचारों को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है जो धन की प्राप्यता पर निर्भर है।

पंचवर्षीय योजना का मसौदा

*२२७५. **श्री कण्डास्वामी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा का मसौदा कितनी भाषाओं में छपाया गया ; और

(ख) तामिल में कितनी प्रतियां छपवा कर बांटी गई ?

योजना तथा सिंचाई तथा विधुत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) तथा (ख). पंच वर्षीय योजना की रूप रेखा का मसौदा हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया है। कई भारतीय भाषाओं में अधिक संक्षिप्त रूपांतर प्रकाशित किये गये हैं। मैद्रास सरकार तामिल तथा तेलुगु में छै छै सहस्र प्रतियां प्रकाशित करवा रही है।

द्राविड़ प्रगतिशील दल क व्यक्तियों के लिये लंका के पारपत्र

*२२७६. **श्री कण्डास्वामी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि मद्रास राज्य के द्राविड़ प्रगतिशील दल के कुछ व्यक्तियों ने लंका में जून १९५२ में एक राजनैतिक संमेलन में भाग लेने के लिये पारपत्रों के लिये प्रार्थना की थी ; और

(ख) क्या उन में से किसी को पारपत्र देने से इंकार किया गया, यदि किया गया तो इंकार करने के कारण ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) तथा (ख). जहां तक हमें ज्ञात है द्राविड़ प्रगतिशील दल के किसी व्यक्ति ने लंका में जून १९५२ में एक राजनैतिक संमेलन में भाग लेने के लिये पारपत्रों के लिये आवेदन-पत्र नहीं दिये।

निष्क्रान्त सम्पत्ति

*२२७७. **श्री पटेरिया :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने सभी निश्क्रांत संपत्ति को अर्जित कर लिया है जिससे कि वह शरणार्थियों को उसके बदले में दी जा सके जो वे पाकिस्तान छोड़ आये हैं ;

(ख) तथाकथित निष्क्रांत संपत्ति-निधि का अनुमानित मूल्य क्या है ;

(ग) किस राशि तक पूरी राशि दी जायेगी और किस अंक से स्लैब पद्धति लागू की जायेगी ; और

(घ) शरणार्थियों ने कुल कितनी राशि की तस्दीक और दावे किये हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ऐं० पी० जैन) : (क) नहीं।

(ख) से (घ). इस प्रक्रम पर जानकारी नहीं दी जा सकती।

उत्तर प्रदेश को लौटने वाले मुस्लिम

*२२७८. **श्री एम० एल० अग्रवाल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) फरवरी से मई १९५० की कालावधि में उत्तर प्रदेश से पाकिस्तान को कितने मुस्लिमों ने प्रव्रजन किया ;

(ख) १९५० के भारत-पाकिस्तान क़रार के अन्तर्गत जो २३,९९१ मुस्लिम पुनर्वास के लिये लौटे उनमें १९५०, १९५१, और १९५२ में क्रमशः कितने कितने लौटे ;

(ग) क्या ऐसे मुस्लिमों के उत्तर प्रदेश में लौटने के लिये प्रथमतः कोई समय-सीमा निश्चित की गई थी, यदि की गई थी तो वह क्या थी ;

(घ) क्या इस समय-सीमा को बाद में बढाया गया था, यदि बढाया गया था तो कितनी बार और किस तारीख या तारीखों तक और किन अधिसूचनाओं के अन्तर्गत ;

(ङ) जो मुस्लिम अब भी पाकिस्तान में हैं वे किस तारीख तक उत्तर प्रदेश लौट सकते हैं ;

(च) क्या उन्हें किसी प्राधिकारी से कोई अनुज्ञा-पत्र लेने पड़ते हैं, यदि लेने पड़ते हैं तो किससे ;

(छ) ऐसे मुस्लिमों को भारत (उत्तर प्रदेश) लौटने के लिये क्या प्रक्रिया अपनानी होती है ; और

(ज) क्या उनके उत्तर प्रदेश लौटने पर कोई निर्बन्धन या शर्तें लगाई गई हैं, यदि हैं तो वे क्या हैं ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) ठीक ठीक आंकड़े प्राप्य नहीं हैं। परन्तु यह स्वीकार किया गया था कि इन नये प्रव्रजकों को भारत लौटने दिया जाये। पाकिस्तान सरकार ने भारत को लौटने के लिये ऐसे जिन मुस्लिमों को पंजीबद्ध

किया बताते हैं उनकी संख्या ९०,००० से ऊपर है ।

(ख) अब तक कुल २३,९९८ मुस्लिम लौटे हैं जिनकी वर्षानुसार संख्या निम्न प्रकार है :

१०,८३८--(१९५०)
११,६६२--(१९५१)
१,५००--(१९५२)

(ग) तथा (घ). प्रथमतः उत्तर प्रदेश को स्थायी रूप में लौटने के लिये अनुज्ञा-पत्र देने की जो समय-सीमा नियत की गई थी वह ३१ दिसम्बर १९५० थी । परन्तु भारत सरकार समय समय पर लौटने वाले आव्रजकों के कोटे, उत्तर प्रदेश सरकार और कराची स्थित उच्चायुक्त से परामर्श करके, निश्चित करती रही है । अब तक चार बार ये कोटे मंजूर किये गये हैं. अंतिम कोटा अप्रैल-मई १९५१ के लिये था जो अभी पूरा नहीं हुआ है । इसके विषय में कोई अधिसूचना नहीं निकाली गई ।

(ङ) तथा (च). अभी तक कोई अन्तिम तारीख निश्चित नहीं की गई है; जब तक पाकिस्तान सरकार की सूची में उत्तर प्रदेश से गये हुए नये प्रव्रजकों की संख्या समाप्त नहीं हो जाती तब तक भारत सरकार आवश्यक तस्दीक करके मुस्लिम-टोलियों को आने देती रहेगी । लौटने वाले प्रव्रजकों को पाकिस्तान में कराची स्थित भारतीय उच्चायुक्त से अनुज्ञा-पत्र लेने पड़ते हैं ।

(छ) तथा (ज). पाकिस्तान सरकार अर्वाचीन प्रव्रजकों की सूची कराची स्थित भारतीय उच्चायुक्त को भेजती है । उच्चायुक्त उन्हें संबंधित ज़िला प्राधिकारियों से तस्दीक के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को भेजता है । फिर उत्तर प्रदेश सरकार उच्चायुक्त को उन व्यक्तियों के नाम भेजती है जो पाकिस्तान से प्राप्त सूचियों में नये प्रव्रजक हैं । वह सीधे उच्चायुक्त को उन लोगों की भी सूचियां भेजती है जो पाकिस्तान के प्रव्रजक हैं और जिन के लौटने के विषय में उत्तर प्रदेश सरकार को उनके संबंधियों से या उन्हीं से आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं और ज़िला पदाधिकारियों ने जिनकी तस्दीक कर दी है । उच्चायुक्त उन व्यक्तियों के नाम अनुज्ञा-पत्र जारी कर देता है जिनके नाम दोनों सूचियों में हों, किंतु वह भारत सरकार द्वारा समय समय पर निश्चित कोटे की सीमा में ही ऐसा करता है । वे अनुज्ञा-पत्र फिर संबंधित प्रव्रजकों को वितरित करने के लिये पाकिस्तान सरकार के पास भेज दिये जाते हैं ।

केवल एक ही शर्त लगाई गई है कि यदि प्रव्रजक झूठे बहाने से लौटें अर्थात् यदि उत्तर प्रदेश से जाने की गलत तारीख देकर लौटें तो केवल इतना ही नहीं होता कि उन्हें उनकी संपत्ति नहीं लौटाई जाती, परन्तु उनके अनुज्ञापत्र भी रद्द कर दिये जा सकते हैं और उन्हें पाकिस्तान वापिस भेजा जा सकता है ।

तोल तथा माप

*२२७९. **श्री मेघनाद साहा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने तोल तथा माप संबंधी भारतीय मान संस्था विशेष समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है, जिसने तत्कालीन उद्योग महा-निदेशक के सभापतित्व में समवेत होकर देश के तोलों तथा मापों तथा मुद्राओं को तर्क संगत आधार पर लाने के लिये मूल्यवान सुझाव दिये थे ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : तोल तथा माप संबंधी भारतीय मान संस्था विशेष समिति ने १९४९ में एक प्रतिवेदन पेश किया था, जिसमें तोलों तथा मापों के लिये मैट्रिक प्रणाली और दशमलव आधारित मुद्रा चालू करने की सिफारिश की

गई थी। परन्तु इनके लागू करने में बहुत कार्य तथा व्यय होगा। सरकार के पास अन्य कई कार्य होने के कारण इस मामले को बाद में विचार के लिये स्थगित करना निश्चित हुआ। परन्तु इस पर पुनर्विलोकन हो रहा है।

पारपत्र

*२२७९-क. **सरदार ए० एस० सहगल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह तथ्य है कि भारतीय राष्ट्रजनों के, जो विदेशों में गये थे, पारपत्रों पर, भारत में वापिस प्रवेश करते समय मुहर लगादी जाती है और यह लिख दिया जाता है "To enter India" (भारत में प्रवेशार्थ); और

(ख) भारतीय राष्ट्रजनों के पार-पत्रों पर मुहर लगाने के कारण क्या हैं ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) तथा (ख). भारत सरकार को पता लगा है कि कुछ मामलों में भारतीय राष्ट्रजनों के पार पत्रों पर प्रवेश-पत्तन पर यह मुहर लगा दी गई "permitted to land" (आने की अनुज्ञा दी गई)। क्योंकि यह चीज़ अनियमित थी अत: भारत सरकार ने हिदायतें दे दी हैं कि यह बन्द हो जानी चाहिये।

यथार्थ जीवन तथा यात्रा सम्बन्धी चलचित्र

*२२८०. **श्री एन० एस० जेन :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यथार्थ जीवन तथा यात्रा संबंधी चलचित्रों के विषय में सरकार की आवश्यकताओं का विज्ञापन किया जाता है और उसके लिये टेंडर मांगे जाते हैं ;

(ख) इन चलचित्रों को कौन प्राधिकारी स्वीकार करता है ;

(ग) १६ मिलीमीटर तथा ३५ मिली-मीटर के चित्रों के लिये पृथकत: कितना मूल्य प्रति फ़ुट है ; और

(घ) क्या ये मंत्रालय द्वारा सीधे ही खरीदे जाते हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) यथार्थ जीवन चित्रों के गैर-सरकारी उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये, सरकार ने गैर-सरकारी उत्पादकों के द्वारा उत्पादन के लिये कोटा रक्षित कर दिया है। सरकार की सामान्य आवश्यकताओं का विज्ञापन किया जाता है और विज्ञापन का उत्तर देने वालों में से चुने हुए उत्पादकों से टेंडर मांगे जाते हैं।

(ख) भारत सरकार चलचित्र मंत्रणा मंडली की राय पर चलचित्रों को स्वीकार करती है।

(ग) सरकार ने ३५ मिलिमीटर के जो चित्र खरीदे हैं उनके लिये अब तक १० से १२ रुपये प्रति फ़ुट मूल्य दिया गया है। इसके अतिरिक्त १६ मिलीमीटर के रंगीन चित्रों की प्रतियां भी खरीदी गई हैं जिनका मूल्य सात आने से सवा रुपया प्रति फ़ुट चुकाया गया है।

(घ) हां, श्रीमान्।

समाचार-चित्र तथा यथार्थ जीवन चित्र (स्वीकृति)

*२२८१. **श्री एन० एस० जैन :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) यथार्थ जीवन तथा समाचार संबंधी चित्रों के विषय में 'स्वीकृत चल चित्र' का क्या अर्थ है ;

(ख) स्वीकृति का प्रमाण पत्र देने वाले निकाय की क्या रचना है ;

(ग) गत चार वर्षों में गैर-सरकारी उद्यम द्वारा ऐसे कितने चित्र बनाये गये जिन को स्वीकृति के प्रमाण-पत्र दिये गये ;

(घ) क्या सरकार की यह नीति है कि ऐसे चित्र बनाने के लिये गैर-सरकारी उत्पादकों को प्रोत्साहन दे ; और

(ङ) क्या विदेशों में निर्मित समाचार चित्रों तथा यथार्थ जीवन चित्रों को भारत में प्रदर्शित करने से पूर्व ऐसे स्वीकृति प्रमाण-पत्र लेने के लिये कोई नियम हैं, यदि नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) 'स्वीकृत चल चित्र' का अर्थ वह चित्र है जिसे सिनेमा-अनुज्ञप्ति की इस शर्त के प्रयोजन के लिये भारत सरकार या राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया हो जिसके अनुसार ऐसे चलचित्रों के निश्चित फ़ट माप का प्रदर्शन अपेक्षित है ।

(ख) भारत सरकार चलचित्र मंत्रणा मंडली की सिफारिशों पर स्वीकृति-प्रमाण-पत्र देती है ।

(ग) भारत सरकार ने गैर-सरकारी उत्पादकों द्वारा निर्मित चलचित्रों के विषय में स्वीकृति-प्रमाण-पत्र दिये हैं। राज्य सरकारों ने जो स्वीकृति-प्रमाण-पत्र दिये उनकी संख्या के बारे में जानकारी संकलित की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) हां, श्रीमान् ।

(ङ) विदेशों में निर्मित चलचित्रों के लिये अलग नियम नहीं हैं, प्रत्येक चलचित्र पर चाहे वह देशी हो या विदेशी, उसके गुणावगुण के अनुसार विचार किया जाता है ।

यथार्थ जीवन चित्र (उत्पादन-मूल्य)

*२२८२. **श्री एन० एस० जैन** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मंत्रालय के चलचित्र विभाग ने गत चार वर्षों में क्रमशः ३५ मिलीमीटर तथा १६ मिलीमीटर के जो यथार्थ जीवन चल चित्र बनाये उन का प्रति फ़ुट उत्पादन-मूल्य ;

(ख) मंत्रालय के चल चित्र विभाग ने गत चार वर्षों में क्रमशः ३५ मिलीमीटर तथा १६ मिलीमीटर के जो समाचार चित्र बनाये उनका प्रति फ़ुट उत्पादन-मूल्य ; और

(ग) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में गैर-सरकारी उत्पादकों को कहा कि वे सरकार को यथार्थ जीवन चित्र दें ; यदि कहा तो कब और उन्हें प्रति फुट कितना मूल्य देने की पेशकश की गई ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) तथा (ख) चलचित्र विभाग केवल ३५ मिलीमीटर के चित्र बनाता है ; उन्हीं को छोटा करके १६ मिलीमीटर की प्रतियां बनाली जाती हैं । यथार्थ जीवन चित्रों का उत्पादन मूल्य १० से २५ रुपये प्रति फुट होता है जो विषय पर निर्भर है और देश के विविध भागों में चित्र खींचने पर निर्भर है। समाचार चित्रों का उत्पादन मूल्य लगभग १० रुपये प्रति फुट है ।

(ग) हां, श्रीमान् । जो भाव देने की पेशकश की गई थी वे ८ से १५ रुपये प्रति फ़ुट के बीच में थे।

हीराकुड के लिये शहतीर

*२२८४. **श्री आर० एन० एस० देव** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) (१) क्या यह तथ्य है कि हीराकुड के लिये घटिया किस्म के देवदार के

शहतीरों का आर्डर पंजाब के एक संभरक श्री जवाहरलाल भल्ला को दिया गया, जब कि सम्बलपुर तथा उड़ीसा के अन्य भागों में बढ़िया किस्म के सांल के शहतीर उपलब्ध हैं ;

(२) यदि (१) का उत्तर 'हां' में है तो क्या सरकार उन शहतीरों का परिमाण, कुल मूल्य तथा दर बताने की कृपा करेगी, और

(ख) क्या यह तथ्य है कि कार्यपालक यांत्रिक, स्टोर विभाग, श्री गोयल का उस संभरक से निकट-संबंध है और वे सरकारी खर्च पर स्वयं उन शहतीरों को पास करने के लिये पंजाब गये थे ?

योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा): (क) (१) तथा (२). हीराकुड बांध योजना के लिये २४,००० शहतीरों का आर्डर पूर्वी पंजाब सरकार को राज्य बन-विभाग के द्वारा भेजा गया था, जिसका सरकारी विभागों को लकड़ी देने का दर के हिसाब से संविदा था। बन-विभाग ने जगाधरी के एक बन-पट्टेदार सर्व श्री जवाहरलाल भल्ला के द्वारा माल भेजने की व्यवस्था की थी। इस मामले के पूर्ण विवरण के लिये जिस में परिमाण तथा दरें भी सम्मिलित हैं, मैं माननीय सदस्य को उस उत्तर का हवाला देना चाहता हूं जो ४ अक्टूबर १९५१ को श्री एस० एन० सिंह के तारांकित प्रश्न संख्या १५१७ पर दिया गया था ।

(ख) श्री गोयल और संभरक के संबंध के विषय में सरकार को कोई जानकारी नहीं है । इस मामले की जांच हो रही है । श्री गोयल को पंजाब के बन-रक्षक की प्रार्थना पर जगाधरी भेजा गया था, क्योंकि बन-रक्षक चाहता था कि हीराकुड संस्था का कोई प्रतिनिधि लकड़ी पसंद करने के लिये भेजा जाये । बन-रक्षक की मंत्रणा पर और अपने पदाधिकारियों में से एक की सहायता से श्री गोयल ने लकड़ी पसन्द की और उसे भेजने की हिदायतें दे दीं ।

कौफ़र बांध को क्षति

*२२८५. **श्री आर० एन० एस० देव:** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि हीराकुड में वर्षा ऋतु में कार्य सुविधा के लिये नदी के प्रवाह को मोड़ने के लिये जो कौफ़र बांध बनाया गया था वह गत मास पहली ही हल्की सी बाढ़ में बह गया ;

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर 'हां' में है तो कौफर बांध पर कुल लागत क्या आई थी और जो क्षति हुई है उसका कुल मूल्य क्या है ; और

(ग) क्या बाढ़ की वजह से कोई यंत्र या अन्य सामग्री बह गई अथवा टट गई और यदि हां, तो क्षति की कुल राशि कितनी है ?

योजना तथा सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा): (क) से (ग) . जानकारी संकलित की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

गुडूर अभ्रक खान में दुर्घटना

*२२८७. **श्री रघवय्या:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मद्रास राज्य के नैलौर जिले की गुडूर तहसील के चेनूर गांव में श्री निवास अभ्रक खान में १३ मई १९५२ को विस्फ़ोट का क्या कारण था जिसके फलस्वरूप दो श्रमिकों की मृत्यु हो गई तथा तीसरे को सख्त चोट लगी ;

(ख) क्या दिवंगत के परिवारों को कोई प्रतिकर दिया गया है ;

(ग) क्या यह तथ्य है कि गुडूर विभाग अभ्रक श्रमिक संघ द्वारा दी गई जानकारी पर जब अभ्रक निरीक्षक इस खान को देखने गया तो उसे अभ्रक के कारखाने के अन्दर एक

सोमेंट के हौज़ में १५९ डिटोनेटर्स मिले, दोहरी मज़ूरी-पंजिया मिली जिन में १३ मई की दुर्घटना में अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों के विषय में परस्पर विरोधी प्रविष्टियां थीं ; और माल में भी ५,४०० पाउंड की कमी पाई और भारी मात्रा में अभ्रक के चोरी से लेज़ाने का साक्ष्य भी मिला ; और

(घ) सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) विस्फ़ोट का कारण यह था कि चार ड्रिलर एक कम्प्रेस्ड एअर जेक-हेमर से किसी ट्राइव में छेद कर रहे थे उस समय ड्रिल रौड का जेलिगनाइट के साथ गलत मेल हो गया।

(ख) प्रतिकर देने की व्यवस्था श्रमिक प्रतिकर अधिनियम १९२३ के अनुसार है जिसका प्रशासन राज्य सरकार के हाथ में है। खान स्वामी ने प्रतिकर देने का दायित्व स्वीकार कर लिया है। भारत के मुख्य खान निरीक्षक ने मद्रास के श्रमिक प्रतिकर आयुक्त को कह दिया है कि दिवंगतों के आश्रितों को और आहत व्यक्तियों को प्रतिकर दिया जाना चाहिये ।

(ग) अभ्रक निरीक्षक राज्य सरकार का पदाधिकारी है और हमने राज्य सरकार से उसके प्रतिवेदन की एक प्रति मांगी है। परन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि माल में कमी, अभ्रक का चोरी से ले जाया जाना, ये चीजें राज्य सरकार के क्षेत्र में आती हैं जो कि निस्संदेह आवश्यक कार्यवाही करेगी। निरीक्षक के प्रतिवेदन के आने पर हम उन सभी मामलों पर विचार करेंगे जो केन्द्रीय सरकार से संबद्ध हैं।

(घ) क्योंकि यह पता लगा कि दुर्घटना का कारण किसी हद तक खान के प्रबन्धक की अक्षमता थी, अतः खानों के मुख्य निरीक्षक ने प्रबन्धक के रूप में उसकी नियुक्ति को रद्द कर दिया है और खान के प्रबन्ध-निकाय से कहा कि वे तत्काल एक सम्यक अर्ह तथा अनुभवी प्रबन्धक रखें और ऐसा कर भी दिया है। उस ने स्वामी, प्रबन्धक और शौट-फ़ायरर पर खान अधिनयिम १९५२ के अधीन मुकदमा चलाने की भी अनुमति दे दी है क्योंकि उन्होंने अधिनियम और विनियमों का उल्लंघन किया था। प्रतिकर के पूर्णतया तथा समय पर देने के प्रश्न पर खानों के प्रमुख निरीक्षक ने आयुक्त, कर्मकार प्रतिकर, के साथ इस प्रश्न को उठा लिया है।

विस्थापित हरिजन

५८१. **श्री इलयापेरुमल** : क्या **पुनर्वास** मंत्री भारत में रहने वाले हरिजनों की कुल संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : सदस्य का ध्यान १६ जुलाई १९५२ को श्री रूप नारायण द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० ४४० के भाग (क) पर मेरे उत्तर की ओर आकृष्ट किया जाता है।

वणिक-पोत

५८२. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बता ने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय उद्भव के वणिक पोतों के नाम जो सन् १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में क्रमशः जल में उतारे गये ; और

(ख) उन पर लागत तथा उनके द्वारा ३१ मार्च १९५२ तक कमाया गया लाभ ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या** ५३]

(ख) ये जहाज़ सरकार के लिये विशाखा पटनम जहाज़ कारखाने में बनाये गये थे और उन पर कुल लागत १,८८,०५,२५८ रुपये आई थी और

वे भारतीय नौवहन समवायों को कुल १,३७,५०,००० रुपये में बेच दिये गये थे। ५०,५५,२५८ के अन्तर को सरकार की ओर से जहाज़-निर्माण उद्योग की सहायता के रूप में समझ लिया गया था। उन जहाज़ों ने जो लाभ कमाये होंगे उनके विषय में जानकारी देना संभव नहीं है क्योंकि अब वे भारतीय नौवहन समवायों के नियंत्रण में हैं।

मुद्रण तथा लेखनसामग्री विशेषज्ञ

५८२-क. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि भारत सरकार ने सरकारी मुद्रणालयों के पुनर्संगठन के लिये एक ब्रिटिश मुद्रण तथा लेखन सामग्री विशेषज्ञ को बुलाया है; और

(ख) यदि ऐसा है तो उस विशेषज्ञ की सेवा कितने समय के लिये प्राप्त की गई है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) दो वर्ष के लिये।

नमक गवेषणा

५८३. **श्री एम० इस्लामुद्दीन :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नमक की किस्म को सुधारने के लिये तथा उत्पादन-मूल्य कम करने के लिये नमक के उत्पादन संबंधी स्थानीय समस्याओं के अनुसंधान के लिये कोई गवेषणा केन्द्र है ; और

(ख) यदि है तो ऐसे गवेषणा केन्द्रों की संख्या और स्थान ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) हां।

(ख) एक गवेषणा केन्द्र बम्बई में वडाला में है। दूसरा गवेषणा केन्द्र शीघ्र ही सौराष्ट्र में भावनगर में स्थापित करने की प्रस्थापना है।

हरिजन विस्थापित व्यक्ति

५८४. **श्री बारुपाल :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हज़ारों हरिजन विस्थापित व्यक्तियों को सरकारी शिविरों में अब तक कोई निवास-स्थान नहीं दिया गया है, और सरकार द्वारा उनको अब तक किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गयी है ;

(ख) क्या यह सच है कि उन विस्थापित व्यक्तियों के, जो सरकारी शिविरों में बस नहीं सके, नाम अब तक पंजीबद्ध नहीं किये गये हैं, और यदि सच है, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करना चाहती है ; तथा

(ग) क्या यह सच है कि गंगानगर (राजस्थान) के बहुत से सिंधी तथा अन्य विस्थापित परिवारों को, जो नौकरी या व्यवसाय में लगे हुये हैं और स्वयं किसान नहीं हैं, जोतने के लिये ज़मीन दी गई है ; और यदि सच है तो वहां पर ऐसे कितने परिवार हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) सहायता शिविर सभी विस्थापित व्यक्तियों के लिये, किसी विभेद के बिना, खुले हैं यदि वे उनके मुस्तहक़ हैं और उन्होंने प्रवेश के लिये आवेदन-पत्र दिये हैं। पूर्व में ऐसा किया जा रहा है। पश्चिम में कोई सहायता शिविर नहीं हैं।

(ख) पंजीयन के लिये शिविर में निवास आवश्यक नहीं है।

(ग) साधारणतः भूमि उन्हीं लोगों को दी जाती है जो कि या तो पश्चिमी पाकिस्तान में भूमि के स्वामी थे या कृषि करते थे, परन्तु ऐसे मामले हो सकते हैं कि विस्थापित व्यक्ति गलत बातें बता कर भूमि पर बस गये हों। ऐसे मामलों में यदि विस्थापित व्यक्ति स्वयं कृषि करता है तो उसे हटाया नहीं जाता परन्तु यदि वह उस भूमि को पट्टे पर चढा देता है तो उसका अलाटमेंट रद्द करने के लिये कार्यवाही की जाती है।

चाय

५८५. **श्री के० पी० त्रिपाठी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) इंगलिस्तान, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमरीका और आस्ट्रेलिया में चाय का फुटकर भाव रुपयों में कितना है ;

(ख) उन देशों में चाय का थोक भाव (रुपयों में) क्या है ;

(ग) भारत में चाय का थोक तथा फुटकर भाव क्या है;

(घ) कलकत्ता से लंदन और आसाम से कलकत्ता और मद्रास से लंदन तक प्रति पाऊंड परिवहन व्यय क्या है;

(ङ) निर्यातित चाय पर प्रति पाऊंड शुल्क कितना है और उस पर उत्पादन शुल्क कितना है ; और

(च) निर्यातित चाय पर उत्पादन शुल्क का समायोजन कैसे होता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उप-मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (च). सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ५४**]

वनस्पति-तेल (आयात)

५८६. **श्री बादशाह गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९४९-५०, १९५०-५१ और १९५१-५२ वर्षों में किन किन देशों से प्रति वर्ष कितनी कितनी मात्रा में जमाये हुए बनस्पति-तेल का आयात किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : आलोच्य तीन वर्षों में बनस्पति तेल का आयात नाममात्र के ही लिये हुआ—एक टन से भी कम हुआ। अन्य प्रकार के जमाये हुए तेलों के आयात के विषय में पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते, परन्तु उनकी मात्रा भी अत्यन्त कम होने की संभावना है। इन आयातों का देशानुसार ब्यौरा प्राप्य नहीं है।

संसद-सदस्यों के फ्लेटों के लिये फ़रनीचर

५८७. **श्री एम० एल० अग्रवाल :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) संसद्-सदस्यों के उत्तर तथा दक्षिण ऐवेन्यू वाले फ्लेटों के लिये फरनीचर किस अभिकरण के द्वारा खरीदा गया ;

(ख) क्या संसद्-सदस्यों ने शिकायतें की हैं कि सरकार को उस फ़रनीचर के लिये बहुत अधिक मूल्य चुकाना पड़ा है ;

(ग) उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ; और

(घ) क्या इस मामले में जांच करने का इरादा है।

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) वह फ़रनीचर केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग ने खरीदा था।

(ख) हां, श्रीमान्।

(ग) तथा (घ). सरकार ने मामले की जांच की है। सरकार के पास जो सामग्री उपलब्ध है उससे यह पता नहीं लगता कि जो मूल्य दिया गया है वह अनुचित है। इस

मामले में कोई अग्रेतर जांच संभवतः फ़लवती नहीं होगी

भारत में अनधिकृत प्रवेश

५८८. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री उन मुस्लिमों की संख्या बताने की कृपा करेंगे जो १ जनवरी १९५२ के बाद भारत में अप्राधिकृत प्रवेश के कारण पाकिस्तान से प्रव्रजन (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन पकड़े गये ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : ३० जून १९५२ तक ८१३ ।

भारतीय लोह तथा इस्पात समवाय

५८९. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारतीय लोहा तथा इस्पात समवाय और बंगाल के इस्पात निगम को कोई वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ख) यदि दी गई है तो कितनी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) २.५ करोड़ रुपये ।

रंगून निगम के भारतीय कर्मचारी

५९०. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि रंगून निगम के कई भारतीय कर्मचारियों को बर्मा में सांविधानिक परिवर्तनों के पश्चात् १९४८ में निकाल दिया गया था ;

(ख) क्या निगम प्राधिकारियों ने या बर्मा सरकार ने उन कर्मचारियों का हिसाब साफ़ कर दिया है;

(ग) क्या सम्बद्ध प्राधिकारियों से इस प्रश्न पर बातचीत करने के लिये भारत सरकार से प्रार्थना की गई थी; और

(घ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है, यदि की है तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ). १२८ प्रभावित व्यक्तियों से अभिवेदन प्राप्त होने पर रंगून स्थित भारतीय राजदूतावास ने इस विषय में पहले निगम प्राधिकारियों से और फिर बर्मा सरकार से बात की जिसने उन प्राधिकारियों से शीघ्र भुगतान करने के लिये कहा है । भारत सरकार को ज्ञात नहीं है कि किसी मामले का निबटारा हुआ या नहीं । बर्मा में हमारा राजदूतावास अब भी इस मामले पर कार्यवाही कर रहा है ।

इस्पात की मिल

*५९०-क. **श्री जांगड़े** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को निकट भविष्य में मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले में भिलाई में एक इस्पात मिल खोलने की अनुज्ञा दी है; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'हां' में है तो क्या सरकार ने उक्त योजना पर होने वाले पूंजीगत व्यय का कोई अनुमान लगाया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लंका में भारतीयों द्वारा सत्याग्रह

५९१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि लंका सरकार ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि वह ऐसा सुनिश्चित करें कि लंका भारतीय कांग्रेस

द्वारा लंका में आरम्भ किये हुए सत्याग्रह में भाग लेने के लिये भारत के किसी व्यक्ति को लंका में जाने के लिये पारपत्र सुविधाएं न दी जायें ; और

(ख) यदि ऐसा है तो क्या भारत सरकार ने इस विषय में कोई कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) हां। भारत सरकार से प्रार्थना की गई थी कि ऐसे व्यक्ति को पारपत्र सुविधाएं न दी जायें जिनका स्पष्ट उद्देश्य लंका में सत्याग्रह करना हो। लंका भारतीय कांग्रेस ने भी यह कहा था कि वे सत्याग्रह के लिये भारत से लंका को स्वयंसेवकों के जाने को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते।

(ख) भारत सरकार ने यह हिदायतें दे दी हैं कि उन व्यक्तियों को पारपत्र न दिये जायें जिन के इन प्रयोजनार्थ लंका में प्रवेश करने पर लंका सरकार आपत्ति करे।

गोलपाड़ा तथा रंगपुर के बीच सीमा-रेखा

५९२. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि 'गोलपाड़ा-रंगपुर' क्षेत्र में परिमाप करने और सीमा रेखा निश्चित करने के लिये हाल ही में एक भारत-पाकिस्तान सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि ऐसा है तो उस सम्मेलन का परिणाम ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) इस प्रयोजन के लिये कोई अलग सम्मेलन नहीं हुआ, परन्तु मुख्य सचिवों के सम्मेलन में, जो २५ और २६ अप्रेल १९५२ को ढाका में हुआ था, इस प्रश्न पर भी विचार हुआ था।

(ख) निम्न लिखित विनिश्चय किये गये :—

(१) दाय खोचाचर, सालापारा और निलाखिया से दोनों पक्षों के सशस्त्र बलों के हटा लिया जाये।

(२) किसी पक्ष ने ११ मार्च १९५१ के पश्चात् गोलपाड़ा-रंगपुर सीमा के पास जो भी सीमा चौकियां स्थापित की हैं वे बंद करदी जायें और ११ अगस्त १९५१ से पूर्व के स्थानों पर हटा कर ले जाई जायें। सीमा के निकट कहीं भी कोई नई सीमा चौकियां नहीं खोली जानी चाहियें।

(३) यह बात स्वीकृत हुई कि जब तक उस क्षेत्र में सीमा निर्धारण न हो जाये जैसा कि ११ अगस्त १९५१ को भू-अभिलेख के निदेशकों में तय हुआ था तब तक कोई भी पक्ष यथास्थिति को बदलने का प्रयत्न न करे और न बल द्वारा किसी राज्यक्षेत्र को, चाहे वह विवादास्पद हो या अन्यथा, कब्जे में लेने का प्रयत्न ही करे। सीमा निर्धारण के आधार पर राज्यक्षेत्र को कोई विनिमय हुआ तो वह दोनों सरकारों के बीच स्वीकृत तारीख को और प्रक्रिया के अनुसार होगा।

(४) सीमानिर्धारण के लिये संयुक्त परिमाप का कार्य उस विनिश्चय के आधार पर पुनः आरम्भ किया जाये जो आसाम तथा पूर्वी बंगाल के दोनों भू-अभिलेख निदेशकों ने ११ अगस्त १९५१ को किया था। तदनुसार उपरोक्त (४) के विनिश्चय के अनुसार आसाम तथा पूर्वी बंगाल के दोनों भू-अभिलेख निदेशक १७ मई १९५२ को निलाखिया में मिले परन्तु उनमें कोई समझौता न हो सका।

भारत को व्यापार स्थिति

५९३. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री इस कलेन्डर वर्ष के पूर्वार्ध में संयुक्त राजतंत्र ब्रिटेन के साथ भारत की व्यापार संतुलन स्थिति बताने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : इस वर्ष के प्रथम चार मास में संयुक्त राज्यतंत्र के साथ हमारे व्यापार संतुलन की स्थिति इस प्रकार की थी :—

(लाखों रुपये में आंकड़े)

आयात	निर्यात और पुनर्निर्यात	व्यापार संतुलन
५७३३	४५७०	—११६३

(मई और जून १९५२ के महीनों के आंकड़े प्राप्त नहीं हैं)

अनिवार्य भविष्य निधि

५९४. सेठ गोविन्द दास : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किन किन कारखानों में कर्मचारियों के लिये अनिवार्य भविष्य निधि की सुविधा दी गयी है, और दूसरे कारखानों में ऐसी सुविधाओं के आरम्भ को प्रोत्साहित करने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : उपलब्ध जानकारी से पता लगता है कि लगभग १६३ कारखानों में नियोजकों ने अनिवार्य भविष्य निधि की सुविधाएं प्रदान की हैं। इस के अतिरिक्त अन्य अनेक कारखाने हैं जिन में ऐच्छिक आधार पर ये सुविधाए दी गई हैं। हाल ही में सरकार ने कर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ बनाया है जिससे छः अनुसूचित उद्योगों में संलग्न कारखानों में अंशदान भविष्य निधियां स्थापित की जायेंगी। वे छै उद्योग ये हैं : वस्त्र, लोहा तथा इस्पात, कागज, सिगरेट, सीमेंट और विद्युतीय, कल-सम्बन्धी तथा सामान्य यांत्रिक उत्पाद। इस प्रयोजन के लिये एक अखिल भारतीय योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसे शीघ्र ही कार्यान्वित करने की आशा है।

नदी घाटियों का परिमाप

५९५. श्री जांगड़े : (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९४६ से लेकर अब तक कितनी नदी घाटियों में परिमाप कार्य किया गया है और कितने मामलों में परिमाप-कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया था और कितनी नदी परियोजनायें प्रथम चरण या प्रारम्भिक परिमाप कार्य के बाद छोड़ दी गयी थीं ?

(ख) ये नदी परियोजनायें प्रारम्भिक परिमाप के क्रम में या उसके पूरे होने के बाद क्यों अधूरी छोड़ दी गयी थीं ?

(ग) ऐसी नदी परियोजनाओं की संख्या क्या है, जो परिमाप के अन्तिम प्रतिवेदन के अनुसार अपनायी जाने योग्य ठहरायी गयी हैं ?

(घ) इन अधूरे परिमापों के उपर अब तक किये गये व्यय की राशि क्या है ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने १९४६ से निम्न योजनाओं पर अनुसंधान तथा परिमाप आरंभ किया है :—

महानदी घाटी :

(उड़ीसा)—

१. हीरा कुड योजना

२. तिक्करपाडा योजना।

३. नाराज योजना।

(मध्य प्रदेश)—

४. उपरी महानदी योजना।

५. जोंक योजना।

कोसी घाटी :—

६. कोसी योजना।

ताप्ती घाटी :

७. ककरापार वीयर तथा नहरें योजना।

८. उकाई योजना।

नरमदा घाटी :

९. तावा योजना।

१०. बरगी योजना।

११. पुनासा योजना।

१२. ब्रोच योजना।

गंगा नदी :

१३. गंगा बेराज योजना।

साबर मती घाटी :

१४. साबर मती योजना।

कुर्ग योजनाएं :

१५. लक्ष्मणतीर्थ योजना।

१६. हेरंगी योजना।

आसाम योजनाएं :

१७. मानस योजना

१८. डिहांग योजना

राजस्थान :

१९. बनास नदी योजना।

२०. कांतली योजना।

निम्न योजनाएं अपूर्णा छोड़ दी गई थीं :–

प्रारम्भिक परिमाप कार्य के पश्चात् :

(१) नरमदा योजनाओं की बरगी योजना।

(२) आसाम योजनाओं की डिहांग योजना।

(३) बनास नदी योजना।

अनुसन्धान समाप्त होने के पश्चात् :

(१) कुर्ग में लक्ष्मण तीर्थ योजना।

(२) कुर्ग में हेरंगी योजना।

(३) कांतली योजना।

(ख) **बरगी योजना :** सन् १९५० में बरगी का अनुसंधान वित्त की तंगी के कारण निलंबित कर दिया गया था। परन्तु जल-विज्ञान संबन्धी आंकड़ों का संकलन जारी है।

डिहांग योजना : आसाम में भूकम्पों और बाढ़ों के कारण डिहांग नदी की पर्वतीय स्थिति सर्वथा बदल गई है। इस कारण तथा बचत के उपाय के रूप में इन योजनाओं पर अभी विस्तृत अनुसंधान निलम्बित कर दिया गया है। परन्तु जलविज्ञान तथा ऋतुविज्ञान सम्बन्धी आंकड़े अब भी एकत्र किये जा रहे हैं।

बनास नदी योजना : इस योजना के अंतर्गत, इस बात की संभावना पर अनुसंधान किया गया था कि क्या बनास नदी पर प्रस्थापित बिलासपुर टंकी से एक लिफ्ट नहर बनाई जा सकती है जिस से कि जयपुर, बीकानेर तथा अन्य पड़ौसी राज्यों में अरावली के उत्तर पश्चिम की उपजाउ परन्तु शुष्क भूमि की सिंचाई हो सके। प्रस्थापित स्थानों पर भूमि को समतल करने का कार्य १४० मील तक किया गया और लागत का अनुमान लगाया गया। फ़िर कांतली नदी योजना पर अनुसंधान आरम्भ होने पर इस पर विस्तृत अनुसंधान बन्द कर दिया गया क्योंकि पिलानी के आसपास इस क्षेत्र में कांतली से सिंचाई होने की आशा है।

लक्ष्मण तीर्थ योजना : इस योजना के लिये दो उपयोजनाओं पर अनुसंधान किया गया था—एक बांध योजना थी और दूसरी टंकी योजना। बांध योजना शिल्पिक तथा आर्थिक रूप में बिल्कुल ठीक, क्योंकि कुर्ग पर मैसूर ने घोर आपत्ति की, क्योंकि कुर्ग में जिस पानी का प्रयोग करने की योजना थी वह पहले ही मैसूर राज्य में काम आ रहा था और मैसूर राज्य की वर्तमान सिंचना

व्यवस्था पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता । अनुसन्धान करने पर टंकी योजना अत्यधिक खर्चीली पाई गई ।

हेरंगी योजना : इस योजना का उद्देश्य ६,००० एकड़ भूमि की सिंचाई और १८०० किलोवाट शक्ति का उत्पादन करना था । अनुसंधान से पता ज़ला है कि योजना पर लागत बहुत अधिक आयेगी । फ़िर इस राज्य में एक अन्य पन-बिजली योजना बारापोल नदी पर भी है जिसका अनुसन्धान मद्रास सरकार कुर्ग के प्रशासन की ओर से कर रही है । आशा है कि बारापोल योजना से सस्ते भाव पर बहुत विद्युत पैदा होगी । अतः हेरंगी योजना पर आगे चलना वांछनीय नहीं समझा गया ?

कांतली योजना : इस योजना पर अनुसंधानों से, जो लगभग पूरे हो गये थे, पता लगा कि नदी में पर्याप्त जल नहीं है, अतः यह योजना छोड़ दी गई । नलकूप सिंचन की एक वैकल्पिक योजना का भी अनुसंधान किया गया था परन्तु वह भी अत्यधिक खर्चीली दिखाई दी ।

(ग) एक ही, अर्थात् लक्ष्मणतीर्थ बांध योजना, जिसके कारण भाग (ख) में स्पष्ट कर दिये गये हैं ।

(घ) निर्देशित परिमापों पर निम्न राशियां व्यय की गईं :

बरगी योजना--६,७०,५०२ रुपये (३१ मार्च १९५२ तक)

डिहांग योजना--२,४५,६७३ रुपये (३१ मार्च १९५२ तक)

बनास तथा कांतिल योजनाएं--२,३७,९४६ रुपये (३१ मार्च १९५२ तक)

कुर्ग योजनाएं--२,११,५७१ रुपये (३१ मार्च १९५२ तक)

उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में बसाये गये विस्थापित परिवार

५९६. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि पूर्वी पाकिस्तान से कुछ विस्थापित परिवार पटसन की कृषि के लिये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में बसाये जा रहे हैं; और

(ख) यदि ऐसा है तो वहां कितने परिवार बसाये जायेंगे ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) हां।

(ख) योजना में ५०० परिवारों के बसाने का विचार था । पूर्वी पाकिस्तान के ३०० विस्थापित परिवार बसाये भी जा चुके हैं ।

प्रसारण भाषायें

५९७. **श्री गणपति राम :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में भारत की कितनी भाषाओं में प्रसारण किया जाता है ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये कितनी स्थानीय बोलियों का प्रयोग होता है, विशेषतः उत्तर प्रदेश की बोलियों का ;

(ग) क्या बनारस विभाग की किसी स्थानीय उपभाषा या बलिया की उपभाषा या छपरिया आदि का इस प्रयोजन के लिये प्रयोग होता है ; और

(घ) यदि ऐसा है तो जनवरी--मार्च १९५२ की कालावधि में इन स्थानीय उप-भाषाओं में कितने प्रसारण किये गये ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) तथा (ख). आकाशवाणी १३ भारतीय

षाओं में प्रसारण करती है। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी के केन्द्रों से देहाती तथा औद्योगिक क्षेत्रों के श्रोताओं के लाभार्थ स्थानीय उपभाषाओं में भी प्रसारण किये जाते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, लखनऊ तथा इलहाबाद के केन्द्रों से हिन्दी तथा उर्दू में और कुछ स्थानीय उप-भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं—वे उपभाषायें ये हैं : अवधि, भोजपुरी, बृजभाषा, बुन्देलखण्डी, बघेलखंडी, मगही और कुमाऊं पहाड़ियों की बोलियां।

(ग) हां; भोजपुरी, बघेलखंडी और मगही में कार्यक्रम पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार के देहाती श्रोता ओं के लाभार्थ इलहाबाद तथा पटना केन्द्रों से प्रसारित किये जाते हैं।

(घ) जनवरी-मार्च १९५२ की कालावधि में इन स्थानीय उप-भाषाओं में लखनऊ, इलहाबाद तथा पटना केन्द्रों से जो कार्यक्रम प्रसारित किये गये उनका समय निम्न लिखित था :

	लखनऊ	इलाहाबाद	पटना
भोजपुरी	८५ मिनट	१०० मिनट	५२५ मिनट
मगही	१३ ,,	१५	३५० ,,
बघेलखंडी	—	१५० ,,	

चाय, पटसन का सामान और काली मिर्च

५९७-क. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या निर्यात मंडी में चाय, पटसन के सामान और काली मिर्च की मांग कम हो गई है।

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि मास्को में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्मेलन में सोवियत तथा चीनी प्रवक्ताओं ने भारत से अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त इन तीनों वस्तुओं के आयात में विशेष अभिरुचि प्रकट की; और

(ग) क्या सरकार इन तीन वस्तुओं के निर्यात के सम्बन्ध में सोवियत संघ और चीन के साथ व्यापार वार्ता आरंभ करने का विचार कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) निर्यात मंडी में चाय की मांग कम नहीं हुई है, परन्तु अब बढ़िया चाय पर अधिक जोर दिया जा रहा है। पटसन के सामान के विषय में, मई तथा जून के निर्यात संतोषजनक हैं। काली मिर्च की मांग में ज़रा सी कमी हुई है।

(ख) मुझे विश्वास है कि ऐसी चर्चा हुई थी कि सोवियत संघ एशियाई तथा मध्य पूर्वी देशों से उनकी 'परंपरागत निर्यात मदें' खरीदने के लिये तैयार होगा जिनमें ये तीन विचाराधीन वस्तुएं भी हैं। परन्तु भारत सरकार को ऐसा कोई ज्ञान नहीं है कि सोवियत या चीनी प्रवक्ताओं ने चाय, पटसन तथा काली मिर्च के आयात में कोई विशेष अभिरुचि प्रकट की है।

(ग) सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है।

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१

५९८. **श्री विद्यालंकार :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के लागू करने के पश्चात् उस के अधीन जिन औद्योगिक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्यवाही की गई उन के नाम;

(ख) प्रत्येक मामले में कारण; और

(ग) प्रत्येक मामले में की गई कार्यवाही ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) राजकुमार मिल्स लिमिटेड, इन्दौर ।

(ख) उत्पादन के परिमाण में सारवान कमी, जिस का, चालू आर्थिक स्थिति में कोई औचित्य नहीं है ।

(ग) भारत सरकार ने बंबई के वस्त्र आयुक्त को नियुक्त किया कि वह उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १५ के अंतर्गत इस मामले की परिस्थितियों की पूर्ण जांच करे । उस ने अब प्रतिवेदन दिया है कि मिल ने १४ जुलाई से कार्य पुनरारम्भ कर दिया है ।

यथार्थ-जीवन चित्र

५९९. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) विगत पांच वर्षों में मंत्रालय के चलचित्र विभाग तथा भारत के गैर सरकारी उत्पादकों द्वारा प्रत्येक वर्ष वास्तव में निर्मित यथार्थ-जीवन चित्रों की संख्या;

(ख) भारत के और विदेशों के उत्पादकों से प्राप्त संख्या;

(ग) संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संस्था अथवा ऐसी अन्य संस्थाओं से दान के रूप प्राप्त संख्या;

(घ) भारत के किसी न किसी मंत्रालय द्वारा मित्र राष्ट्रों से प्राप्त संख्या;

(ङ) उपरोक्त भाग (ग) तथा (घ) में उल्लिखित दान के यथार्थ जीवन चित्रों से प्राप्त राजस्व; और

(च) उपरोक्त भाग (ङ) में निर्देशित राजस्व को प्रयोग करने का प्रस्तावित उपाय ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) चलचित्र विभाग ने १९४९ में २२ यथार्थ-जीवन चित्र बनाये, १९५० में ३६ और १९५१ में ३३ बनाये । गैर-सरकारी उत्पादकों के विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) से (च). जानकारी संकलित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

आसाम, मनीपुर तथा त्रिपुरा में नदी घाटी योजनायें

६००. **श्री जे० एन० हजारिका :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) छोटी या अन्य नदी-घाटी या सिंचाई योजनाओं के नाम, जो मनीपुर और त्रिपुरा राज्यों में आरम्भ की जाने वाली हैं;

(ख) उन में से कितनी पर प्रारम्भिक कार्य आरम्भ हो गया है;

(ग) जब ये योजनायें पूरी हो जायेंगी तब उन से कितने किलोवाट विद्युत पैदा होगी;

(घ) यदि तथा जब ये योजनायें पूरी हो जायेंगी तब कितनी एकड़ भूमि पर कृषि होगी ; और

(ङ) अनुमानित व्यय तथा उस में से राज्य सरकार कितना देगी ?

योजना तथा सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा). (क) एक भी नहीं ।

(ख) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

रेशम मंडली

६०१. **श्री एस० एम० घोष** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) रेशम मंडली की क्या शक्तियां तथा कृत्य हैं; और

(ख) रेशम मंडली ने विविध राज्य सरकारों को—

(१) रेशम के कोवे की मंडी के सुधार के लिये; और

(२) कोवे और रेशम के धागे की किस्म सुधारने के लिये गवेषणा कार्य के लिये,

क्या वित्तीय सहायता दी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) माननीय सदस्य कृपया केन्द्रीय रेशम मंडली अधिनियम, १९४८ (१९४८ के अधिनियम सं० ६१) को देखें ।

(ख) (१) ६९,००० रुपये ।

(२) ४०,५०० रुपये ।

सेफ्टी फ्यूज़

६०२. **मुल्ला अब्दुल्ला भाई** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में विस्फोटक कारखानों की संख्या जो चट्टानों आदि को तोड़ने के लिये सेफ्टी फ्यूज़ का निर्माण करते हैं और उन कारखानों के नाम तथा उन के पूरे पते ;

(ख) क्या सरकार इन के सेफ्टी फ्यूज़ रेलवे की कोयला खानों के लिये खरीदती है;

(ग) सरकार इन उद्योगों की सहायता के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है; और

(घ) १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में जो सेफ्टी फ्यूज़ आयात किये गये उन का कौइल तथा मूल्य में कुल परिमाण और उन देशों के नाम जहां से वे आयात किये गये ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) भारत में सेफ्टी फ्यूज़ बनाने की अनुज्ञप्ति दो कारखानों को दी गई है :

(१) श्री जेहन्गीर शाहपुर जी पटेल, मुर्जबान रोड, अन्धेरी, बंबई और (२) सर्व श्री सन्याल एन्ड सन्स, देशमुख वाडी रोड डाकखाना बेज़ोन बाग, नागपुर ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) कच्चे माल के प्राप्त करने में सहायता के अतिरिक्त कोई विशेष सहायता नहीं यदि अपेक्षित हो तो शिल्पिक सहायता भी दी जायेगी ।

(घ) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिए परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ५५**]

विस्थापित व्यक्तियों के क्वार्टर

६०३. **ज्ञानी जी० एस० मुसाफ़िर** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विस्थापित व्यक्तियों के लिये जंगपुरा, पश्चिमी पटेल नगर, मोती नगर आदि में कुछ एक कमरे वाले दो मंज़िले क्वार्टर बनाये गये हैं; और

(ख) यदि ऐसा है तो इन क्वार्टरों में प्रत्येक परिवार के भाग में कितना क्षेत्र (वर्ग गज़ों में) अ

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) तथा (ख). विभिन्न बस्तियों में दो कमरे वाले दो मंज़िले मकान बनाये गये हैं। बड़े कमरे का माप १४′ × १०′ है और छोटा कमरा कुछ में १०′ × १०′ और कुछ में १०′ × ७′ है : स्नानागारों तथा मूत्रालयों की पृथक् व्यवस्था है। अब पीछे की ओर एक रसोई सी बनाने की व्यवस्था करने का निश्चय किया गया है।

भारत से और भारत को प्रव्रजन

६०४. ज्ञानी जी० एस० मुसाफ़िर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उन अमुस्लिमों की संख्या जो गत एक वर्ष में भारत छोड़ कर पुर्वी पाकिस्तान गये; और

(ख) उन मुस्लिमों की संख्या जो पूर्वी पाकिस्तान से भारत आये ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) तथा (ख). प्रव्रजकों के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं चाहे वे पूर्वी पाकिस्तान से भारत आये हों या भारत से पूर्वी पाकिस्तान गये हों। दोनों दिशाओं में केवल रेल यातायात के आंकड़े प्राप्य हैं जिन में प्रव्रजक भी सम्मिलित हैं और अन्य सभी प्रकार के यात्री भी हैं। इन आंकड़ों में सड़क द्वारा सीमा यातायात या नावों आदि के द्वारा संचरण सम्मिलित नहीं है। इन आंकड़ों में एक ही व्यक्ति द्वारा बार बार आना जाना भी शामिल है।

१६ जुलाई १९५१ से १५ जुलाई १९५२ की कालावधि के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

(क) ९,१०,६९२ ।

(ख) १६,८३,३९९ ।

जापानी सिल्क (आयात)

६०५. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जनवरी से जून १९५२ तक के समय में जापान से आयात की गई सिल्क की कुल मात्रा और भारत सरकार द्वारा उस के ऊपर प्रति पौंड लगाये गये क्रमशः आयात एवं संरक्षण शुल्क ;

(ख) पाकिस्तान सरकार द्वारा क्रमशः भारतीय एवं जापानी सिल्क पर लगाये गये आयात एवं संरक्षण शुल्क; तथा

(ग) पिछले वर्ष भारत में पैदा की गई बंगलौर और काश्मीरी सिल्क की कुल मात्रा और भारत के दूसरे भागों में खपत के लिये मैसूर और काश्मीर से बाहर भेजी गई मात्रा ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) जनवरी से मार्च, १९५२ में जापान से ७५,९५५ पौंड कच्चा रेशम आयात किया गया। बाद के महीनों के आंकड़े सुलभता से प्राप्य नहीं हैं। कच्चे रेशम पर संरक्षात्मक आयात शुल्क की वर्तमान दर यह है : मूल्यानुसार ३० प्रतिशत तथा ३।।।=) प्रति पाउंड तथा वह अधिभार जो वित्त अधिनियम, १९५१ की धारा ५ और वित्त अधिनियम, १९५२ की धारा ३ के अधीन लगाया जाता है।

(ख) पाकिस्तान सरकार ने भारतीय और जापानी दोनों देशों के कच्चे रेशम पर एकसा शुल्क लगाया हुआ है जो मूल्यानुसार २५ प्रतिशत तथा १४ आने प्रति पौंड तथा कुल शुल्क का १।५ है।

(ग) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ५६]**

चाय

६०६. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत सरकार को चाय उद्योग से क्या अभिवेदन प्राप्त हुए हैं और उन में क्या कार्यवाही की सिफारिश की गई है;

(ख) हाल ही में चाय उद्योग के लिये नियुक्त की गई जांच समिति के कार्य-निबंधन और उस के प्रतिवेदन आने की प्रत्याशित तारीख;

(ग) क्या २ जुलाई १९५२ की घोषणा, जिस के अनुसार लंदन की नीलामी की मंडी को यूरोप चाय निर्यात करने की अनुज्ञा दी गई है, भारतीय उत्पादकों की मांग पर की गई है और केन्द्रीय चाय मंडली द्वारा अनुमोदित है; और

(घ) क्या सरकार को ज्ञात है कि भारतीय उत्पादकों को दी गई राशि और विदेशी उपभोक्ताओं द्वारा दी गई राशि में सारवान अन्तर है और यह अन्तर बिचौलियों की जेब में चला जाता है जो अधिकांश में अभारतीय हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) चाय उद्योग से प्राप्त अभिवेदन सर्वांगीण सहायता के लिये थे जिस में चाय पर कर में कमी, वस्तु रूप में जो मजूरी दी जाती है उसे नकद में बदलना, चाय बगान के लिये कोयले के सस्ते परिवहन की सुविधा, न्यूनतम मजूरी अधिनियम से विमुक्ति, आदि सभी बातें थीं ।

(ख) उस के कार्य-निबन्धन ये थे :

"मूल्यों में भारी कमी हो जाने के कारण चाय उद्योग को जिन कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ रहा है उन का अनुसंधान कर के सहायता के उपायों की सिफारिश करना ।"

प्रतिवेदन पेश करने की कोई तारीख निश्चित नहीं की गई थी परन्तु मुझे उस के शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है ।

(ग) उद्योग नें इस बात की 'मांग' नहीं की थी प्रत्युत सिपारिश की थी और केन्द्रीय चाय मंडली ने उस का समर्थन किया था; परन्तु सरकार का विनिश्चय इस मामले के सभी पहलुओं के ध्यानपूर्वक विचार पर आधारित था ।

(घ) प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर हां में है । दूसरे भाग के विषय में मेरेविचार में इस अन्तर का कुछ भाग तो मिश्रण पेकिंग, ऊपरी व्यय तथा परिवहन पर खर्च हो जाता है ।

भारत में विदेशी दूतावास

६०७. **श्री आर० एस० तिवारी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में ऐसे दूतावासों की संख्या, जिन की इमारतों के मालिक सम्बन्धित राष्ट्र स्वयं हैं;

(ख) ऐसे दूतावासों की संख्या, जिन के पास किराये के निवास-स्थान हैं; तथा

(ग) इस से भारत सरकार को मिलने वाली किराये की राशि ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) छै राजनयिक प्रतिनिधियों के भारत में अपने भवन हैं ।

(ख) भारत स्थित सभी इकतालीस राजनयिक प्रतिनिधियों ने, जिन में वे छै भी शामिल हैं जिन के भारत में अपने भी भवन हैं, सरकार से या गैर-सरकारी स्वामियों से किराये पर स्थान लिये हैं ।

(ग) सरकार ने अपने जो भवन राजनयिक प्रतिनिधियों को दिये हुए हैं उन का किराया लगभग २८,००० रुपय प्रति

मासिक है। इस राशि में उस स्थान का किराया शामिल नहीं है जो सरकारी होस्टलों में राजनयिक प्रतिनिधियों को अस्थायी रूप से दिया जाता है क्योंकि वह राशि बदलती रहती है ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें

६०८. **श्री तुषार चटर्जी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत सरकार श्रम मंत्रालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के छात्रों के प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम क्या हैं और ऐसी संस्थाओं से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को किस प्रकार के डिप्लोमा मिलते हैं ;

(ख) क्या यह तथ्य है कि भारत सरकार श्रम मंत्रालय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रीय पोलीटेक्नीक संस्था, फरीदाबाद के ओवरसियर-डिप्लोमा-धारियों को भारत सरकार का सार्वजनिक निर्माण विभाग अभिज्ञात करने से इन्कार करता है, यदि ऐसा है तो क्यों; और

(ग) ऐसी संस्थाओं के डिप्लोमा-धारियों को नौकरी देने के लिये भारत सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) मैं सदन पटल पर एक विवरण रखता हूं जिस में ३२ इंजीनियरिंग तथा भवन कार्य और २८ व्यवसायिक व्यापारों की सूची दी हुई है जिन में श्रम मंत्रालय की प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है, और एक डिप्लोमा का प्रपत्र भी दिया हुआ है जो कारीगरी का प्रशिक्षण प्राप्त कर के उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को दिया जाता है । [देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ५७]

(ख) यह कहना पूर्णतः ठीक नहीं है कि इन संस्थाओं से पास होने वाले ओवरसियरों को केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अभिज्ञात करने से इन्कार किया है। अब तक उक्त विभाग ने केवल उन्हीं संस्थाओं के ओवरसीयरी प्रमाणपत्रों को स्वीकार किया है जिन्हें शिक्षा मंत्रालय ने अनुमोदित किया है। ओवरसीयरी का पाठ्यक्रम श्रम मंत्रालय के कुछ प्रशिक्षण केन्द्रों में १९५० में ही आरम्भ किया गया था और पहली परीक्षा अप्रैल १९५२ में तथा परिणामों की घोषणा जून १९५२ में हुई थी। इन केन्द्रों के ओवरसीयरी प्रमाण पत्रों को औपचारिक रूप में अभिज्ञात करने का प्रश्न शिक्षा मंत्रालय के विचाराधीन है ।

(ग) सभी प्रशिक्षण संस्था केन्द्रों को और पुनस्संस्थापन तथा नियोजन के प्रादेशिक निदेशकों को हिदायतें दे दी गई हैं कि वे प्रशिक्षित व्यक्तियों को परामर्श दें कि वे निकटतम नियोजन विनिमय में अपना नाम पंजीबद्ध करा लें ।

कांच की चूड़ियां

६०९. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५१-५२ में देश में कांच की चूड़ी के उद्योग का कुल उत्पादन कितना था;

(ख) क्या इस उद्योग से भारत की समस्त आवश्यकतायें पूरी हो जाती हैं;

(ग) यदि नहीं तो १९५१-५२ में कितने की शीशे की चूड़ियों का आयात किया गया और किन देशों से;

(घ) क्या इस उद्योग को कोई संरक्षण प्राप्त है; और

(ङ) इस में कुल कितने श्रमिक लगे हुए हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) १९५१ में १४,००० टन ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) १० लाख रुपये की चूड़ियां सिंगापुर से आयात की गईं ।

(घ) नहीं, श्रीमान् ।

(ङ) लगभग ५०,००० ।

कीयनाइट तथा सिलिमनेट

६१०. श्री के० सुब्रह्मण्यम : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कीयनाइट तथा सिलिमनेट के निर्यात के लिये १९५१ के लिये देशानुसार क्या सीमायें निश्चित की गई हैं और चालू वर्ष के लिये क्या सीमायें हैं ?

(ख) भारत में कीयनाइट तथा सिलिमनेट के कुल सिद्ध तथा संभावित स्रोत क्या हैं ? क्या भारत में उन का प्रयोग 'विद्युतीय पोर्सलेन' तथा 'एलूमिनस रिफ्रेक्टरीज़' के निर्माण में किया जाता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) कीयनाइट सिलिमनेट का निर्यात कोटा १९५१ के लिये ३२,५०० टन था चालू वर्ष के लिये ३५,००० टन है । कोई ऐसा नियंत्रण नहीं है कि निर्यात किस देश को हो ।

(ख) कीयनाइट तथा सिलिमनेट के स्रोतों का ठीक ठीक अनुमान नहीं किया गया है । कीयनाइट के विषय में भारतीय खान ब्यूरो अनुसंधान कर रहा है । भारत में इन खनिजों का प्रयोग 'एलूमिनस रिफ्रेक्टरीज़' के निर्माण में होता है परन्तु विद्युतीय पोर्सलेन उद्योग में नहीं होता ।

पत्रों के लिये चित्र

६११. श्री एन० एस० जैन : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) प्रेस सूचना विभाग द्वारा कितने प्रेस फोटोग्राफर नियोजित किये गये हैं और उन पर कुल कितनी राशि व्यय होती है; और

(ख) क्या यह तथ्य है कि प्रेस सूचना विभाग विदेशों में फोटो वितरण करने के अतिरिक्त, प्रेस और विविध समाचार-एजंसियों तथा कुछ व्यक्तियों को मुफ्त चित्रों का वितरण भी करता है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) चार । १९५२-५३ में उन के वेतन तथा भत्तों पर व्यय का अनुमान ३०,३०० रुपये है ।

(ख) विदेशों में वितरण के लिये वैदेशिक कार्य मंत्रालय तथा कुछ प्रेस फोटोग्राफिक एजंसियों को फोटोग्राफ भेजने के अतिरिक्त प्रेस सूचना विभाग अपने चित्र भारतीय पत्रों को मुफ्त भेजता है । फोटोग्राफ व्यक्तियों को नहीं भेजे जाते । केवल कभी कभी सरकारी प्रचार के हितार्थ लेखकों तथा प्रकाशकों को दिये जाते हैं

अंक ३

संख्या १

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st Lok Sabha (First Session)

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

हिन्दी संस्करण

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक कार्यवाही

विषय-सची

समिति के निर्वाचिन—

केन्द्रीय पुरातत्व परामर्शदात्री पर्षद् [पृष्ठ भाग २४२७]

अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् [पृष्ठ भाग २४२७—२४२८]

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोर्ट [पृष्ठ भाग २४२८]

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय कोर्ट [पृष्ठ भाग २४२८—२४२९]

भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् [पृष्ठ भाग २४२९—२४३०]

विनियोग (रेलवेज) संख्या २ विधेयक—पारित [पृष्ठ भाग २४३०—२४३५]

विनियोग (संख्या २) विधेयक—पारित [पृष्ठभाग २४३५—२४७७]

सारभूत वस्तुयें (क्रय अथवा विक्रय पर कर की घोषणा तथा विनियमन) विधेयक—प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के प्रस्ताव पर चर्चा असमाप्त [पृष्ठ भाग २४७७—२४९२]

(मूल्य ६ आने)

391 PSD

लोक सभा

मंगलवार, २९ जुलाई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-१५ म० पू०

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रमाप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यकारी दल सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि की रिपोर्ट

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं बैंकोक में आयोजित प्रमाप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यकारी दल सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि की रिपोर्ट की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं । (पुस्तकालय में रखदी गई है । देखिये संख्या पी०-४०/५२)

आश्वासन आदियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण

सांसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : मैं सदन पटल पर निम्न विवरण

रखता हूं जिन में वे कार्यवाहियां दिखलाई गई हैं जो सरकार ने विभिन्न सत्रों में दिय गये आश्वासन, प्रतिज्ञायें तथा वचनों के सम्बन्ध में कीं :

(१) अनुपूरक विवरण संसद् का पांचवां सत्र, १९५२

(देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २८)

(२) अनुपूरक विवरण ५ संसद् का चौथा सत्र, १९५१

(देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २९)

(३) अनुपूरक विवरण ३ संसद् का तृतीय सत्र (द्वितीय भाग), १९५१

(देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ४)

(४) अनुपूरक विवरण ३ संसद् का तृतीय सत्र (प्रथम भाग), १९५०

(देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ३)

(५) अनुपूरक विवरण ३ संसद् का द्वितीय सत्र, १९५०

(देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २)

(६) अनुपूरक विवरण ५ संसद् का प्रथम सत्र, १९५०

देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १)

[श्री सत्य नारायण सिन्हा]

(७) अनुपूरक विवरण ४ भारत की संविधान सभा (विधान सभा) का नवम्बर-दिसम्बर, १९४९ का सत्र

(देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ३०)

समितियों के लिये निर्वाचन

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को यह सूचित करना है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के लिये नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति के निर्धारित समय में १२ नामनिर्देशन पत्र मिले। आठ सदस्यों ने अपने नाम वापस ले लिये। चूंकि समिति के रिक्त स्थान भी चार हैं अतः मैं निम्नलिखित सदस्यों को विधिवत् निर्वाचित घोषित करता हूं :

श्री के० जी० देशमुख, पंडित अलगूराय शास्त्री, श्री हीरासिंह चिनारिया तथा डा० इन्दु भाई बी० अमीन।

निवारक निरोध (द्वितीय संशोधन) विधेयक

संयुक्त समिति की रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "निवारक निरोध अधिनियम में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक से सम्बन्धित संयुक्त समिति की रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की निश्चित अवधि बुधवार, ३० जुलाई, १९५२ तक बढ़ा दी जाये।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, १९४८, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य रेशम बोर्ड की कार्यव्यवस्था को अधिक कुशल बनाने का है। सदन को मालूम होगा कि १९४८ के रेशम बोर्ड अधिनियम को पारित करने के पश्चात् यह आशा थी कि रेशम बोर्ड रेशम उद्योग में अधिक रुचि लेगा और इसे सुदृढ़ बना देगा। मैं यह तो नहीं कह सकता कि बोर्ड ने कुछ नहीं किया है—बोर्ड की वर्ष में एक बार बैठक होती है तथा इसकी स्थायी समिति प्रायः दो बार—किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि रेशम उद्योग की देखभाल करने के लिये ऐसी स्वायत्त संस्था की रचना समय से पूर्व है क्योंकि उद्योग स्वयं अच्छी प्रकार से संगठित नहीं है। तटकर (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के समय इस सदन में जिन माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाये थे उन्हों ने यह शिकायत की थी कि रेशम उद्योग को पर्याप्त संरक्षण नहीं दिया गया है। सदन में इस बात के भी उदाहरण दिये गये थे कि कुछ विशेष क्षेत्रों में उद्योग अव्यवस्थित दशा में है। यह सत्य है कि उनकी कुछ शिकायतें ठीक हैं। हमने यह भी देखा कि तटकर बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में इस उद्योग के लिये दिसम्बर १९५२ से अधिक संरक्षण देने की सिफ़ारिश नहीं की। इस

का यह कारण नहीं कि वह ऐसा करना नहीं चाहता था किन्तु उसने यह समझा कि उद्योग ने इस मामले के सभी तथ्य उसे नहीं प्रस्तुत किये थे। शायद उद्योग की असंगठित दशा को ध्यान में रखते हुए यह अच्छा होता कि यदि रेशम बोर्ड तटकर बोर्ड के सामने सभी तथ्यों को प्रस्तुत करने के कार्य को स्वयं करता। इन्हीं तथा अन्य तथ्यों के कारण सरकार ने इस बात की जांच की क्या वह बोर्ड से अधिक कुशलतापूर्वक कार्य नहीं करवा सकती। जितनी मेरे पास सूचना है तथा इस उद्योग का हम किस प्रकार विकास कर सकते हैं इस सम्बन्ध में मेरे विचार के कारण मैं ने यह समझा कि स्वायत्त संस्था के रूप में बोर्ड कार्य कर सके इससे पूर्व की अवधि के लिये सरकार के लिये इस पर अधिक ध्यान देना आवश्यक है, और इसी बात के कारण मैं ने इस संशोधक विधेयक को प्रस्तुत किया है।

संशोधक-विधेयक में एक बड़ा उपबन्ध है—इसे बड़ा कहा जा सकता है यदि सदस्य यह समझें कि यह एक बड़ा परिवर्तन है। इस में बोर्ड के उप-प्रधान चुनने के अधिकार को हटा देने तथा सरकार द्वारा उस व्यक्ति को नाम-निर्दिष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। इस समय बोर्ड का कोई उप-प्रधान नहीं है। पिछले उप-प्रधान का पद-काल समाप्त हो गया है और फिर कोई नया उप-प्रधान नहीं चुना गया है। सरकार ने यह समझा कि इन परिस्थितियों में कुछ समय के लिये यदि उप-प्रधान कोई सरकारी अधिकारी हो—और वह स्थायी समिति का भी सदस्य होगा—वह इस उद्योग पर व्यक्तिगत रूप से अधिक ध्यान दे सकेगा क्योंकि बोर्ड का सदस्य होने से वह ऐसा नहीं कर सकेगा चूंकि बोर्ड की बैठक वर्ष में एक ही बार होती है। और फिर बोर्ड के स्वायत्त शासन की बात भी थी तथा जिस प्रकार से बोर्ड कार्य करता है और इसके सरकार से सम्बन्ध भी बड़े असन्तोष-जनक हैं। वस्तुतः मैं बोर्ड से सूचना मांगता रहा हूं और वह मेरे पास नहीं है। वहां क्या हो रहा है यह देखने के लिये मैं ने अधिकारियों को वहां भेजा है—किन्तु इससे कोई अधिक सहायता नहीं मिली है। अतः मैंने यह निश्चय किया है कि यदि इस बोर्ड से इस उद्योग में कोई लाभ उठाना है तो कुछ समय के लिये बोर्ड को सरकार के एक विभाग के रूप में कार्य करना चाहिये। यह कहा जा सकता है कि किसी अधिकारी को उप-प्रधान नियुक्त करना प्रतिक्रियात्मक कार्य होगा। मैं मानता हूं कि ऐसा हो सकता है, किन्तु उद्योग को संगठित किया जाना चाहिये और पूर्व इसके कि बोर्ड इसका प्रबन्ध करे इसे स्वयं अपना कार्य चलाना चाहिये। और मेरे विचारानुसार, अधि-नियम के कार्यान्वित होने के बाद से बोर्ड ने जो कार्य किया है उसका पुनर्विलोकन करने से बोर्ड को जो काम सौंपा गया था उसे वह कर नहीं सका और न कोई वास्तविक सहायता कर सका।

यहां माननीय सदस्यों ने कच्चे रेशम के आयात के लाइसेंस के बारे में शिकायतें की हैं। कुछ सदस्यों ने विशेषकर इस उद्योग ने इस बात की शिकायत की है कि रेशम की मिलों के पास अपना काम चलाने के लिये पर्य्याप्त रेशम का धागा नहीं है। लाइसेंस के विषय में सरकार अपना भरसक प्रयत्न करती रही है। वह चाहती है कि उद्योग चलता रहे साथ ही साथ स्थानीय कच्चे रेशम के उद्योग को हानि न हो। मैं समझता हूं कि किसी सरकारी अधिकारी के हाथ में, जो इस प्रकार के कार्य का प्रभारी हो, स्थानीय कच्चे रेशम उद्योग तथा मिल उद्योग के बीच इन के आपस के दावों का निर्णय करने का काम छोड़ना इसकी अपेक्षा अच्छा होगा जो परिणाम उसका हमें इस समय मिलता है। इस समय सरकार यह करना चाहती है कि कुछ समय के लिये इसका उप-प्रधान एक अधिकारी हो।

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

संशोधक विधेयक में यह नहीं कहा गया कि सदा के लिये कोई अधिकारी ही नियुक्त होगा —इससे तो सरकार को उप-प्रधान नियुक्त करने का अधिकार मिल जायेगा। हो सकता है कि अगले वर्ष हम यह देखें कि इसका कार्य अच्छी प्रकार से चल रहा है और सरकार के साथ इसके सम्बन्ध सन्तोषजनक हैं तो किसी सरकारी अधिकारी के उप-प्रधान होने की आवश्यकता नहीं होगी और एक गैर-सरकारी उप-प्रधान नियुक्त किया जा सकता है। अतः इसका यह अभिप्राय नहीं है कि यह व्यवस्था सदा ही चलेगी, किन्तु इस समय इसमें हम जो सुधार करना चाहते हैं और इस बोर्ड को उपयोगी और कार्यकुशल बनाने के लिये जो प्रयत्न हम कर रहे हैं ऐसा केवल इसे सरकार की व्यवस्था का एक अंग बनाने से ही हो सकता है, यद्यपि ऐसा चाहे अस्थायी रूप से ही हो। इसी लिये सदन में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

एक और उप-बन्ध है—खण्ड २—जो इस लिये रखा गया है क्योंकि एक संशोधक विधेयक प्रस्तुत किया गया है। खण्ड २ में मूल अधिनियम की धारा ४ (ग) को संशोधन करने का प्रयत्न किया गया है। उस धारा के अनुसार दो व्यक्तियों को "सदस्यों में से केन्द्रीय विधान मण्डल के सदस्यों द्वारा उस रीति से चुना जायगा जो कि निर्धारित हो, आदि।" अब एक और सदन है और वह सदन भी अपना प्रतिनिधित्व चाहता है। दूसरे सदन को प्रतिनिधित्व देने के लिये ही हमने इस संशोधन को प्रस्तुत किया है। संक्षेप में विधेयक का यही अभिप्राय है। सामान्य तौर से इस अवस्था पर संशोधनों का अनुमान प्रायः नहीं लगाया जाता किन्तु मैं उन में से कुछ के विषय में कहूंगा।

मैसूर के श्री गुरुपादस्वामी के संशोधन हैं जिन में एक जगह तो इनके परिचालन का सुझाव है और दूसरे में प्रवर समिति के निर्देश का सुझाव है। सदन को जिस बात का निर्णय करना है वह बहुत साधारण है। क्या यह बोर्ड को ऐसे ही कार्य करने देना चाहता है जैसा कि वह करता रहा है अथवा क्या यह चाहता है कि सरकार इस पर अधिक ध्यान दे? यदि यह बात तय हो जाय, तो यह प्रश्न भी, कि सदन भी इस विधेयक को स्वीकार करेगा या नहीं, तय हो जायेगा। विधेयक को परिचालित करने का प्रश्न तो आवश्यक नहीं है, और न यही आवश्यक है कि प्रवर समिति इस पर विचार करे क्योंकि यह जटिल बात नहीं है जिस पर विचार किया जाय। मैं जानता हूं कि श्री गुरुपादस्वामी इस उद्योग में बहुत रुचि रखते हैं और मुझे विश्वास है कि जो प्रस्थापना मैं ने रखी है वह उस पर विचार करेंगे। यदि वह ऐसा करें तो मुझे आशा है कि वह भी मेरे वाले निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, अर्थात् इस उद्योग की अपने पैरों पर खड़ा करने के लिये सरकार को कुछ समय तक अत्यधिक प्रयत्न करना पड़ेगा और यह एक ऐसा उपाय है जिस से सरकार इस उद्योग की सहायता कर सकती है।

अन्य संशोधन श्री रघुनाथ सिंह के हैं। वह चाहते हैं कि इसमें प्रत्येक राज्य—यू०पी०; बंगाल, मैसूर, जम्मू तथा काश्मीर और आसाम के प्रतिनिधि भी हों। यदि वह इस अधिनियम को देखें तो उन्हें पता चलेगा कि धारा ४ के अन्तर्गत इन में से कुछ राज्यों के प्रतिनिधान का उपबन्ध है। मैसूर सरकार चार; मद्रास दो; पश्चिमी बंगाल दो; जम्मू तथा काश्मीर सरकार एक; और मध्य प्रदेश तथा बरार, उत्तर प्रदेश, बम्बई और बिहार द्वारा इनके प्रत्येक का एक एक व्यक्ति का नामनिर्देशन होगा। मुझे नहीं मालूम कि उन्हों ने यह देखा है या नहीं। यदि उन्हों ने देखा है तो उन्हें पता लगेगा कि यह संशोधन आवश्यक नहीं।

अन्तिम संशोधन का सम्बन्ध विधान मण्डलों में प्रतिनिधान से है। इस समय वह भी आवश्यक नहीं है। यदि बोर्ड में इस सदन के दो सदस्य दूसरे सदन का एक सदस्य हों तो यह पर्याप्त प्रतिनिधान होगा। मैं समझता हूं कि इन बातों से ये संशोधन समाप्त हो जाते हैं जिन की कि मैं ने इस समय पूर्वावधारणा की है।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, १९४८, में अग्रेतर संशोधन करने के वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

मैं जनना चाहता हूं कि इन तीन संशोधनों में से श्री गुरुपादस्वामी किसी को परिचालन के लिये प्रस्तुत करना चाहते हैं या नहीं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): माननीय मंत्री द्वारा आश्वासन दिये जाने के बाद मैं उन्हें प्रस्तुत नहीं करना चाहता किन्तु कुछ मामलों के सम्बन्ध में मैं अपनी सम्मति प्रकट करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: विधेयक पर चर्चा के समय आपको अवसर मिलेगा।

श्री ए० सी० गुहा (शान्तिपुर): माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री के अधीन बहुत से स्वायत्तशासी बोर्ड हैं किन्तु सदन को उनकी कार्यप्रणाली पर चर्चा करने का अवसर नहीं मिलता। इन में से कुछ उनके मंत्रालय के अधीन हैं और कुछ अन्य मंत्रालयों के अधीन हैं और इन बोर्डों के द्वारा बड़ी राशि का आदान प्रदान होता है। कभी कभी सरकार इन्हें अनुदान भी देती है और कभी इन के द्वारा उत्पादन शुल्क भी इकट्ठा किया जाता है और धन इन्हें दे दिया जाता है। बहुधा आयव्ययक पत्रों में इस धन का उल्लेख नहीं होता। मैं ने वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाता था और उन्हों ने इस अनियमितता को हटाने के लिये कहा था। इन बोर्डों को उत्पाद शुल्क में से अनुदान मिले तो आय-व्ययक पत्रों में ये राशियां और इनका वितरण भी दिखाया जाय।

जहां तक इस बोर्ड का सम्बन्ध है, हमें यह आशा थी कि यह कुशलतापूर्वक तथा सरकार की देखरेख में कार्य करेगा। किन्तु अब मंत्री महोदय हमें बतलाते हैं कि उन्हों ने बोर्ड से कुछ रिपोर्ट तथा सूचना मांगी थी जो उन्हें नहीं मिली। स्वयं मैं ही गत कुछ दिनों से इस बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं किन्तु मुझे वह संसद् पुस्तकालय में न मिल सकी। बोर्ड को अपनी वार्षिक रिपोर्ट इस संसद् को भेजनी चाहिये। मैं ने रिपोर्ट न मिलने की शिकायत की तथा मुझे पता लगा कि कल ही पिछले कुछ वर्षों की कोई पांच छै रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। रिपोर्ट में लेखों का कोई उल्लेख नहीं है। लेखा परीक्षण के लिये भी किसी व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है। इन स्वायत्तशासी बोर्डों पर जो खर्च हो वह हमारे आयव्ययक में दिखाना चाहिये।

जहां तक संशोधन का सम्बन्ध है, मैं इसका स्वागत करता हूं। उप-प्रधान को बोर्ड की ओर से बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं। अतः मैं इस विचार का स्वागत करता हूं कि उप-प्रधान सरकार द्वारा नामनिर्देशित हो; अच्छा हो यदि वह सरकारी अधिकारी हो। जहां तक दूसरे सशोधन का प्रश्न है, मैं नहीं समझता कि उसका कोई विशेष महत्व है। स्वभावतः राज्य परिषद् का भी इस में प्रतिनिधि होना चाहिये।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने अपने संक्षिप्त भाषण में इस संशोधक विधेयक की आवश्यकता बतलाई थी। उन्हों ने इस सम्बन्ध में सरकार की नीति भी समझाई थी। परन्तु मेरा

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

कहना यह है कि रेशम उद्योग के प्रति सरकार की कोई नीति नहीं है। आज इस उद्योग की दशा अत्यन्त शोचनीय है। इसके कारण भी स्पष्ट हैं। अत्यधिक महत्वपूण कारण यह है कि विदेशों से विशेषकर जापान और इटली से विदेशी रेशम का बहुत आयात किया जाता है। इसके फलस्वरूप इस वर्ष यहां उत्पन्न रेशम के दाम बहुत गिर गये हैं। जैसा कि मैं ने कहा इस मन्दी का कारण सरकार द्वारा समुचित देखरेख न रखना है।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि जो सदस्य इस विधेयक पर बोलें वे संक्षेप में इसकी प्रमुख बातों का ही उल्लेख करें। अतः माननीय सदस्य अधिक विस्तार में न जायें और केवल मोटी मोटी बातों को कहें।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : इधर कुछ वर्षों से बोर्ड संतोषजनक कार्य नहीं कर रहा है। इसके कारण बतलाते हुए माननीय मंत्री ने कहा कि आजकल बोर्ड पर मंत्रालय का पर्य्याप्त नियंत्रण नहीं है। मुझे तो इस में भी शंका है कि एक सरकारी अधिकारी को उप-प्रधान नामनिर्देशित करने से मंत्रालय का अधिक नियंत्रण हो सकेगा। मैं जानना चाहता हूं कि यदि उप-प्रधान नामनिर्देशित न होकर निर्वाचित व्यक्ति हुआ करेगा तो उस से क्या हानि होगी।

[**श्री पाटसकर** अध्यक्ष पद पर **आसीन थे**]

मुझे पता लगा है कि बोर्ड की बैठक समय समय पर स्थगित होती रही है। आखिर यह बात तो सरकार के हाथ में है कि वह समय समय पर बोर्ड की बैठक करवाती रहे ताकि बोर्ड सुचारु रूप से कार्यवाही करता रहे। बोर्ड की स्थायी समिति की बैठकें भी जल्दी जल्दी होती रहनी चाहियें।

कुछ भी हो, मैं कोई संशोधन नहीं प्रस्तुत करना चाहता। मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि माननीय मंत्री सदन को यह विश्वास दिलादें कि वह बोर्ड पर अधिक नियंत्रण रखने तथा उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के हेतु भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

सरकार को चाहिये कि वह असली तथा नकली रेशमों की समस्या पर भी समुचित ध्यान दे। एक बात और है। एक छोटे से संशोधन की ज़रूरत है। मैं इसे प्रस्तुत तो नहीं कर रहा हूं, हां मैं इसे माननीय मंत्री की सूचना में लाना चाहता हूं। वह संशोधन यह है कि उद्योग तथा रसद मंत्री के स्थान पर वाणिज्य उथा उद्योग मंत्री कर दिया जाय।

श्री टी० एस० ए० चट्टियार (तिरुपुर) : सर्वप्रथम सरकार से मेरा यह निवेदन है कि उसके द्वारा स्थापित किये गये प्रत्येक बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट पुस्तकालय में प्राप्त होनी चाहिये जिससे सदस्य उसका लाभ उठा सकें। दुर्भाग्यवश रेशम बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं थी जिसके कारण मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ी। रेशम बोर्ड को अनेक कार्य सौंपे गये हैं जिसके लिये सरकार से मिलने वाली अनुदान राशि के अतिरिक्त इस बोर्ड को उप-कर लगाने का भी अधिकार दे दिया गयाा है। क्या इस बोर्ड ने कोई ऐसा उपकर लगाया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : *जी नहीं।*

श्री टी० एस० ए० चट्टियार: मुझे यह जान कर बहुत खेद हुआ है कि अब तक बोर्ड ने जो कार्य किया है वह संतोषजनक नहीं था। इस लिये बोर्ड पर एक सरकारी अधिकारी के नियुक्त किये जाने का मैं स्वागत करता हूं। क्योंकि अब बोर्ड पर उचित नियंत्रण रखा जा सकेगा। माननीय मंत्री ने अपने भाषण में बतलाया था कि रेशम उद्योग को जो संरक्षण दिया गया वह पर्य्याप्त नहीं था। इस सम्बन्ध में मैं एक ऐसे सामान

का उल्लेख करना चाहता हूं कि स्टेपल फाइबर (रेशेदार सूत) नामक सूत का आयात किया गया है। सूत की कमी के ही कारण इस प्रकार का रेशेदार सूत आयात करने की अनुमति दी गई थी। किन्तु इसका परिणाम लाभदायक न हुआ। दो या तीन बार धोने पर ही इस के तार तार निकल जाते हैं। किन्तु फिर भी इसे देशी रेशम उद्योग के मुकाबले पर रखा जाता है। मेरा निवेदन है कि सरकार इस मामले की अच्छी तरह छानबीन करेगी। मैसूर सरकार ने भी दिये गये संरक्षण के प्रति अपना असंतोष प्रकट किया था तथा भारत सरकार भी इससे सहमत थी। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि इस स्टेपल फाइबर का आयात क्यों होने दिया जाता है। क्योंकि इस के खरीदने वाले निर्धन व्यक्तियों को कोई लाभ नहीं होता।

श्री राघवाचारी (पेनुकोडा): रेशम उद्योग के सम्बन्ध में मुख्य शिकायत है कि इसे विदेशी माल से प्रतियोगिता करनी पड़ती है। रेशम उद्योग के दो पहलू हैं। एक तो वह जो कच्चा रेशम तय्यार करता है तथा उसे बाहर से आने वाले रेशम से प्रतियोगिता करनी पड़ती है। तथा दूसरा उपभोक्ता है। मैं ने यह सदा अनुभव किया है कि जब कभी भी आप बाहर से रेशम का आयात करते हैं तो जुलाहों को जीविका चलाने के लिये अधिक काम मिलता है, क्योंकि वे अधिक माल तय्यार करते हैं। उपभोक्ता को लाभ रहता है क्योंकि मूल्य गिर जाते हैं। अतः नई व्यवस्था में सरकार को यह देखना होगा कि जुलाहों और उपभोक्ताओं को हानि नहीं पहुंचे।

माननीय मंत्री ने यह कहा था कि वर्तमान बोर्ड सरकार से सहयोग नहीं करता है तथा वह जिस कार्य के लिये स्थापित किया गया था उसे भी संतोषजनक रूप से नहीं कर रहा है। किन्तु क्या मंत्री महोदय बोर्ड उप-प्रधान को नियुक्त करके, जिसका कार्यकाल एक वर्ष होगा, इन सब शिकायतों को दूर कर सकेंगे?

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी): मेरी समझ में इस समय जो विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत है उसका सम्बन्ध केवल एक बात से है वह यह कि हम रेशम बोर्ड के उप-प्रधान पद पर एक निर्वाचित व्यक्ति को रखें जैसा कि वर्तमान व्यवस्था है अथवा सरकारी अधिकारी को। विधेयक में जो संशोधन रखा गया है उससे तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार सरकारी अधिकारियों को निर्वाचित उप-प्रधान के स्थान पर अधिक विश्वसनीय और कार्यक्षम समझती है। मुझे सरकार के सामने केवल दो सुझाव रखने हैं। पहिला यह कि सरकार वर्तमान व्यवस्था को जारी रखे। किन्तु यदि बोर्ड किसी उपयुक्त व्यक्ति को निर्वाचित नहीं कर पाता है तो सरकार अपने व्यक्ति को उप-प्रधान के पद के लिये नियुक्त कर सकती है या सरकार यह देखती है कि जिस व्यक्ति को उप-प्रधान निर्वाचित किया गया है उसमें उसका विश्वास नहीं है तो वह अपने किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकती है।

उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में माननीय मंत्री ने यह बात कही कि सरकार रेशम बोर्ड पर अधिक ध्यान दे सके, इसके लिये किसी सरकारी अधिकारी को उप-प्रधान का नामनिर्देशन आवश्यक है। मैं इस बात को मानता हूं। मंत्रीगण केन्द्रीय रेशम बोर्ड पर ध्यान नहीं दे सके इस लिये भी यह आवश्यक है। डा० मुखर्जी जब उद्योग तथा रसद के मंत्री थे तो उन्हों ने इस में बोर्ड के कार्यों में बड़ी रुचि ली थी। उनका यह विचार था भारत का भविष्य रेशम उद्योग पर बहुत निर्भर करता है। यदि रेशम उद्योग पर अधिक ध्यान दिया जाय तो अकेला आसाम थोड़े समय में दसगुना देशी रेशम तय्यार कर सकता है। किन्तु उसे यह अवसर नहीं दिया गया।

[श्री आर० के० चौधरी]

इसका कारण यह नहीं है कि बोर्ड का उप-प्रधान निर्वाचित था और यह उप-प्रधान तो इसे बहुत प्रोत्साहन देते थे। किन्तु इसका कारण यह था कि सरकार इसको आवश्यक धन नहीं दे सकी जिससे कि रेशम बोर्ड का काम चल सकता।

मेरे माननीय मित्र श्री गुहा ने कहा कि रेशम उद्योग को चार लाख रुपये दिये गये थे। यह राशि उद्योग के विकास के लिये अपर्य्याप्त थी विशेषकर जब कि आयात किये जाने वाले रेशम के कारण यह उद्योग कठिनाई में हो। यदि इस उद्योग को संरक्षण नहीं दिया जायगा तो यह उद्योग उन्नति नहीं कर कर सकता। माननीय उद्योग मंत्री को इस पर अधिक ध्यान देना चाहिये और केन्द्रीय रेशम बोर्ड को अधिक धन की सहायता दी जानी चाहिये। सरकारी अधिकारी के उप-प्रधान न होने के कारण क्या हानि हो रही है। मैं यह पूछता हूं कि सरकारी अधिकारी यदि इसका उप-प्रधान होगा तो क्या वह निर्वाचित उप-प्रधान जो संसद् या राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो सकता है, की अपेक्षा सरकार से रेशम बोर्ड को अधिक अनुदान दिलवा सकता है अथवा इस की ओर मंत्री महोदय का ध्यान अधिक दिलवा सकता है ? यदि इसका उत्तर स्वीकारात्मक है तो मैं कहूंगा कि माननीय मंत्री संसद् सदस्य या विधान मण्डल के सदस्य, जो उनके सहयोगी हैं, की अपेक्षा अधिकारियों को बहुत महत्व देते हैं।

मैं धनाभाव के सम्बन्ध में कहूंगा। श्री निधिरामदास ने अपना पूरा जीवन इस उद्योग में लगा दिया है और उन्हों ने तीन कातने के चर्खों का आविष्कार किया जिस में एक रुई के कातने के लिये दूसरा टसर के लिये तथा एक और है। मैं ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड से कई बार कहा इन बातों के लिये धन दिया जाय जिससे कि ये चर्खे पूरे भारत में चल सकें। स्वयं श्री महावीर त्यागी ने इस चर्खे को लेकर इसका प्रयोग किया। इस की उत्पादन क्षमता किसी भी चर्खे से अधिक पायी गई। टसर के लिये जो चर्खा बना वह उड़ीसा और बिहार भेजा गया और इस चर्खे से इसका भी उत्पादन बहुत बढ़ा। केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सचिव इस प्रयोग को देखने गौहाटी गये किन्तु वह भी धन न दे सके। निधिराम दास ने इन चर्खों की उन्नति के लिये अपना सब धन लगा दिया। आसाम सरकार ने उन्हें थोड़ी सी आर्थिक सहायता दी। मेरा कहना यह है कि इन चर्खों के बनाये जाने तथा इनका भारत में प्रचार किये जाने के लिये इस व्यक्ति को एक लाख रुपया दिये जाने चाहियें। यदि सरकार इन चर्खों के बनाने के लिये एक कारखाना खोल दे और इन चर्खों का पूरे भारत में प्रचार कर दे तो रेशम का उत्पादन कई गुना बढ़ जायगा। किन्तु केन्द्रीय रेशम बोर्ड किसी राज्य विशेष को किसी विशेष आविष्कार के लिये अपने धन का एक-चौथाई कैसे दे सकता है। वर्तमान मंत्री के पूर्वाधिकारी इन चर्खों को देखने गौहाटी आना चाहते थे पर वह ऐसा न कर सके।

अतः इस विषय में सरकारी अधिकारी उप-प्रधान द्वारा ध्यान दिये जाने की आवश्यकता नहीं अपितु इसके प्रधान स्वयं मंत्री महोदय द्वारा ध्यान दिये जाने की अधिक आवश्यकता है। मंत्री महोदय को इस बात पर विचार करना चाहिये कि देश के लिये रेशम का अधिक उत्पादन आवश्यक है या नहीं और सरकार को कपड़ा उद्योग की अपेक्षा रेशम उद्योग पर अधिक ध्यान देना चाहिये या नहीं। यदि सरकार इस उद्योग पर अधिक ध्यान देना आवश्यक नहीं समझती तो अच्छा है कि रेशम बोर्ड बिल्कुल न रहे। यदि हम चाहते हैं कि देश में रेशम उद्योग बढ़े तो मंत्री महोदय को इस में अधिक रुचि लेनी चाहिये। क्या

इस सदन का कोई सदस्य उप-प्रधान के रूप में कार्य नहीं कर सकता ? रेशम बोर्ड के पास तो धन वैसे ही नहीं है फिर हम सरकारी अधिकारी को उप-प्रधान क्यों नियुक्त करें जिसका वेतन २००० रुपये हो। इसी काम को संसद् या विधान मण्डल का निर्वाचित सदस्य भी कर सकता है।

एक और बात यह है कि रेशम उद्योग को आयात किये गये नकली रेशम के तथा फ़ैशन-परस्त नवयुवतियों की मनोवृत्ति के कारण हानि होती है। आसाम में जो रेशम बनता है वह बहुत दिनों तक चलता है। फ़ैशनपरस्त नवयुवतियां अपने वस्त्र बहुत शीघ्र बदलती हैं और वे इस रेशम को पसन्द नहीं करतीं। बोर्ड के समक्ष इस बात पर विचार करना चाहिये कि नकली रेशम अथवा अधिक दिन चलने वाला रेशम पसन्द करना है। स्त्रियां नकली रेशम पसन्द करती हैं और उन्हीं की बात मानी जाती है। तो देशी रेशम किस काम का होगा ?

महात्मा गांधी ने मूंगा रेशम देख कर यह कहा था यह सब से अच्छा रेशम है। मूंगा रेशम का रंग सुनहरी होता है और ऐसा ही बना रहता है, यह बदलता नहीं। नकली रेशम अधिक दिन नहीं चलता। मैं सदन तथा माननीय मंत्री से अपील करूंगा कि हम सदा के लिये इस बात का निश्चय करलें कि हम देशी रेशम की ही रखेंगे, तो हमें आयात किये हुए रेशम के विरुद्ध इस रेशम उद्योग को संरक्षण देना पड़ेगा और इसका प्रचार करना पड़ेगा। अन्त में मैं माननीय मंत्री से यह अपील करता हूं कि जो मैं ने सुझाव दिये हैं उसके अनुसार इस खण्ड में संशोधन करें। हम बोर्ड को एक मौका फिर दें कि वह सरकारी अधिकारी को उप-प्रधान चाहता है अथवा गैर सरकारी व्यक्ति को रखना चाहता है।

डा० एम० एम० दास (बर्दवान—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : यह एक छोटा संशोधन विधेयक है जिस में मूल अधिनियम के दो उपबन्धों को बदलने का प्रयत्न किया जा रहा है, अर्थात् १९४८ का केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम जिस से सरकार ने देश के रेशम उद्योग को अपने नियंत्रण में ले लिया। एक उपकर लगाया गया था तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड और इसकी स्थायी समिति···

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों को यह बता दूं कि यह विधेयक केन्द्रीय रेशम बोर्ड की रचना तक ही सीमित है। मैं समझता हूं कि रेशम के आयात करने, रेशम उद्योग की सामान्य दशा आदि पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। अतः माननीय सदस्य बोर्ड की रचना तक सीमित होकर अपनी बातें कहें।

डा० एम० एम० दास : केन्द्रीय रेशम बोर्ड को बने हुए चार वर्ष हो गये हैं किन्तु रेशम उद्योग में न तो उन्नति हुई और न वह दृढ़ हो सका। इसके विपरीत इसकी दशा अच्छी नहीं रही। केन्द्रीय रेशम बोर्ड अपना कार्य संतोषजनक तथा सुचारु रूप से नहीं कर सका। इसके दो कारण बताये गये हैं। एक तो यह कि माननीय मंत्री जो इसके धान भी हैं अन्यत्र व्यस्त रहने के कारण इसकी बैठकों में भाग नहीं ले सके। दूसरा यह है कि इसका उप-प्रधान बोर्ड द्वारा निर्वाचित व्यक्ति है। इन्हीं दो कारणों से रेशम उद्योग की दशा अच्छी नहीं है। विदेशी रेशम विशेषकर जापानी रेशम के आयात तथा नकली रेशम पर बहुत अधिक सट्टे का रेशम के दामों तथा देश के बाज़ारों में रेशम पर प्रभाव पड़ता है। तटकर बोर्ड के अनुसार देश में रेशम की वार्षिक खपत चालीस लाख पौण्ड है तथा वार्षिक उत्पादन २१ लाख पौण्ड है। अतः विदेशों से रेशम को आयात करने की आवश्यकता है। इस मात्रा को गिनने के लिये इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि देश में प्रति दिन असली रेशम के स्थान पर नकली रेशम बढ़ रहा है।

[डा० एम० एम० दास]

उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में यह कहा गया है कि इस उद्योग को मज़बूत करने के लिये यह आवश्यक है कि सरकार के बोर्ड के कार्य में अधिक नियंत्रण रखे । हमारा रेशम उद्योग पुराना तथा महत्वपूर्ण उद्योग रहा है। इस से देश के निर्धन व्यक्तियों की आमदनी होती है और विदेशी विनिमय भी बचता है । सभी रेशम पैदा करने वाले देशों में यह निर्धन व्यक्तियों का सहायक उद्योग है । कारख़ाने में बना रेशम कुटीर उद्योग मे बने रेशम के मुकाबले में प्रतियोगित नहीं कर सकता । उद्योग में प्रगतिशील देश रेशम का अधिक उत्पादन नहीं कर सकते। अतः सभी जगह रेशम निर्धन व्यक्तियों का उद्योग है । यह उद्योग हमारी सरकार की सहायता के बिना उन्नति नहीं कर सकता ।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि इन बातों का इस विधेयक से बहुत कम सम्बन्ध है । इस विधेयक से तो केवल बोर्ड की रचना की बात पैदा होती है।

डा० एम० एम० दास : मैं एक बात की ओर सरकार और सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । देश के रेशम उद्योग का सब से बड़ा शत्रु नकली रेशम या रेयन है । जुलाहे नकली और असली दोनों को मिला कर रेशम तय्यार करते हैं । यह रेशम बाज़ार में सस्ता बिकता है । यह असली रेशम के नाम से बेचा जाता है। और ग्राहकों को धोखा दिया जाता है । चूंकि यह अच्छा नहीं होता अतः लोग रेशम कम ख़रीदते हैं । मेरा सुझाव यह है कि सरकार ऐसे मिलावट के रेशम तय्यार करने पर प्रतिबन्ध लगा दे । सरकार रेशम बोर्ड तथा रेशम उद्योग पर अधिक नियंत्रण रखना चाहती है । हम सरकार से यह आशा करते हैं कि वह रेशम के उद्योग की उन्नति के लिये भरसक प्रयत्न करेगी । इस उद्योग के कारण हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक समस्या हल हो सकती है ।

सांसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"अब वादविवाद समाप्त किया जाय ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"अब वादविवाद समाप्त किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे खेद है कि मैं ने इस प्रस्ताव पर सदन का समय लिया । ऐसा प्रतीत होता है कि इससे सदस्यों में कुछ जोश तथा रुचि पैदा हो गई है । मेरे एक माननीय मित्र ने पूछा कि मैं ने बोर्ड की राय ली या नहीं । मेरी शिकायत यह है कि बोर्ड कार्य नहीं करता । इस की बैठक एक वर्ष पहिले हुई । जैसा मेरे माननीय मंत्री ने कहा कि बोर्ड की बैठक श्रीनगर में होनी थी और मैं वहां पहिले कभी नहीं गया था अतः मैं उस बैठक में सम्मिलित होना चाहता था किन्तु उस बैठक की अपेक्षा मैं ने संसदीय कार्य को अधिक आवश्यक समझा । बोर्ड कार्य नहीं करता । मैं किससे पूछूं तथा इस विषय में बोर्ड से कैसे परामर्श करूं ? बात यह है कि बोर्ड कार्य नहीं करता अतः हमने सोचा कि हम स्थायी समिति से तो कार्य करवा सकते हैं । वास्तव में बात यह है कि उप-प्रधान सरकार द्वारा नामनिर्देशित होता है और वह स्थायी समिति में होगा । स्थायी समिति की बैठक होगी और वह कार्य करेगी । श्री रोहिनी कुमार चौधरी ने पूछा कि 'हम उस में ग़ैर सदस्य क्यों न रखें ?' ऐसा हो सकता है कि ग़ैर सरकारी व्यक्ति आसाम में हों और स्थायी समिति की बैठक दिल्ली अथवा बम्बई में हो सकती है । इस दशा में वह स्थायी समिति

की बैठक में सम्मिलित नहीं हो सकता। यह सब चीज़ एक बड़ी विचित्र दशा में है और इस अधिनियम का निरसन करने के हेतु मैं एक प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा। रेशम बोर्ड को इस मरणासन्न स्थिति में कार्य नहीं करने दिया जा सकता। इस समय मेरा विचार यह है कि कपड़ा आयुक्त को उप-प्रधान बना दिया जाय और स्थायी समिति का कार्यालय बम्बई में भेज दिया जाय और उससे इस बोर्ड को क्रियाशील बनाने के लिये कहा जाय और इस उद्योग को सहायता देने के लिये कहा जाय। यदि माननीय सदस्य इस बात को नहीं चाहते तो इस निर्जीव उद्योग का उत्तरदायित्व उन पर होगा मुझ पर नहीं।

बहुत से प्रश्न उठाये गये थे। यह पूछा गया था कि कोई उप-कर लगाया गया या नहीं। कोई उप-कर नहीं लगाया गया। निर्धारित नियमों के नियम १२ के अन्तर्गत उप-महालेखा पाल नियमित रूप से बोर्ड के लेखे की परीक्षा करते हैं। कुछ समय के लिये स्टेपल फाइबर तथा कच्चे रेशम के आयात के आयात को रोक रखा गया। अभी हमने नीति घोषित नहीं की। जब तक कि हमें सम्बद्ध उद्योगों की आवश्यकताओं का पता न लग जाय तब तक मेरा विचार आयात करने की अनुमति देने का नहीं है। किन्तु यदि उद्योग बन्द रहते हैं—मुझे बताया गया है कि रेशम का उद्योग बन्द है और उसने ३० करोड़ गज़ कपड़ा प्रति वर्ष तय्यार किया और ४०,००० से ५०,००० व्यक्ति तक उसमें कार्य करते हैं, तो इस दशा में मैं आयात की अनुमति देने के लिये बाध्य हूंगा किन्तु इस समय इन सब बातों पर जांच हो रही है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने उपयोगी सुझाव दिये हैं और मैं ने उन सब को नोट कर लिया है और यदि सरकार इस बोर्ड पर किसी प्रकार का नियंत्रण रखेगी और इसके कार्य में सुधार करेगी तो इन सुझावों पर विचार किया जायगा और इन पर कार्य भी किया जायेगा।

श्री अरुण चन्द्र गुहा ने संसद् के अधिनियमों के अन्तर्गत, मेरे मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले बोर्डों के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बातें उठाईं। उनकी आलोचना की वास्तविकता को मैं समझता हूं। वास्तव में यह मेरी इच्छा है कि भविष्य में इन बोर्डों का कार्य संसद् के अधीक्षण से सम्बद्ध हो जाय। इस समय मैं कोई वचन तो दे नहीं सकता किन्तु मेरा ध्यान उन बातों पर है कि रिपोर्टें सदन पटल पर अवश्य रखी जायें। निस्सन्देह ये रिपोर्टें पुस्तकालय में भेज दी जाती हैं; भविष्य में मैं इन रिपोर्टों को सदन पटल पर भी रख दूंगा।

श्री ए० सी० गुहा : मेरे शिकायत करने पर मुझे रिपोर्टें आज सवेरे मिलीं और वे पुस्तकालय मे कल भेजी गई थीं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं मानता हूं कि इस मामले मे रिपोर्टें कल आईं। किन्तु इससे तो यहीं विदित होता है कि बोर्ड अच्छी प्रकार से कार्य नहीं कर रहा। श्री रोहिणी कुमार चौधरी ने कहा कि बोर्ड अच्छी प्रकार से कार्य करता रहा। इसकी बैठक वर्ष में एक और स्थायी समिति की दो बार होती है किन्तु इस वर्ष इस की दूसरी बैठक नहीं हुई। यदि रेशम उद्योग को इस बोर्ड से सहायता मिलनी है तो सदन समझ सकता है कि उद्योग का क्या हाल होगा।

श्री आर० के० चौधरी : यदि रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है तो इस के लिये बोर्ड का उप-प्रधान या इस के सदस्य अथवा इस का सचिव उत्तरदायी हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हम चाहते हैं कि इस के लिये कोई उत्तरदायी हो और इस का उत्तरदायित्व केवल सरकारी अधि-

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

कारी ही हो सकता है गैर सरकारी नहीं। अधिकांश बोर्डों में गैर सरकारी व्यक्ति अनुत्तरदायी होते हैं। मुझे आशा है कि जब हम बोर्ड की पुनर्रचना करेंगे तो सदस्य इस में अधिक रुचि लेंगे। किन्तु हम इस में उत्तरदायी केवल सरकारी व्यक्ति को ही बना सकते हैं। एक वर्ष तक हम इस को कर के देखना चाहते हैं। यदि वह सफल हुआ तो हम इसे और अधिक समय तक कर सकते हैं। और यदि यह बात सफल न हुई तो मैं गैर सरकारी व्यक्ति को नियुक्त करूंगा। मैं इस उद्योग के लिये कुछ लाभकारी बात करना चाहता हूं।

बहुत से प्रश्नों का तो यही उत्तर है। किन्तु अग्रेतर आवश्यक संशोधनों के सम्बन्ध में मैं ने पहले ही कह दिया कि मैं इस प्रश्न की जांच कर रहा हूं। यदि रेशम बोर्ड अधिनियम में संशोधन करना पड़े, जैसा कि मुझे काफी विक्रय तथा नियंत्रण अधिनियम और रबड़ उत्पादन अधिनियम में संशोधन करने पड़े तो हम सभी संशोधनों को एक ही अधिनियम में रखेंगे। उस समय मैं सदन को बताऊंगा कि बोर्ड के कार्य प्रणाली में हम क्या उन्नति करना चाहते हैं। किन्तु इस मामले पर विचार हो रहा है। चूंकि सदस्यों ने यह कहा कि सरकार को इस उद्योग पर अधिक ध्यान देना चाहिये। तो मैं ने समझा कि वर्तमान संशोधन आवश्यक है। यदि सदन ने इस को मान लिया तो रेशम उद्योग को इस से लाभ होगा।

श्री ए० सी० गुहा : मैं जान सकता हूं कि क्या बोर्ड ने टैक्नीकल तथा आर्थिक अनुसन्धान और रेशम की जांच करने के लिये कोई कार्यवाही की है? ये बोर्ड के दो मुख्य कार्य हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जो कुछ बोर्ड करता रहा है उसका मेरे पास संक्षिप्त वृत्तान्त है। इस ने सरकार को कुछ सिफारिशें भेजीं, और जापान से कुछ मशीनें मंगाई। बोर्ड के सुझाव पर मद्रास, मैसूर तथा बंगाल से तीन रेशम बनाने के कीड़े पालने के ज्ञाता अधिकारियों को जापान भेजा गया। शहतूत के विभिन्न प्रकार के बीस हज़ार पौदे मंगाये गये। इस के पास तीन टैक्नीकल निरीक्षक भी हैं जो राज्यों को टैक्नीकल सहायता देते हैं। मुझे इस के द्वारा अनुसन्धान किये जाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता किन्तु मैं यह मानता हूं कि यह मामला पूर्ण रूप से असन्तोषजनक है।

इस के पश्चात् प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ।

खण्ड २—(धारा ४ आदि का संशोधन)

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि श्री गुरुपादस्वामी अपना यह संशोधन प्रस्तुत करें कि लोक-सभा के "दो" के स्थान पर "तीन" सदस्य हों तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'पृष्ठ १ में, पंक्ति ८ में "Two persons" [दो व्यक्ति] शब्दों के स्थान पर "Three persons" [तीन व्यक्ति] शब्द आदिष्ट किये जायें।'

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं संशोधन को स्वीकार करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ १ में, पंक्ति ८ में, "Two persons" [दो व्यक्ति] शब्दों के स्थान पर "Three persons" [तीन व्यक्ति] शब्द आदिष्ट किये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड २ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ३ तथा चार ४ विधेयक के अंग बना लिये गये ।

नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बना लिये गये ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

साहित्यिक तथा कलात्मक कृतियों के रक्षण के लिये बर्न में हुए अभिसमय के सम्बन्ध में संकल्प

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री के सभासचिव (श्री के डी मालवीय) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सदन साहित्यिक तथा कलात्मक कृतियों के रक्षण के लिये बर्न में हुए अभिसमय, जैसा कि बर्न में २६ जून, १९४८ में अन्तिम रूप से पुनरीक्षित हुआ तथा जिस पर भारत सरकार और अन्य कई देशों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये, को स्वीकार करता है, तथा इस की यह सम्मति है कि उक्त अभिसमय भारत सरकार द्वारा अभिसमर्थित किया जाय ।"

इस के पश्चात् सभापति महोदय द्वारा संकल्प प्रस्तुत किया गया ।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा): क्या वह हमें बतायेंगे कि यह किस विषय में है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह जून १९४८ में पुनरीक्षित बर्न अभिसमय के सम्बन्ध में है। इस अभिसमय से "साहित्यिक तथा कलात्मक कृतियों" का कार्य क्षेत्र विस्तृत होता है ज्ञान की वृद्धि के साथ यह अनुभव किया गया कि "साहित्यिक तथा कलात्मक कृतियों" शब्द के क्षेत्र को बढ़ा दिया जाये । १९२८ के रोम अभिसमय को ब्रुसेल्स में पुनरीक्षित किया गया । हम भी उसमें सम्मिलित हुए थे और हम चाहते हैं कि सदन इस पर अपनी स्वीकृति दे । इस के बाद भारत सरकार इस पुनरीक्षित अभिसमय का अभिसमर्थन करेगी और उस के बाद १९१४ के प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम में संशोधन किया जायेगा । इस के लिये फिर हम सदन से कहेंगे ।

श्री ए० सी० गुहा (शान्तिपुर) : हमें यह नहीं बताया गया कि इस अभिसमय को कितने देशों में अभिसमर्थित किया है और कितनों ने इस पर हस्ताक्षर किये हैं, और क्या इस के द्वारा दिये गये अधिकार सब देशों पर लागू होंगे । कम से कम हमें अपने पड़ौसी देशों के विषय में कुछ बताया जाना चाहिये था। मंत्री महोदय को पूर्ण सूचना देना चाहिये। इस अभिसमय के कारण ज्ञान के प्रसार में कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये । मैं इन अधिकारों को रक्षा देने की बात को समझता हूं किन्तु इसे एक निहित स्वत्व नहीं बनाना चाहिये । इस संकल्प को स्वीकार करने से पूर्व हमें और अधिक सूचना मिलनी चाहिये ।

श्री के० डी० मालवीय : मैं माननीय सदस्य की बात मानता हूं । हो सकता है जो नोट उन्हें दिये गये हैं वे बड़े न होंगे किन्तु उन में यह दिया हुआ है कि लेखकों तथा कलाकारों के अधिकारों पर कोई ऐसा प्रतिबन्ध नहीं जो माननीय सदस्य ने कहा। इस अभिसमय का उद्देश्य स्थानीय नागरिकों को संरक्षण देने का है ।

श्री ए० सी० गुहा : कितने वर्ष तक स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार चलते रहेंगे और क्या उत्तराधिकारियों को यह अधिकार मिलेंगे—इन दो बातों को स्पष्ट कर देना चाहिये ।

श्री के० डी० मालवीय : यदि मेरी बात गलत हो तो उस में सुधार कर दिया जाये । इन अधिकारों की पचास वर्षों तक रक्षा की जायेगी ।

श्री ए० सी० गुहा : पचास वर्ष जीवन काल में अथवा मृत्यु के बाद ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं समझता हूं कि मृत्यु के बाद । इस अभिसमय का मुख्य उद्देश्य उन कलाओं तथा कृतियों को, जो १९२८ तक उस में सम्मिलित नहीं किये गये थे, सम्मिलित करना है ।

श्री ए० सी० गुहा : इस अभिसमय पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किये ?

श्री के० डी० मालवीय : २९ देशों ने और बहुत से देशों ने उस की कार्यवाही को देखा । पड़ोसी देशों के विषय में मुझे निश्चित पता नहीं । किन्तु कुछ देश ग्रीस, हंगरी, आयलैंड, इटली, लेबनान, डेनमार्क, कनाडा, बेल्जियम, आस्ट्रिया, मोरक्को, स्विटज़रलैंड. तथा यूगोस्लेविया हैं ।

इस के पश्चात् प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ ।

जांच आयोग विधेयक

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "जांच आयोग को नियुक्त करने तथा उक्त आयोगों को कुछ अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया, विचार किया जाये ।"

मुझे प्रसन्नता है कि प्रवर समिति की रिपोर्ट के विषय में प्रायः एक ही सम्मति है । माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि प्रवर समिति ने इस विधेयक के प्रत्येक उपबन्ध की बड़ी सावधानी से जांच की है और कुछ परिवर्तन किये हैं जो सर्वसम्मति से स्वीकृत हो गये थे । विधेयक का उद्देश्य एक स्पष्ट असुविधा को दूर करने का है । दो या तीन वर्ष पूर्व चीनी उद्योग से सम्बन्धित कुछ मामलों की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी । उस समिति के अध्यक्ष ने, जो कि एक उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश थे, कहा कि उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं मिला और वह गवाहों के बयान लेने या लोगों को संगत सूचना देने के लिये बुलाने में असमर्थ रहे । अतः इस विषय की जांच करने के बाद यह वांछनीय समझा गया कि प्रत्येक जांच आयोग से सम्बन्धित तदर्थ विधान रखने की अपेक्षा किसी ऐसे विधान को बनाना अधिक सुविधाजनक होगा जो कि सभी जांच आयोगों पर लागू हो सके और आयोगों को गवाहों के बयान लेने का अधिकार दिया जाय और कुछ ऐसे कार्य किये जायें जिस से उन्हें दीवानी न्यायालय के कुछ अधिकार मिलें । इसी उद्देश्य से यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया है ।

विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने से पूर्व विचारार्थ प्रस्ताव की चर्चा के समय यह कहा गया था कि जांच ही जांच और समितियां ही समितियां हैं और यह सुविधाजनक और कार्यसाधक नहीं होगा कि जांच के प्रत्येक आयोग और समिति को वह अधिकार दिये जायें जो इस विधेयक द्वारा उन समितियों को दिये जायेंगे अतः इस में कुछ भेद किया जाना चाहिये । प्रवर समिति ने उस बात को मान लिया है और विधेयक में यह स्पष्ट है कि यह अधिनियम विधेयक के खंड ३ के अन्तर्गत विशेष रूप से नियुक्त किये गये आयोगों पर

ही लागू होगा और सम्बद्ध केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार इन समितियों को नियुक्त करने वाली अधिसूचना में यह स्पष्ट कर देगी कि यह आयोग इस विधेयक के खंड ३ के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है और इस विधेयक के खंड ४ में निर्दिष्ट अधिकार समिति को स्वयं ही मिल जायेंगे ।

इस विधेयक में, जैसा कि यह आरम्भ में बनाया गया था, वह अधिकार सम्मिलित थे जिन के द्वारा गवाहों से शपथ पूर्वक बयान लिया जा सकता; सार्वजनिक कार्यालयों से लेख्य तथा अभिलेख मंगाए जा सकें और लोगों को सूचना देने के लिये बाध्य किया जा सके । उस में किसी स्थान की तलाशी तथा काग़ज़ों को ज़ब्त करने का भी अधिकार था। यह कहा गया था कि तलाशी करवाना तथा काग़ज़ों को ज़ब्त करने का अधिकार कुछ अनुल्लंघनीय है अतः इस पर और विचार किया जाना चाहिये और प्रत्येक समिति को वह अधिकार नहीं मिलना चाहिये। प्रवर समिति ने भी इस बात को माना है और इस बात का उपबन्ध किया गया है कि विधेयक के खंड ४ के अन्तर्गत प्रत्येक समिति को गवाहों को बुलाने और उन की गवाही लेने का अधिकार है, विधेयक के खंड ५ में उल्लिखित अतिरिक्त अधिकार, अर्थात् लोगों को सूचना देने के लिये बाध्य करना और तलाशी लेने का अधिकार केवल तभी मिलेगा जब सम्बद्ध सरकार समितियों को नियुक्त करने वाली अधिसूचना में विशेष रूप से यह उल्लिखित न करे कि सम्बन्धित समितियों के ये अधिकार भी हैं। मुझे विश्वास है कि सम्बद्ध सरकार इन अधिकारों को उचित मामलों में ही देगी और विशेषकर उन आयोगों को देगी जिन के अध्यक्ष किसी न्यायालय के सेवा निवृत न्यायाधीश जैसे उच्च स्थिति के व्यक्ति हों जिन पर ऐसे मामलों में इन अधिकारों को प्रयोग करने के विषय में विश्वास किया जा सके । विधेयक के खंड ५ में यह दिया हुआ है ।

कुछ साधारण मामले भी हैं। जांच आयोगों को नियुक्त करने का अधिकार सूची १ अर्थात् संघ सूची में और सूची ३ जो कि समवर्ती सूची है, में सम्मिलित है । सूची ३ में केन्द्रीय तथा राज्य दोनों सरकारों को किसी राज्य के अधिकारान्तर्गत किसी मामले के सम्बन्ध में जांच करने और समितियों द्वारा जांच करवाने का अधिकार दिया हुआ है, अर्थात् सूची २ में और ऐसे मामलों में जो सूची ३, समवर्ती सूची में दिया हुआ है । परिणामतः भारत सरकार को सभी मामलों पर पूरे भारत में जांच करवाने का अधिकार है जब कि राज्य सरकार सूची २ और समवर्ती सूची ३ तक सीमित है। विधेयक में यह भी कहा गया है कि जिस मामले में केन्द्रीय सरकार ने जांच करवाई हो उस में राज्य सरकारें जांच नहीं करवा सकतीं और दो वर्ष तक ऐसा नहीं करेंगी । यह प्रतिबन्ध उचित नहीं समझा गया क्योंकि पहिले तो अपने क्षेत्राधिकार में राज्य सरकार का ही इस से सम्बन्ध है । यह बात हटा दी गई है और यह स्पष्ट उल्लिखित कर दिया गया है कि यदि कोई राज्य किसी समिति से जांच करवाता है तो केन्द्रीय सरकार उस में समिति नियुक्त न कर के तब तक हस्तक्षेप न करेगी जब तक उस मामले का सम्बन्ध कई राज्यों से न हो! हम नहीं चाहते कि एक ही मामले में एक जैसी दो समितियां कार्य करें। यदि राज्य सरकार यह समझती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने बहुत अधिक कार्य नहीं किया तो उस समिति द्वारा अपना कार्य समाप्त करने के बाद राज्य सरकार द्वारा अपनी समिति नियुक्त किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है । यह बात खंड २ और ३ में भी स्पष्ट कर दी गई है ।

यह कहा गया था कि हम नहीं चाहते कि ये जांच समितियां अनिश्चित समय तक कार्य न करें । नियुक्त करने वाली अधिसूचना में

[डा० काटजू]

राज्य सरकार उस तिथि का उल्लेख करेगी जब ये समितियां अपना कार्य समाप्त कर देंगी । यदि आयोग यह आवेदन पत्र दें कि अभी उस का कार्य समाप्त नहीं हुआ तो सम्बद्ध सरकार को उचित मामलों में कालावधि बढ़ाने का अधिकार है ।

अब सूचना देने के लिये बाध्य करने का प्रश्न आता है । इस बात पर आपत्ति की गई थी कि यह एक विशेषाधिकार का मामला हो सकता है और गवाह सूचना न दें । स्थिति यह है कि विशेषाधिकार तो हो सकता है और यह सम्बद्ध व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह वाक्बद्ध होना न चाहे विशेषाधिकार न मांगे । मुझे प्रश्न पूछने का अधिकार है उचित मामलों में गवाहों का यह विशेषाधिकार है कि वह प्रश्न का उत्तर दे अथवा विशेषाधिकार मांगे और यह खण्ड ५ में स्पष्ट कर दिया गया है । मैं नहीं जानता कि इस बात में क्या इतना भय प्रदर्शित किया गया कि इंस्पैक्टर तथा सब-इंस्पैक्टर जैसे छोटे अधिकारियों द्वारा तलाशी ली जायेगी । किन्तु खंड ५ के उप-खंड (३) में हम ने यह रखा है कि समिति के आदेश के अन्तर्गत केवल राजपत्रित अधिकारी तलाशी ले सकता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १०२ और १०३ के उपबन्धों के अन्तर्गत वह तलाशी लेगा इन दोनों धाराओं में यह उल्लिखित है कि तलाशी लेने वाला अधिकारी दो गवाहों के सामने तलाशी लेगा और तुरन्त सूची तैयार करेगा । इन धाराओं के अन्तर्गत उसे यह भी अधिकार होगा कि किसी स्थान का ताला भी तोड़ सकता है और जिस स्थान पर स्त्रियां हों वहां वह इस बात का ध्यान रखेगा कि उन के साथ दुर्व्यवहार न हो । खण्ड ११ महत्वपूर्ण है । यह विधेयक सभी जांच समितियों और जांच आयोगों पर लागू नहीं होगा । यह उसी आयोग पर लागू किया जा सकता है जो खण्ड ३ के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है । किन्तु खण्ड ११ के अन्तर्गत यह अधिकार है कि आरम्भ में जो समिति खण्ड ३ के अन्तर्गत नियुक्त न की गई हो, किन्तु बाद में वही समिति कार्य कर रही हो तो इस के भी कारण बताये जाते हैं कि खण्ड ३ के अन्तर्गत नियुक्त किये जाने वाले आयोग के लिये निर्धारित अधिकार इस विशेष समिति को देना आवश्यक क्यों है ?

मैं देखता हूं कि बहुत से संशोधनों की सूचना है । ये छब्बीस संशोधन हैं । मैं समझता था कि इन में प्रवर समिति में इस मामले पर बहुत अधिक चर्चा की थी और सभी दृष्टिकोणों पर विचार किया था और उन्हे पूरा करने का प्रयत्न किया था । सदन को यह पता लगेगा कि समिति बड़ी सशक्त समिति थी और यह रिपोर्ट सर्व सम्मति से भेजी गई है । अतः मैं समझता था कि इस विधेयक पर अधिक चर्चा न हो कर इसे पारित कर दिया जायेगा । संशोधनों पर मुझे कोई आपत्ति नहीं । सभी सदस्यों को अपने दृष्टिकोण रखने का अधिकार है । किन्तु मेरा सुझाव है कि यह विधेयक जैसा है इसे कार्यकारी समझा जाना चाहिये । और विरोधी दल के सदस्यों के विचार से भी यह समझा जाना चाहिये कि इस में पहिले से पर्याप्त सुधार हुआ है और इसलिये इस पर और अधिक समय न लगा कर इसे पारित कर दिया जाये ।

इसके पश्चात् सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं इस समय केवल राज्य सूची में उल्लिखित विषयों के सम्बन्ध में नियुक्त किये जाने वाले आयोगों तक अपने आप को सीमित रखूंगा । यह तो सर्व विदित है कि केन्द्र में अधिकाधिक शक्ति केन्द्रित की गई है । बहुत से ऐसे विषय

हैं जिन को राज्य सूची से निकाल कर केन्द्रीय सूची में रख दिया गया है। इस प्रकार राज्य सरकारों जिला बोर्डों नगरपालिकाओं की स्थिति में कर दिया गया है। मेरा निवेदन है कि इस विधेयक द्वारा राज्यों को दिये गये कम से कम स्वायत्तशासन पर भी आघात किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में किसी भी राज्य सरकार से परामर्श नहीं किया गया है। मेरे विचार में राज्य सूची को खण्ड (क) के अन्तर्गत रख लेने से केन्द्र तथा राज्यों में मन मुटाव अधिक बढ़ जायेगा क्योंकि हो सकता है कि बहुत से विषय ऐसे हों जिन के सम्बन्ध राज्य सरकारें जांच न करवाना चाहती हों, किन्तु केन्द्रीय सरकार करवाना चाहती हो।

इस विधेयक के अन्तर्गत जांच आयोग नियुक्त करने का अधिकार कार्यकारी प्राधिकार को दिया गया है। यह तो ठीक है, किन्तु वह आयोग किन विषयों के सम्बन्ध में जांच करेगा इस का निर्धारण अधिकार कार्यकारी प्राधिकार को नहीं दिया जाना चाहिये। जब तक लोक सभा या राज्य परिषद् किसी विशेष मामले में जांच करने के लिये संकल्प न पारित कर दें तब तक जांच आरम्भ नहीं होनी चाहिये। सरकार का कर्तव्य केवल जांच आयोग नियुक्त करने तक सीमित होना चाहिये। किन विषयों में जांच होनी चाहिये यह अधिकार सरकार को न दिया जाना चाहिये।

विधेयक में यह भी नहीं दिया है कि जांच आयोग नियुक्त किये जाने के पश्चात् वह किस प्रकार कार्य करेगा, अर्थात् खुले रूप से या गुप्त रूप से। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की जांच के समय प्रत्येक व्यक्ति को आने की अनुमति होनी चाहिये ; यह कार्यवाही गुप्त रूप से न हो कर खुले रूप से होनी चाहिये। किन्तु यदि राज्य सरकार खुले रूप से किन्हीं विषयों की जांच करवाने के विषय में आपत्ति करती है तथा ऐसा करना राज्य हित में है तो उसे गुप्त रूप से किया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि सूची २ को जहां कहीं भी वह इस विधेयक में उल्लिखित हो निकाल दिया जाये।

श्री ए० सी० गुहा (शान्तिपुर) : प्रवर समिति से वापस आये विधेयक में कुछ सुधार तो अवश्य हुए हैं, लेकिन फिर भी उस में कुछ कमियां रह गई हैं। मैं समझता हूं कि सूची ३ ऐसे विषयों में सम्मिलित नहीं की जानी चाहिये थी जिस की जांच राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लिये बिना करेगी। हमें यह मानना होगा कि एक लोकतन्त्रात्मक राज्य में सरकार को लोक महत्व के किसी विषय की जांच करने का प्राधिकार होना चाहिये। परन्तु प्रायः यह देखा गया है कि सरकार ने जांच तो करवाई है किन्तु जांच समितियों या आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों पर पालन नहीं किया है। मितव्ययता समिति ने बहुत सी बातों की जांच की और सिफारिशें भी कीं। किन्तु सरकार ने उस सम्बन्ध में कोई कार्य नहीं किया। मंत्री महोदय के वक्तव्य में सरकार की इस नीति के सम्बन्ध में उल्लेख अवश्य होना चाहिये था कि वह इस जांच आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में क्या करेगी।

मैं नहीं चाहता कि आयोग के किसी अधिकार को किसी मामले में आयोग के पूर्ण अधिकार नहीं मिलने चाहियें। प्रवर समिति ने यह रखा है कि अधिकारी राजपत्रित अधिकारी से निम्न श्रेणी का न होना चाहिये। मैं समझता हूं कि उस आयोग के किसी अधिकारी को आयोग के प्रत्यायोजित अधिकार नहीं मिलने चाहियें। मैं नहीं समझता कि सरकार हमें यह आश्वासन दे सकती है कि उस के सभी अधिकारियों में भ्रष्टाचार की भावना नहीं है। आयोग किसी सदस्य की कुछ दिनों की अनुपस्थिति तथा उस रिक्त स्थान के विषय

[श्री ए० सी० गुहा]

में भी उपबन्ध है । यह बात एक या अनेक सदस्यों के विषय में प्रयुक्त हुई है, सरकार को यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिये । यदि आयोग का अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो भी क्या आयोग को कार्य करने का अधिकार होगा ? मैं समझता हूं कि इस बात का भी उपबन्ध हो कि यदि अध्यक्ष बहुत दिनों तक के लिये अनुपस्थित हो तो सरकार को दूसरा अध्यक्ष नाम निर्देशित कर सके । मुझे आशा है कि गृह कार्य मंत्री मेरे सुझाव पर विचार करेंगे ।

श्री बसल (झज्जर-रेवाड़ी) : मैं समझता हूं कि जो विधेयक प्रवर समिति को सौंपा गया था उस से इस विधेयक में बहुत सुधार है । मेरा यह विचार था कि विरोधी दल कोई व्यापक विधेयक नहीं चाहता अपितु वह इंग्लैण्ड के विधेयक के समान विधेयक चाहता है । मुझे आश्चर्य हुआ जब विरोधी दल के एक सदस्य ने कहा कि विधेयक में यह प्रक्रिया नहीं दी हुई है कि आयोग किस प्रकार कार्य करेगा और इस से राज्यों का स्वायत्त अधिकार छिन जाता है । मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस विधेयक का अभिप्राय कोई नया नहीं है । आयोग को दिये जाने वाले अधिकार तो पहिले से ही हैं और वे तटकर आयोग अधिनियम के अन्तर्गत तटकर आयोग को दे दिये गये हैं और उप-खण्ड (३) की बुराइयां भी दूर कर दी गई हैं और अच्छे उपबन्ध रख दिये गये हैं कि अधिकारी तलाशी लेते और किताबों को ज़ब्त करते समय धारा १०२ और १०३ के उपबन्धों की सीमा के अन्दर कार्य करेगा । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पर और प्रकाश डालें । मैं चाहता हूं कि इस उप-खंड में "आयोग अथवा आयोग का कोई अधिकारी" ये शब्द होने चाहियें । मेरा सुझाव है कि तलाशी लेने वाला अधिकारी आयोग का अधिकारी हो । ऐसा करने से इस में और सुधार हो जायेगा । मैं समझता हूं कि इस विधेयक के अन्तर्गत विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करना आवश्यक नहीं ।

श्री वल्लातरास (पुदुकोटै) : सरकार नियमित जांच करवाने के विषय में उत्सुक है किन्तु ऐसा विधिवत् तथा न्यायसंगत और विधि के अनुसार होना चाहिये । जब यह विधेयक कार्यान्वित होगा तो कठिनाइयां पैदा होंगी । इस विधान के मामले में हमें उत्तरदायित्व पूर्णरूप से कार्य करना चाहिये । न्यायालय में अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों तथा मुकद्दमेबाज़ों को खर्चा तथा न्यायालय के समय का अपव्यय के मामले भी इन जांच आयोगों के मामलों में होना चाहिये । खण्ड ५(२) में "आयोग को ऐसी बातो पर सूचना देने के किसी व्यक्ति को बुलाने का अधिकार होगा ।" यह अनिश्चित सी बात है । किन बातों के विषय में ? क्या आयोग किसी व्यक्ति को ऐसी बातों के विषय में सूचना देने के लिये कह सकता है ? मान लीजिये कि कोई व्यक्ति सूचना देने से मना करता है तो इस में किस दण्ड का प्रावधान है ? क्या किसी को सूचना देनें के लिये बाध्य किया जा सकता है । जब तक ऐसा किसी कानून में न हो तो ऐसा नहीं किया जा सकता ।

मैं खण्ड ४ (क) को लेता हूं । ऐसा माना जा सकता है जिन मामलों की शपथ पर जांच होती है तो आयोग की समिति में जो मामला महत्वपूर्ण हो उसके विषय में किसी भी व्यक्ति से सूचना देने के लिये कहा जा सकता है । क्या वह जांच भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत की जाने वाली जांचों से भी बड़ी है । मैं नहीं समझता कि जांच आयोग ऐसी उच्च स्थिति को पहुंच सकता है । अतः जब किसी व्यक्ति से शपथ ले कर गवाही ली जाये तो

यह आयोग के लिये आवश्यक नहीं कि वह किसी व्यक्ति से सूचना देने के लिये कहे और उस व्यक्ति को सूचना देने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता । किन्तु खण्ड ५ (२) के अन्तर्गत यह विवेक अपनी इच्छा के अनुसार होता है और यह उचित रूप से नहीं किया जायगा । अतः जब खण्ड ४(क) के अन्तर्गत एक उपबन्ध है तो मैं नहीं समझता कि खंड ५(२) आवश्यक है और यदि यह आवश्यक भी है तो इस में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें नहीं दी हुई हैं । जब ये बातें मूल विधि में नहीं हैं तो उस के लिये उस के स्थान पर नियमों से काम नहीं हो सकता ।

दूसरा पहलू खंड ६ है । कोई व्यक्ति एक बात को स्वीकार कर सकता है और जान बूझ कर मना भी कर सकता है । ये दोनों बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं । जब गवाही झूठी गवाही देने के कारण अभियोग चलाने में सहायक है, तो वही गवाही उस विशेष गवाह द्वारा किसी बात को स्वीकार या अस्वीकार किये जाने में सहायक क्यों नहीं हो सकती ? इन को किसी भी प्रकार से प्रयोग किये जाने के विषय में मुझे किसी भी कानून में कोई रुकावट नहीं मिलती । किन्तु इस में यदि कोई पक्ष किसी बात को बताता है तो वह उसे स्वीकार या अस्वीकार कर लेने से अपने आप को वाक्बद्ध कर लेता है । उस में यह रखा जाय कि उस का अधिकार सुरक्षित रहेगा । इस से गवाह जांच के समय कुछ भी कह सकता है और उसे इस बात का भय नहीं होगा कि उस के वे बयान बाद में उस के काम लायें जायें ।

खंड २ के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कही हैं किन्तु सूची २ में राज्य विषयों में हस्तक्षेप करने की बात का विरोध करता हूं । राज्यों के छोटे छोटे मामलों में भाग लिया जाता है । यदि कोई किसी तीर्थ स्थान को जाये तो क्या केन्द्रीय सरकार को इस की जांच करनी चाहिये, या अपराध घोषित करे या न करे । तो क्या केन्द्रीय सरकार ऐसे छोटे छोटे मामलों की जांच करेगी ? केन्द्रीय सरकार की उच्च स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसे राज्य की सुरक्षा आदि मामलों की नीति तक सीमित रहना चाहिये । और छोटे छोटे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । हम अपने नियमों तथा विनियमों में किसी अन्य देश की नकल करें यह खतरनाक बात है । इस विधेयक में इंग्लैंड के अधिनियम की झलक स्पष्ट है । इस कारण इस में ऐसे कई उपबन्ध हैं जो हमारे देश के लिये उपयुक्त नहीं ।

अन्त में मैं सब से अधिक ज़ोर साक्ष्य पर देना चाहता हूं । उसे कैसे प्राप्त किया जायेगा, गवाह द्वारा दिया गया बयान अन्य लोग किस प्रकार देखेंगे उसे गवाह के ही विरुद्ध प्रयोग किया जा सकेगा अथवा नहीं । मेरा निवेदन है कि यह कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर माननीय मंत्री को ध्यान देना चाहिये । मान लीजिये आयोग को कोई सूचना मिल भी जाती है तो वह उस का क्या करेगा ? वह उस का किस प्रकार से उपयोग करेगा । अतः मेरा निवेदन कि इस विधेयक में जो व्यवस्था की गई है वह देश के साक्ष्य, विधान तथा उस की प्रक्रिया को नियमित करने वाले अन्य विधानों के विरुद्ध है । इसलिये मैं अनुभव करता हूं कि खंड ५(२) तथा खंड ६ की आवश्यकता नहीं है । वे इस विधेयक की कार्यान्विति में बाधक हैं ।

श्री वेंकटारमन् (तंजौर): मूल विधेयक के खंड ५(३) में यह व्यवस्था थी कि कोई भी व्यक्ति जिसे आयोग ने ऐसा अधिकार दे दिया हो किसी भी स्थान पर जा कर उस की तलाशी इत्यादि ले सकता था किन्तु प्रवर समिति ने अब यह अधिकार केवल गज़टेड अधिकारी को ही दिया है अर्थात् अब कोई भी व्यक्ति जो गज़टेड अधिकारी

[श्री वेंकटारमन्]

नहीं है इस प्रकार तलाशी नहीं ले सकता है ।

खण्ड ८ में यह व्यवस्था कर दी गई है कि आयोग प्रत्येक मामले की जांच उस के गुणों के अनुसार गुप्त रूप से या खुले आम कर सकती है या आंशिक रूप से गुप्त तथा आंशिक रूप से खुले में कर सकती है । यदि हम यह पहिले ही से उल्लेख कर दें कि वह गुप्त रूप से जांच न कर सकेगी या खूले रूप से जांच न कर सकेगी तो हो सकता है इस के कारण बहुत ही बातें सामने आने से रह जायें ।

मेरे मित्र श्री वल्लाथरास ने कहा कि खण्ड ५(२) के अन्तर्गत आयोग को उपबन्ध को कार्यान्वित करने का अधिकार नहीं है । किन्तु इस सम्बन्ध में मैं उन का ध्यान खंड ५(४) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । यदि आयोग किसी व्यक्ति से कोई सूचना ज्ञात करना चाहता है और वह व्यक्ति नहीं बतलाता तो उसे दंड संहिता की धारा १७९ अथवा १८० के अन्तर्गत दंड दिया जा सकता है जो कि उस पर दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं ४८० तथा ४८२ द्वारा लागू की जा सकती हैं क्योंकि ये धारायें खंड ५(४) के अन्तर्गत कानून का भाग बना ली गई हैं ।

एक दूसरी बात जो उठाई गई है वह यह है कि क्या केन्द्रीय सरकार उन मामलों के सम्बन्ध में भी जांच करवा सकती है जो सूची २ में आते हैं अर्थात् जो राज्य विषय हैं ? मेरे विचार में केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार अवश्य प्राप्त होना चाहिये । यद्यपि भूमि सम्बन्धी सुधार, मद्य-निषेध इत्यादि ऐसे विषय हैं जो राज्यों की सूची में आते हैं किन्तु यदि भारत जैसे विशाल देश में हमें इन विषयों के सम्बन्ध में एक-रुपता लानी है तो इन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को अधिकार मिलने ही चाहियें । यह कहना तो कोई अर्थ नहीं रखता कि इस से राज्यों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप होगा । एक सदस्य ने यह भी कहा था कि यदि राज्य सरकार आप के साथ सहयोग न करें, तब ? मेरा केवल इतना कहना है कि वे ऐसा नहीं करेंगे और यदि करते हैं तो संविधान में इस का उपाय भी दिया हुआ है । वहां का शासन भार केन्द्र अपने हाथ में ले सकता है ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा): मैं केवल उस विषय पर अपने विचार प्रगट करना चाहता हूं जिस पर मेरा प्रवर समिति से मतभेद था तथा जिस के सम्बन्ध में मैं ने अपनी विमति टिप्पणी भी दी थी । क्या प्रत्येक आयोग को इस प्रकार का अधिकार देने की आवश्यकता है अर्थात् किसी भी घर में घुस कर वहां की किसी भी वस्तु को अपने कब्जे में कर लेना । यदि ऐसा हुआ तो हो सकता है उस का दुरुपयोग हो । यह अधिकार केवल विशेष आयोगों को दिया जाना चाहिये जो कर अपवंचन इत्यादि मामलों की जांच कर रहे हों । परन्तु मेरे कहने का यह अर्थ न लगाया जाये कि आयोग इस का दुरुपयोग करेंगे ही । फिर भी, क्या वास्तव में यह अनावश्यक नहीं है ।

डा० काटजू: मैं केवल एक या दो बातों का निर्देश करना चाहता हूं । मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ था कि न तो केन्द्रीय सरकार को और नही राज्य सरकार को आयोग नियुक्त करने का अधिकार दिया जाय जब तक कि संसद् या राज्य विधान मंडल ऐसा करने के लिये संकल्प पारित न कर दें । मेरा निवेदन है कि प्रत्येक प्रशासन की यह जिम्मेदारी समझी जाती है कि वह इस बात को देखे कि समस्त महत्वपूर्ण बातों के सम्बन्ध

में समुचित जांच हो । यह एक दुखपूर्ण बात होगी यदि ऐसे परामर्श के लिये उन्हें संसद् अथवा राज्य विधान मण्डल पर निर्भर करना पड़े । हो सकता है ६ या ८ महीने विधान मण्डल का सत्र ही न हो तथा ऐसी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाये तो प्रशासन को हस्तक्षेप करना ही चाहिये । यदि प्रशासन जांच नहीं करवाता है तो सम्भव है कि शिकायतें की जायें । वास्तव में यह प्रशासन का ही एक कर्त्तव्य है । क्या लोक-सभा या राज्य विधान मण्डल द्वारा इस प्रकार का संकल्प पारित किया जाना कि अमुक अमुक विषय के सम्बन्ध में जांच कराई जाये प्रशासन पर यह दोष लगाना न होगा कि वह अपने कर्त्तव्य का पालन ठीक प्रकार से नहीं कर रहा है तथा संसद् के कहने पर वैसा करता है । यह एक दूसरी बात है । अतः मेरे विचार में इस पहलू पर उचित रूप से विचार किया जाना चाहिये ।

जहां तक स्वायत्तता में हस्तक्षेप करने का सम्बन्ध है मेरा निवेदन है कि जांच आयोग केवल एक मंत्रणा परिषद् है । उस के पास कोई अधिकार नहीं है और हो भी नहीं सकते—कार्यकारी अथवा वैधानिक । आयोग का कर्त्तव्य है तथ्यों का पता लगाना तथा अपनी सिफारिशें रखना । यदि कोई विषय केवल राज्य सूची में ही आता है तो सम्बद्ध राज्य उस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही कर सकता है । परन्तु हो सकता है कुछ विषय ऐसे हों जिन के सम्बन्ध में जांच करना स्वयं राज्य के हित में हो तथा मैं अपने उन मित्रों से पूर्ण रूप से सहमत हूं जिन्हों ने यह कहा था कि कोई भी केन्द्रीय सरकार ऐसा तब तक नहीं कर सकती है जब तक उसे सम्बद्ध राज्य सरकार का पूर्ण सहयोग प्राप्त न हो । हमें कम से कम यह तो समझना ही चाहिये कि समस्त सरकारों में कुछ न कुछ बुद्धि तो होती ही है तथा यह कहना कि क्योंकि अमुक अमुक विषय सूची २ में है इसलिये उस के सम्बन्ध में कुछ भी करना स्वायत्तता में हस्तक्षेप करना है । मैं ने समाचार-पत्रों में इस प्रकार के अनेक समाचार पढ़े हैं कि इस विषय पर जांच नहीं कराई गई उस विषय पर जांच नहीं कराई गई इत्यादि । परन्तु जब अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व की बातों के सम्बन्ध में जांच कराने के लिये वैधानिक उपबन्ध किया जाता है तो आप यह कहते हैं कि राज्य स्वायत्तता में हस्तक्षेप किया जा रहा है या अन्य कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं । मेरे विचार में, कदाचित् यह दोनों बातें असंगत हैं ।

जहां तक प्रक्रिया तथा अन्य मामलों का सम्बन्ध है वे संशोधनों पर बहस के दौरान में सदन के समक्ष आ जायेंगे तथा उस समय उन पर विचार करने का अवसर प्राप्त होगा ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"जांच आयोगों को नियुक्त करने तथा उक्त आयोगों को कुछ अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २—(परिभाषाएं)

श्री झूलन सिन्हा (सारन उत्तर) : मैं ने अपने संशोधन में यह निवेदन किया है कि "or List II" (अथवा सूची २) शब्दों को निकाल दिया जाये । मैं इन शब्दों को इसलिये सम्मिलित नहीं करना चाहता क्योंकि ऐसा करने से केन्द्र राज्यों की स्वायत्तता में अनावश्यक हस्तक्षेप करेगा । दूसरे, यह भी बात है कि यदि आप एक से अधिक राज्य के सम्बन्ध में कोई कार्य करना चाहते हैं तो वह आप खण्ड ३(१) (ख)

[श्री झूलन सिन्हा]

के अन्तर्गत कर सकते हैं। अतः सूची २ का सम्मिलित किया जाना ठीक नहीं है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : संविधान के अनुच्छेद २५० (१) के अनुसार तो केन्द्र राज्य सूची में दिये गये विषयों के सम्बन्ध में भी संकट के समय विधान बना सकता है। यह एक महत्वपूर्ण वैधानिक तथ्य है।

श्री झूलन सिन्हा ने सदन की अनुमति से खण्ड २ के सम्बन्ध में अपना संशोधन वापस ले लिया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड २ इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड ३—(आयोग की नियुक्ति)

श्री ए० सी० गुहा : मान लीजिये कि केन्द्रीय सरकार कोई आयोग नियुक्त करती है। आयोग द्वारा रिपोर्ट सौंपने के बाद ही यदि राज्य सरकार उसी विषय पर दूसरा आयोग नियुक्त करती तो क्या होगा। हो सकता है कि कभी यह भी हो कि राज्य सरकार किसी और दल के हाथ में हो और केन्द्रीय सरकार किसी दूसरे दल के हाथ में। तब क्या होगा ?

डा० काटजू : यदि जिस विषय के सम्बन्ध में आयोग द्वारा जांच की गई है वह सूची २ में आता है तो उस की सिफारिश केवल मंत्रणा मात्र होगी तथा सम्बद्ध राज्य की राय लिये बिना उसे कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है।

श्री झूलन सिन्हा : मेरे विचार में यह भी खंड ऐसा है जो राज्यों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करता है। उन्हें उस विषय के सम्बन्ध में आयोग, नियुक्त करने का अधिकार नहीं दिया गया है जिस विषय पर केन्द्रीय सरकार ने आयोग नियुक्त किया हो। मान लीजिये केन्द्रीय सरकार कोई आयोग नियुक्त करती है। परंतु राज्य सरकार के विचार में उस के निर्देश पद पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को यह छूट होनी चाहिये कि वह निर्देश के पदों को बढ़ा दे या इस के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को सूचित कर दे।

डा० काटजू : मेरे विचार में यदि केन्द्रीय सरकार कोई समिति नियुक्त करे और उसी विषय के सम्बन्ध में फिर राज्य सरकार समिति नियुक्त करे तो यह कुछ भद्दी सी बात हो जायेगी। मेरा निवेदन है कि जब कभी भी राज्य सरकारें किसी विषय के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहेंगी या किसी मामले के सम्बन्ध में जांच करवाना चाहेंगी तो केन्द्रीय सरकार उन को ऐसा करने से न रोकेंगी। राज्य सरकारें अपनी समस्याओं को मूल आयोग तक पहुंचा सकेंगी। बजाय इस के कि राज्य सरकार पहले केन्द्रीय सरकार से अनुमति ले तथा केन्द्रीय सरकार ऐसी अनुमति दे यह कहीं अच्छा होगा कि राज्य सरकार सीधे ही केन्द्रीय सरकार को यह लिखे कि निर्देश के पदों में यह कमी रह गई है, कृपा करके आप ने जो आयोग नियुक्त किया है उस से इन मामलों के सम्बन्ध में भी जांच करने के लिये कह दीजिये।

अतः राज्य सरकारें अपने सुझाव बाद में भेजती रहें इस से तो यही अच्छा है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार की सिफारिश पर स्वयं कार्यवाही करे। मेरे माननीय मित्र स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि अनुमोदन करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार के पास होना चाहिये। वास्तव में, यह तो कार्यकारिणी से सम्बन्ध रखता है।

डा० एम० एम० दास (बर्दवान—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं ने अपने संशोधन द्वारा खंड ३ के परन्तुक (क) को हटा देना चाहा है। इस परन्तुक द्वारा केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार से यह अधिकार छीन लेना चाहती है कि जब केन्द्रीय सरकार ने किसी विषय की जांच के लिये कोई आयोग अथवा समिति नियुक्त कर दी हो तो राज्य सरकार फिर उस सम्बन्ध में जांच आयोग नियुक्त नहीं कर सकती है। समवर्ती सूची के पद संख्या ४५ के अनुसार केन्द्रीय सरकार को जांच समितियां नियुक्त करने का अधिकार है। क्या उसे यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सरकार को ऐसी जांच समिति नियुक्त न करने दे ?

डा० काटजू : मेरे विचार में उसे यह अधिकार प्राप्त है ।

डा० एम० एम० दास : तब फिर मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता ।

श्री के० सी० सोधिया (सागर) : मैं ने अपने संशोधन द्वारा आयोग के सदस्यों की संख्या एक से तीन करने का प्रस्ताव रखा है। यह तो सर्वविदित है कि एक सदस्य की राय के अपेक्षा दो या तीन की राय अधिक ठीक होती है। साधारणतः जो आयोग नियुक्त किये जाते हैं उन में भी एक से अधिक सदस्य होते हैं ।

डा० काटजू : यह एक ऐसी बात है जिसे केन्द्रीय या राज्य सरकार पर ही छोड़ दिया जाना चाहिये। हाल ही में ऐसे भी आयोग नियुक्त किये गये हैं जिन में केवल एक ही सदस्य था जैसे श्री गंगा नाथ के प्रतिनिधित्व में नियुक्त किया गया आयोग। अतः आप कोई कड़े नियम नहीं बना सकते कि प्रत्येक आयोग में कम से कम तीन व्यक्ति होने ही चाहियें। यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है ।

श्री ए० सी० गुहा : श्री झूलन सिन्हा **डा० एम० एम० दास** तथा **श्री के० सी० सोधिया** द्वारा खंड ३ के सम्बन्ध में रखे गये संशोधन अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ३ इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड ४—(आयोग के अधिकार)

डा० काटजू : जहां तक श्री चाको के संशोधन का सम्बन्ध है सामान्य खंड अधिनियम के अन्तर्गत "शपथ" शब्द का अर्थ सामान्य प्रतिज्ञान भी होता है। अतः प्रत्येक विधेयक में उस पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है ।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि श्री चाको अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं ।

प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ४ इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ५—(आयोग के अतिरिक्त अधिकार)

श्री पी० टी० चाको (मीनाचिल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३ में पंक्तियां १ से ५ के स्थान पर निम्नलिखित आदिष्ट किया जाये :

"(4) when any such offence as is described in sections 175, 178, 179, 180 or 228 of the Indian Penal Code (Act XLV of 1860) is com-

[श्री पी० टी० चाको]

mitted in the view of presence of the Commission, the Commission after recording the facts constituting the offence and statement of the accused as provided for in the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) may forward the case to a magistrate having jurisdiction to try the same.

The magistrate to whom any case is forwarded under this section shall proceed to hear the complaint against the accused as if the case is one forwarded to him under section 482 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) '.

[जब कोई ऐसा अपराध जो भारतीय दंड विधान (१८६० का अधिनियम ४५) की धारा १७५, १७८, १७९, १८० या २८८ में उल्लिखित है, आयोग के सामने या उस की उपस्थिति में किया जाय, तो आयोग अपराध से सम्बन्धित सब बातों को तथा अभियुक्त के बयान को लिखने के पश्चात् जैसी कि दण्ड प्रक्रिया संहिता १८९८ (१८९८ का अधिनियम ५) में व्यवस्था है, मामले को एक ऐसे मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है जिसे उसे सुनने का अधिकार प्राप्त है।

इस धारा के अन्तर्गत जिस मजिस्ट्रेट को यह मामला भेजा गया हो वह अभियुक्त के विरुद्ध शिकायत इस प्रकार सुनेगा कि मानों वह मामला उस को दंड प्रक्रिया संहिता १८९८ (१८९८ का अधिनियम ५) की धारा ४८२ के अधीन भेजा गया हो।]

खंड ४ के अन्तर्गत आयोग को अधिकार दे दिये गये हैं जो अन्य न्यायालयों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ४८० और ४८२ के अधीन दिये गये हैं। धारा ४८० के अन्तर्गत उन अपराधों को सुना जाता है जैसे बयान पर हस्ताक्षर न करना, शपथ न लेना या किसी प्रश्न का उत्तर न देना। धारा ४८२ के अन्तर्गत कोई भी न्यायालय ऐसे मामले को उस मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है जिसे उसे सुनने का अधिकार हो। मेरे संशोधन का उद्देश्य आयोग के अधिकारों को सीमित करना है। मेरा कहना यह है कि आयोग को इस प्रकार का अधिकार न दिया जाये कि वह धारा ४८० के अन्तर्गत अपराध करने वालों को तुरन्त ही वहीं पर दण्ड दे दे। बात यह है कि हो सकता है कि आयोग उन कानूनों से परिचित न हो जो कि ऐसे मामलों में लागू होते हैं। मेरे विचार में आयोग को धारा ४८० में उल्लिखित अधिकार न दिये जायें। बल्कि उसे यह अधिकार दिया जाये कि वह इस प्रकार मामलों को उस मजिस्ट्रेट के पास भेज दे जो उसे सुनने का अधिकार रखता हो।

डा० काटजू : मैं माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन को मौखिक परिवर्तनों के पश्चात् स्वीकार करने के लिये तैयार हूं। परन्तु कठिनाई यह है कि यदि विधेयक में इस प्रकार का उल्लेख न किया गया कि आयोग को एक व्यवहारिक न्यायालय समझा जायगा तो इन अपराधों के सम्बन्ध में दण्ड देने की व्यवस्था न हो सकेगी। अतः यदि

माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करने के लिये तैयार हैं कि उन का संशोधन पहली पंक्ति के पश्चात् इस प्रकार निवेशित किया जाय "आयोग को एक व्यवहार न्यायालय समझा जायेगा" तथा "जब कोई ऐसा अपराध .... किया जायेगा, आदि" इस रूप में मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूं क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि आयोग को यह अधिकार दे दिया जाय कि वह किसी भी व्यक्ति को दण्डित कर सके या उस पर जुर्माना कर सके ।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य इस सुझाव को स्वीकार करने के लिये तैयार हैं ?

श्री पी० टी० चाको : मैं उसे इस रूप में स्वीकार करने को तैयार हूं ।

सभापति महोदय : तब मैं इसे संशोधित रूप में प्रस्तुत करूंगा ।

श्री वेंकटारमन : श्रीमान्, मेरा सुझाव है कि इस खंड को मध्यान्ह भोजन के पश्चात् तक के लिये उठा रखा जाये ।

सभापति महोदय : खंड ५ को उठा रखा जायगा । अब हम अन्य खंडों को लेंगे ।

खंड ६ से १२ तक विधेयक के अंग बना लिये गये ।

सभापति महोदय : अब हम खंड ५ को श्री चाको द्वारा प्रस्तुत किये संशोधन के पश्चात् प्रस्तुत करूंगा जिसे माननीय गृह कार्य मंत्री ने स्वीकार कर लिया है ।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३ में पंक्ति १ से ५ तक के स्थान पर निम्न आदिष्ट किया जाये :—

"(4) The Commission shall be deemed to be a civil court, and when any offence as is described in section 175, section 178, section 179, section 180, or section 228 of the Indian Penal Code (Act XLV of 186,) is committed in the view or presence of the Commission, the Commission may after recording the facts constituting the offence and the statement of the accused as provided for in the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898), forward the case to a magistrate having jurisdiction to try the same and the magistrate to whom any such case is forwarded shall proceed to hear the complaint against the accused as if the case had been forwarded to him under section 482 of the Code of Criminal Procedure 1898.

(5) Any proceeding before the Commission shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code (Act XLV of 1860)."

[(४) आयोग को एक व्यवहार न्यायालय समझा जायेगा और जब कोई ऐसा अपराध जो भारतीय दंड विधान (१८६० का अधिनियम ४५) की धारा १७५, धारा १७८, धारा १७९, धारा १८० या धारा २२८ में उल्लिखित है, आयोग के सामने या उस की उपस्थिति में किया जाय, तो आयोग, अपराध से सम्बन्धित सब बातों को तथा अभियुक्त

[सभापति महोदय]

के बयान को लिखने के पश्चात् जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता १८९८ (१८९८ का अधिनियम ५) में व्यवस्था है, मामले को एक ऐसे मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है जिसे उसे सुनने का अधिकार प्राप्त है, और वह मजिस्ट्रेट जिसे यह मामला भेजा गया हो, अभियुक्त के विरुद्ध शिकायत इस प्रकार सुनेगा मानो वह मामला उस को दंड प्रक्रिया संहिता १८९८ की धारा ४८२ के अधीन भेजा गया हो। (५) आयोग के सामने की गई कोई भी कार्यवाही, भारतीय दंड विधान (१८६० का अधिनियम ४५) की धारा १९३ तथा २२८ के अनुसार न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी ।]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ५ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ५ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड १ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बना लिये गये ।

डा० काटजू: मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाय ।"

सभापति महोदय : मेरे विचार में यह अच्छा रहेगा यदि इस पर मध्याह्न भोजन के पश्चात् विचार किया जाये ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मध्याह्न भोजन के लिये साढे तीन बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।

मध्याह्न भोजन के पश्चात सदन की बैठक साढे तीन बज पुनः समवेत हुई

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल) : मैं इस विधेयक के पारित किये जाने का विरोध करता हूं । मैं इस लिये विरोध नहीं करता हूं कि मुझे इस का विरोध करना है बल्कि कुछ ऐसी बाते हैं जिन के सम्बन्ध में न तो प्रवर समिति ने और न ही इस सदन में विचार किया गया है ।

विधेयक में यह बात स्पष्ट नहीं की गई है कि सरकार इन जांच आयोगों के फ़ैसलों पर क्या कार्यवाही करेगी । इनके द्वारा जिन बातों की जांच होगी और जिन बातों को यह आयोग निश्चित करेंगे उन का आखिर क्या होगा ? सरकार उन पर कोई क़दम उठायेगी ? विधेयक में इसका कोई जिक्र नहीं है । जांच आयोग बिठाने का फिर फायदा क्या । जब यही ठीक नहीं है कि उस के फ़ैसले पर सरकार कोई क़दम उठायेगी या नहीं ।

हमने देखा है कि किस प्रकार ऐसे क़ानून क्रियान्वित होते हैं । प्रश्न यह है कि ऐसे क़ानून का सार्वजनिक महत्व वाले मामलों की जांच के बारे में किस प्रकार प्रयोग किया गया है । गत दो या तीन महीने में देश में क्या हुआ है ? त्रावणकोर-कोचीन स्थित पशुभलाई के पहाड़ी क्षेत्र में कुछ दिन हुए तीन व्यक्ति गोली से मारे गये परन्तु सरकार ने इसके विरुद्ध लोगों की आवाज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया । इसी प्रकार गोरखपुर, जोधपुर और कलकत्ते में घटनायें हुई । जनता ने कहा कि पुलिस हम पर

अत्याचार कर रही है । निहत्थे लोगों पर वार करती है और उन पर लाठी चलाती है .....

सभापति महोदय : माननीय सदस्य असंगत विषयों पर बोल रहे हैं । विधेयक का यह तीसरा वाचन है और अब यह कहना ठीक नहीं कि विधेयक में अमुक चीज़ नहीं है और अमुक चीज़ होनी चाहिये । अब तो उसका या विरोध किया जा सकता है या समर्थन ।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्; मैं यह कह रहा हूं कि इस प्रकार के क़ानून से कोई लाभ नहीं जिसके अनुसार किसी मामले की जांच करवाने का फ़ैसला करना केवल सरकार की इच्छा पर ही निर्भर हो । हमने देखा है कि सरकार ने यह फ़ैसला करने में उचित प्रकार से कार्य नहीं किया कि कोई मामला सार्वजनिक महत्व का है या नहीं । हमेशा यह देखा गया है कि सरकार अपने अधिकारियों की कार्यवाही को उचित ठहराती है । इसीलिये इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है । विधेयक में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि जांच गैर-सरकारी व्यक्ति द्वारा भी की जायेगी । हमेशा सरकारी अधिकारी ही नियुक्त किया जाता है और किया जायेगा ? कई मामलों में हम ने देखा है कि जिस ज़िला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में कोई गोली कांड होता है, वह सरकार को कुछ रिपोर्ट करता है । यह एक दिखावा मात्र होता है । ऐसे मामलों में जहां एक तरफ तो सरकार के अधिकारीगण होते हैं और दूसरी तरफ़ जनता होती है और दोनों हिंसात्मक तरीक़ों से काम लेते हैं, सरकार का फ़ैसला क्या होता है ? क्या वह यह फ़ैसला करती है कि मामला सार्वजनिक महत्व का है और इस की जांच होनी चाहिये ? नहीं, वह ऐसा कभी नहीं करती । इसीलिये मैं कहता हूं कि इस क़ानून का दुरुपयोग किये जाने की ही संभावना अधिक है । यदि विधेयक में निष्पक्ष जांच करने के बारे में कुछ कहा गया होता तो मैं इस समय यहां कुछ न कहता । मैं इस विधेयक के रूप पर या उसके विषय पर आपत्ति नहीं उठाता, मैं इस विधेयक के पारित होने के विरुद्ध हूं क्योंकि इस कानून को सरकार के फ़ैसलों पर आधारित करके लागू किया जायेगा जब कि सरकार स्वयं सशस्त्र बल का सहारा ले कर कार्यवाही करती है । क्या इस तरह से सताये गये लोगों को न्यायालय में जाने दिया जाता है ? नहीं; परन्तु जहां लोगों के दो दलों में कोई झगड़ा होता है तो पुलिस फ़ौरन दोनों पक्षों को घसीट कर न्यायालय में ले जाती है और वहां उन पर मुक़दमा चलाती है । आप जानते हैं, श्रीमान्, ऐसे मामलों में न्यायालय समस्त साक्ष्य की जांच करती है । निजी बचाव का अधिकार भी दिया जाता है । परन्तु क्या पुलिस द्वारा तंग किये गये व्यक्ति को अपना बचाव करने का अधिकार दिया जाता है । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा कि हमारे यहां क़ानून है, एक व्यक्ति को अपना बचाव करने का काफ़ी मौक़ा दिया जाता है परन्तु जब उसका विरोधी पक्ष पुलिस हो तो यह मौक़ा नहीं मिलता । यदि यह विधेयक पारित भी हो जायेगा तो कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा क्योंकि किसी मामले पर जांच तब ही होगी जब या तो सरकार ऐसा करने का फ़ैसला करे या फिर सदन इस सम्बन्ध में संकल्प पारित करे । मैं तो समझता हूं कि किसी मामले के बारे में यह निश्चित करना कि यह सार्वजनिक महत्व का है या नहीं, सरकार या सदन पर ही पूरी तरह नहीं छोड़ना चाहिये । इसका फ़ैसला तो ठीक ठीक उस स्थान

[श्री वी० पी० नायर]

की जनता ही कर सकती है जहां वह घटना हुई हो ।

मैं आगे यह कहना चाहता हूं कि हमारा ऐसे क़ानून बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जिनको लागू करने के लिये हमारे पास उचित व्यवस्था न हो । चोर बाज़ारी और सूदख़ोरी के ख़िलाफ़ यों तो हमारे यहां बहुत से क़ानून हैं पर क्या वास्तव में उनका पालन हो रहा है ? तो मेरा कहना यही है कि हम इस क़ानून को बना तो रहे हैं मगर इसको लागू करने की हमारे पास व्यवस्था नहीं है । प्रवर समिति ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया है । सरकार के पास इस समय जो व्यवस्था है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि इस क़ानून को लागू करना संभव नहीं होगा । इस क़ानून के रहते हुए भी हम साल छः महीने बाद देखेंगे कि स्थिति वही की वही है ।

जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है, इस प्रकार की जांच का एक कारण सरकार का यह फ़ैसला करना होगा कि अमुक मामला सार्वजनिक महत्व का है । और उस की जांच होनी चाहिये परन्तु मेरा निवेदन है कि सरकार जनता के मत से मिलता जुलता कोई फ़ैसला नहीं करेगी । उसने ऐसा कभी नहीं किया है । इसी कारण मैं इस विधेयक के विरुद्ध हूं ।

डा० काटजू : माननीय सदस्य, जो अभी बोले हैं, मुझे यह कहने के लिये क्षमा करेंगे कि मुझे और कुछ नहीं कहना है । इस विधेयक पर, जो स्वयं स्पष्ट है, मैं दो तीन बार पहले बोल चुका हूं । अतः मैं चाहता हूं कि सदन इसे संशोधित रूप में पारित करे ।

सभापति महोदय : प्रश्न है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

भ्रष्टाचार-निरोध (द्वितीय संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अब हम भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार आरंभ करेंगे ।

श्री पी० टी० चाको (मीनाचिल) : भ्रष्टाचार-निरोध विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय माननीय मंत्री ने दो प्रकार की घूसख़ोरी का ज़िक्र किया । एक तो ऐसी घूस जो ज़बरदस्ती ली जाती है । उन्होंने ऐसे व्यक्तियों के प्रति जिन से घूस ज़बरदस्ती ली जाती है, सहानुभूति प्रगट की । टेक चन्द समिति का भी ऐसे व्यक्तियों के प्रति रुख़ यही है । दूसरी प्रकार की घूस वह है जो प्रायः अधिकारियों पर ठूंसी जाती है ।

विधेयक के खंड ३ को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यदि भारतीय दंड संहिता की धारा १६५-क के अन्तर्गत यह सिद्ध कर दिया जाये कि किसी व्यक्ति ने किसी अधिकारी को बिना किसी अनुकृपा के किसी क़ीमती वस्तु को दिया या देने का प्रयत्न किया तो उसका अर्थ न्यायालय द्वारा यह लिया जायेगा कि उस व्यक्ति का उस अधिकारी को घूस देने का इरादा था । घूस देने वाले की इन दो श्रेणियों में अर्थात् ऐसे व्यक्ति जिन्हें घूस लेने वालों द्वारा तंग किया जाता है और ऐसे जो घूस देने का लालच देते हैं, भेद करने का प्रश्न पर भारतीय दंड संहिता के बनाने वालों द्वारा विचार किया गया था । जिन मामलों में घूस देने वाले

को वस्तुतः तंग किया जाता है उनमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वे सचमुच ही उस व्यक्ति को दंड देना नहीं चाहते । दूसरी प्रकार के मामलों में जिनमें घूस देने वाला वस्तुतः अधिकारी को लालच देता है, उनके लिये उन्होंने दंड संहिता में दंड की व्यवस्था की है । ऐसा कहते हुए मैं ११६ तथा १०९ धारा की ओर निर्देश कर रहा हूं । चाहे लालच देने का अपराध किया गया हो या नहीं, दंड संहिता ने धारा १६१ तथा १६५ के अनुसार अवैध रूप से धन देने के लिये दंड देने का उपबन्ध किया है । धारा १६१ तथा १६५ को धारा ११६ तथा १०९ के साथ लेते हुए, संहिता बनाने वालों ने लालच देने वाले व्यक्तियों के लिये दंड की व्यवस्था की है । केवल ऐसे मामलों में जिनमें यह सिद्ध कर दिया जाये कि व्यक्ति विशेष का घूस देने का इरादा था या घूस देने वाले ने किसी और व्यक्ति को ऐसा करने के लिये भड़काया था अथवा किसी प्रकार से सहायता अथवा कोई षड्यंत्र रचा था, उसे दंड दिया जा सकता है ।

कुछ दिन पहले हमने दंड विधि (संशोधन) अधिनियम को पारित किया था जिसमें घूस के लिये प्रेरणा देने को भी मूल अपराध घोषित किया गया था । यही बात इस नई धारा १६५–क में है । मेरा निवेदन यह है कि यदि हमने इस खंड को भी स्वीकार कर लिया तो दंड संहिता में, जो इतनी अच्छी प्रकार से भेद किया गया है, वह जाता रहेगा । इस के पारित करने से तंग किये व्यक्ति तथा लालच देने वाले व्यक्ति के बीच कोई अन्तर न रहेगा । इसका अर्थ यह होगा कि इस प्रकार के इरादे को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी । यह बात, अपराध करने के लिये प्रेरणा देने से संबंधित कानून का एक संशोधन मात्र है क्योंकि ऐसे मामलों में मुक़दमा चलाने वाले को केवल यह सिद्ध करना होगा कि घूस देने वाले ने सचमुच घूस दी है । इसके पारित करने के बाद इस बात को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि मैं सरकारी अधिकारी को सचमुच भड़का रहा था अथवा उसको भ्रष्ट करने का प्रयत्न कर रहा था । अतः इस विधेयक को पारित करने से घूस देने वालों की इन दो श्रेणियों में सारा भेद जाता रहेगा ।

अब यदि इसे पारित कर दिया जाता है तथा यदि वास्तविक उद्देश्य के बारे में हम उसको अपराधी मानते हैं तो अपने आप को निर्दोष साबित करना उसका अपना कार्य हो जाता है । इस कारण मेरा सुझाव है कि माननीय गृह मंत्री प्रश्न के इस पहलू पर भी विचार करें अन्यथा इस विधान का वास्तविक उद्देश्य ही समाप्त हो जायगा । इससे केवल भ्रष्ट अधिकारियों को ही सहायता मिलेगी क्योंकि जिस बेचारे ने घूस दी है वह तो कुछ कह नहीं सकता ।

श्री ए० के० बसु (उत्तर बंगाल) : खंड तीन में अपराधी के विरुद्ध अपराध की धारणा बनाई गई है और अपराधी को इस धारणा को दूर करना पड़ता है । ब्रिटिश कानून इसके विपरीत है और इस धारणा के दूर करने का अधिक भार इस्तगासे पर है । आप देखेंगे कि इंग्लैंड के १९१६ के भ्रष्टाचार-निवारक अधिनियम की धारा २ लगभग वही है जो इस विधेयक का खंड ३ है । इसके अन्तर्गत इस्तगासे को अपराधी का अपराध निश्चित रूप से सिद्ध करना पड़ता है ।

भारतीय न्यायालयों में इस बारे में मतभेद है कि इस मामले में इंग्लैंड का क़ानून भारतीय परिस्थितियों में ठीक रहेगा या नहीं । कलकत्ता उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों

[श्री ए० के० बसु]

में ऐसा मतभेद पाया गया है तथा यही मतभेद इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों की पूरी बैंच में देखने में आया । इस कारण मेरी माननीय गृह मंत्री से प्रार्थना है कि जब वह एक ऐसा कानून बना रहे हैं जो इंग्लैंड के क़ानून की नक़ल है तो इस धारा के बनाने में भी ब्रिटिश प्रक्रिया को ही अपनाया जाये ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य इस अवस्था पर विधेयक के सिद्धांतों पर ही बोलें । दलीलों को विस्तृत रूप से देने के लिए उन्हें एक और अवसर मिलेगा ।

श्री ए० के० बसु : वास्तव में, मेरा संशोधन प्रस्तुत करने का विचार नहीं है । मैं तो केवल कुछ परिस्थितियों का वर्णन करना चाहता हूं और मेरी इच्छा है कि माननीय मंत्री विधेयक के बनाने में उन पर उचित ध्यान दें । इस अवस्था पर मैं समझता हूं कि इतना कह देना उचित होगा कि विधेयक ठीक प्रकार से नहीं बनाया गया है और इसमें कुछ परिवर्त्तन होने चाहियें ।

डा० काटजू : श्रीमान्, एक औचित्य प्रश्न के हेतु, क्या मैं बतला दूं कि इस समय हम केवल एक संशोधक विधेयक पर विचार कर रहे हैं । मूल अधिनियम की धारा ४ के अन्तर्गत निश्चित रूप से यह बतलाया गया है कि यदि घूस की राशि बहु त अधिक हो तो इसका अर्थ यह निकाला जायगा कि इसे अवैध परितोषण के रूप में दिया जा रहा है जब तक इसके विपरीत यह सिद्ध न कर दिया जाये कि घूस लेने वाले ने इस परितोषण को अवैध रूप से स्वीकार नहीं किया, तब तक अर्थ इसी प्रकार लिया जायगा । सदन को इस धारा पर घूस लेने वाले के दृष्टिकोण से विचार नहीं करना है । इस संशोधक विधेयक में चेष्टा इस बात की की गई है कि यह विशेष अधिकार घूस देने वाले को भी दिया जाये । जहां तक इंग्लैंड के क़ानून का संबंध है माननीय सदस्य की दलील घूस लेने वाले तथा घूस देने वाले दोनों के संबंध में ठीक बैठती है । वास्तव में हमें इस बात पर पृथक रूप से विचार करना पड़ेगा कि क्या उनके विचारों को सामने रखते हुए हमें मूल अधिनियम में संशोधन तो नहीं करना पड़ेगा ?

श्री ए० के० बसु : अधिक विस्तार से न कहते हुए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस बारे में एक ही न्यायालय के विभिन्न न्यायाधीशों में तथा विभिन्न न्यायालयों के विभिन्न न्यायाधीशों में मतभेद है । जब आप इंग्लैंड के भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम १९१६ की नक़ल कर रहे हैं तो आपको अपने संशोधन को भी इंग्लैंड के न्यायशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार बनाना होगा । इसमें संदेह नहीं कि आजकल सरकारी कर्मचारियों में बहुत अधिक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, फिर भी एक गलत सिद्धांत के अनुसार किसी क़ानून को बनाने से ख़राबी हो सकती है । इससे ईमानदार कर्मचारियों को भी सदैव आशंका बनी रहेगी ।

अन्त में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री को कर्मचारियों पर काफ़ी सावधानी के बाद ही मुक़दमे चलाने की अनुमति देनी चाहिये और इनके चलाने के पहले पूरी तरह जांच कर लेनी चाहिये ।

श्री वेंकटारमन (तंजोर) : दंड विधि संशोधन विधेयक को पारित करने के बाद इस विधेयक को पारित करना आवश्यक हो गया है ।

यह तो होता नहीं है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके एक दम उससे यह कहा जाये कि तुम अपने को निर्दोष साबित करो । उसके ख़िलाफ़ कुछ निश्चित सबूत दिये जाते

हैं और कुछ परोक्ष प्रमाण भी दिये जाते हैं जिनके आधार पर उसे अपराधी ठहराया जाता है। फिर यह उसका कार्य होता है कि वह अपना बचाव करे और सिद्ध करे कि उसने कोई घूस नहीं दी है न ही उसने कोई भ्रष्ट कार्य किया है। यदि यह साबित हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति को कोई वस्तु—चाहे उसका मूल्य कितना ही हो, दी गई है तो उसका यह कार्य हो जाता है कि वह अपने को निर्दोष साबित करे। यदि हम इस विधेयक को पारित नहीं करते हैं तो इसका यह अर्थ होगा कि हम घूस देने वाले और घूस लेने वाले में भेद कर रहे हैं। और तब यह घूस लेने वाले का कार्य होगा कि वह अपने को निर्दोष सिद्ध करे, जब कि घूस देने वाले पर साधारण क़ानून के अनुसार मुक़दमा चलाया जायेगा यानी उसके बारे में यह साबित करना होगा कि उसने वास्तव में घूस दी है। मैं नहीं कह सकता कि यह बात कहां तक उचित होगी और क़ानून के सामने समानता का हमारा जो सिद्धांत है वह इससे कहां तक पूरा होता है।

मेरे माननीय मित्र श्री चाको ने भारतीय दंड विधान का इतिहास बतलाते हुए कहा कि पुराने समय में घूस देने वाले और घूस लेने वाले के बीच भेद किया जाता था। मैं उनसे कहूंगा कि वह ज़माना और था; उस समय हमारे शासक विदेशी थे; वे शायद यह समझते थे कि विदेशी शासन के अन्दर अधिकारीगण लोगों से ज़बरदस्ती घूस लेंगे। इसी कारण उन्होंने घूस देने वालों के प्रति रियायत से काम लिया। परन्तु आज स्थिति वह नहीं है। हमारे देश ने काफ़ी उन्नति कर ली है और मैं यह दावे से कह सकता हूं कि हमारी सरकार के अधिकारी लोगों से ज़बरदस्ती पैसा नहीं एंठते। यदि भ्रष्टाचार है तो केवल इसलिये कि कुछ लोग, जो अनुचित फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं और उन्हें लालच दिखाते हैं। मैं धारा १६५-क के संशोधन का पूरी तरह समर्थन करता हूं क्योंकि वर्त्तमान परिस्थितियों में घूस देने वाले और घूस लेने वाले के बीच भेद करने की कोई आवश्यकता नहीं रही है।

मेरे माननीय मित्र श्री बसु ने कहा कि अभियुक्त को शंकालाभ नहीं मिल सकेगा। मुझे इससे आश्चर्य हुआ। मुझे भारत भर में ऐसे किसी मामले का ज्ञान नहीं जिसमें इस खंड की इस प्रकार व्याख्या की गई हो कि अभियुक्त को शंकालाभ नहीं मिलेगा। शंकालाभ तो एक ऐसा अधिकार है जो, यदि क़ानून के अन्दर अभियुक्त से छीन न लिया गया हो, तो सदा उसे उपलब्ध रहेगा। यदि न्यायालय अभियुक्त के खिलाफ़ दी गई गवाही से संतुष्ट नहीं, तो निश्चय ही अभियुक्त को शंकालाभ दिया जायगा। मुझे श्री बसु के तर्क को सुनकर आश्चर्य हुआ। इस खंड में जो भाषा दी हुई है कि जब तक विपरीत बात सिद्ध न कर दी जायेगी तब तक अभियुक्त को ही दोषी समझा जायेगा, तो इसका अभिप्राय यह नहीं कि न्यायालय अभियुक्त को शंकालाभ पर नहीं छोड़ सकते। उनको यह कहने का अधिकार है कि चूंकि दोष पूरी तरह प्रमाणित नहीं हो सका है, इसलिये अभियुक्त को शंकालाभ दिया जाता है। इसलिये मेरा कहना है कि यह विधेयक उस विधेयक के परिणामस्वरूप लाया गया है जिसे हम पारित कर चुके हैं और इसका समर्थन किया जाना चाहिये।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तूड़) : एक साधारण व्यक्ति के रूप में बोलते हुए मैं यह अनुभव करता हूं और हम में से बहुत से लोग, जिनका घूस वालों से वास्ता पड़ा है, यह अनुभव करते हैं कि धारा १६५-क से वह काम नहीं बनेगा जिसके लिए इसको रखा गया है। हर व्यक्ति घूस देने वाले से

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

उतनी घृणा करता है जितनी घूस लेने वाले से । परन्तु आजकल स्थिति ऐसी है कि जो कोई व्यक्ति अपना काम सरकारी अधिकारियों से करवाना चाहता है उसे घूस ज़बरदस्ती देनी ही होती है । वह घूस देता है और अपना काम करवाता है, परन्तु घूस देने से घृणा उसको भी है । यदि आप घूस देने वाले को कुछ संरक्षण देंगे और उसको दंडित न करेंगे तो सरकारी कर्मचारियों के ख़िलाफ़ हर साल हज़ारों मामलों की रिपोर्ट आपके पास आया करेगी । घूस देने वाला ही तो एक ऐसा व्यक्ति है जो असली गवाही दे सकता है । यदि आप उसको धमकी देंगे तो आप केवल घूस लेने वाले के हाथों को ही मज़बूत करेंगे । पता नहीं श्री वेंकटारमन किस तरह यह कह रहे थे कि हमारे यहां कोई सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट नहीं है । हम तो यह देखते हैं कि भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, बल्कि जहां पहले नहीं था वहां भी अब फैल गया है ।

१६५-क में हम यह उपबन्ध कर रहे हैं कि "ज्योंही यह सिद्ध हो जाये कि अभियुक्त ने कोई वस्तु दी है या देने का प्रयत्न किया है या यदि इसके विपरीत सिद्ध न किया जाये कि उसने कोई वस्तु दी है या देने का प्रयत्न किया है तो उसे अपराधी माना जायगा । मैं पूछता हूं कि इस उपबन्ध के बाद, आपको घूस लेने वाले के विरुद्ध गवाही कैसे मिलेगी ? जो कुछ भी सूचना मिल सकती है वह घूस देने वाले से ही मिल सकती है और उसे ही आप दबा रहे हैं । घूस देने वाले को अभियुक्त न बनाइये । इस से घूस लेने वाले के ख़िलाफ़ जो कुछ गवाही मिलेगी, वह भी न मिल सकेगी । मैं चाहता हूं कि इस बात का विधेयक में उपबन्ध किया जाये ।

दूसरी बात मैं नई धारा यानी धारा ५-क के बारे में कहना चाहता हूं । इसमें हमने उपबन्ध किया है कि भारतीय दंड विधान की धारा १६१, धारा १६५ या धारा १६५-क अथवा इस अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दंडनीय अपराध के बारे में कलकत्ता और मद्रास में पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर के दर्जे से कम तथा अन्य स्थानों में सुपरिंटेंडेंट तथा डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट के दर्जे से कम दर्जे वाला पुलिस अधिकारी जांच-पड़ताल नहीं कर सकता । परन्तु वास्तव में होता यह है कि सब-इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर मामलों की जांच करते हैं । इस बारे में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं जिसके आधार पर उस व्यक्ति को संरक्षण दिया जा सके जिसके मामले की जांच सब-इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर ने की हो । एक उपबन्ध यह तो है कि उक्त अधिकारियों से नीचे दर्जे के अधिकारियों द्वारा जांच नहीं होनी चाहिये। परन्तु जब इसका पालन नहीं किया जाता तो इसके लिये उस व्यक्ति को क्या संरक्षण दिया गया है जिसके मामले की जांच डिप्टी सुपरिंटेंडेंट या सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर के दर्जे से कम दर्जे वाले अधिकारियों ने की हो । इसके बारे में कोई ऐसा उपबन्ध नहीं जिसके अनुसार ऐसी जांच को अवैध ठहराया जाये या जिसके ऊपर विचार करना अस्वीकार कर दिया जाये । अतः मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इस विषय में छान बीन करें और विधेयक में उक्त आशय का उपबन्ध करें ।

पंडित डी० एन० तिवारी (सारन दक्षिण) : मैं क़ानून की बारीकियों में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक लेमैन के तरीक़े से क़ानूनों के ज़रिये क्या होता है और लोग क़ानूनों के ज़रिये कैसे शिकार बनाये जाते हैं उसके दो चार उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । हम लोगों के यहां कहावत है कि, "मर्ज़ बढ़ता गया जैसे

जैसे दवा की" किसी बीमारी की दवा कीजिये और वह रोग बढ़ता ही जाय तो हमको सोचना पड़ेगा कि दवा में दोष है या वैद्य में दोष है या और कहीं दोष है। वैसे ही हम लोग जितना ज़ोर देते रहे कि करप्शन (भ्रष्टाचार) बंद करो, घूसखोरी बन्द करो, राष्ट्रीय सरकार हो गई है, नौकरान हमारे हैं और उनको राष्ट्रीय हित की दृष्टि से सब काम करना चाहिये, उतनी ही उन में घूसखोरी बढ़ती गई। घूस देने वाले को जबरन मजबूरी से घूस देनी पड़ती है। अभी हमारे वेंकटारमन जी ने कहा कि सब राष्ट्रीय नौकर हैं और उन में घूस लेन की प्रवृत्ति कम हो गई है, मैं उसको नहीं मानता हूं, बल्कि बात उलटी हो गयी है। अब वे समझते हैं कि हम सब राष्ट्रीय हो गये हैं और राष्ट्र का धन जिस तरह से भी हो हम को मिल जाय तो कोई बात नहीं। आप कानून बनाइये, आप क़ानून सख़त से सख़त बनाइये और जितनी सज़ा घूस देने वालों को देनी हो, दीजिये, इस में किसी को एतराज़ नहीं है, लेकिन आप को देखना होगा कि दर असल घस देने वाला अपने मन से घूस देता है, नफा के लिये देता है, या ज़बरन अपने को बचान के लिये, अपने को झंझटों से बचाने के लिये, उसको घूस देने के लिये बाध्य किया जाता है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। बिहार में ज़िला बोर्डस हैं और वहां पर पक्की सड़कों पर बैलगाड़ियां चलाना मना है। जो पक्की सड़कें हैं उन पर बैलगाड़ी चलाना मना है। उस के लिए चपरासी रखे गये हैं कि वे देखें कि बैलगाड़ी न चलने पावे। लेकिन होता क्या है ? जितनी बैलगाड़ियां है, या यों कहिये कि जितने होशियार गाड़ीवान हैं, चालाक गाड़ीवान हैं, उन सबकी गाड़ियां सड़क के ऊपर चलती हैं और कभी भी उन पर केस नहीं होता। जो कम अक्ल वाले गाड़ीवान हैं और जो सड़क के नीचे गाड़ियां चलाते हैं उन पर केस चलते हैं और फिर बाध्य होकर उन को भी पैसा देकर सड़क के ऊपर गाड़ी चलानी पड़ती है जिससे कि केस न चले और पैसा ज़बरदस्ती इस प्रकार उनसे लिया जाता है। इस प्रकार के केस होते हैं।

कचहरियों में क्या होता है ? हमारा केस है, हमको नक़ल लेनी है। उस के लिये एक दिन के बदले तीन दिन लगाये जाते हैं, इसलिये कि हम पैसा दे दें। तो बाध्य होकर हम को पैसा देना पड़ता है, इसलिये नहीं कि हम को खुशी है कि हम जाकर दो चार रुपये दे दें, बल्कि इसलिये कि न दें तो न काम हो और दे दें तो काम हो जाय। हमको मजबूरी से देना पड़ता है जिस से कि हमको झंझट में न डाला जाय, उस में देर न की जाय और हमारा काम सुगमता से हो जाय। इसलिये हमको बाध्य होकर घूस देनी पड़ती है। और अगर न दें तो एक दिन के काम में सात दिन लगा दिये जाते हैं, अतः बाध्य होकर रुपये देकर हमें काम कराना पड़ता है। मुझे मालूम है कि एक बड़े अफ़सर, डी० आई० जी० पुलिस के रैंक के अफ़सर ने एक केस में चालीस हज़ार रुपये लेने की बात की थी। जिन से वह रुपया मांगा गया मैं उन्हें जानता हूं। वह मेरे यहां घबराते हुए आये और कहा कि कोई उपाय कीजिये कि यह पकड़ा जाय नहीं तो मुझे तो देना ही है। मैं नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं अपने प्राविंशियल कांग्रेस कमेटी के हैड के यहां गया कि साहब इसका कोई उपाय हो सकता है तो कीजिये। उन्होंने कहा कि कोई उपाय नहीं हो सकता है। उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है।

मैं आपके सामने जो बात रखना चाहता हूं वह यह है कि इस क़ानून को बनाकर छोटे छोटे लोगों को आप तंग करा सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े सेठ जो घस देने वाले हैं, उनको कोई नहीं पकड़ सकता है। उनका घूस देने का तरीक़ा दूसरा है। वह कभी भी

[पंडित डी० एन० तिवारी]

ऐसे घूस देने नहीं जाते जिस में वह पकड़े जा सकें । और वह खुद जाते ही नहीं हैं, उन के नौकर जाते हैं, उन का मैनेजर जाता है और वह कोई बाहर पबलिक में घूस नहीं देते हैं । कहीं सफर में, रेलगाड़ी में, कहीं हटकर या किसी तरह उन के घर पर वह चीज़ चली जाती है । छोटे छोटे लोग पकड़े जाते हैं, वह कहीं अपने काम कराने के लिये अपनी जेब से निकाल कर दस बीस पचास रुपये देते हैं और वह पकड़ लिये जाते हैं । उन पर केस चलते हैं । पहले दिन माननीय मंत्री ने कहा ही था कि एक रेलवे वाले ने पचीस या पचास हज़ार रुपये बनाये थे, वैगन्स की सप्लाई में । वह रुपये उसने इसलिये नहीं बनाये कि लोग उसे देना चाहते थे, बल्कि इसलिये बनाये कि लोगों को अपनी चीज़ भेजने की ग़रज़ थी और वह एक दूसरे को बिड करा कर रुपया बनाता था । उसने एक सिलसिले से गाड़ी नहीं दी बल्कि बिड कराकर ज्यादा से ज्यादा रुपया लेने को कोशिश की थी ।

डा० काटजू : उस मुकदमे में एसा कोई सवाल बिड वगैरह का नहीं था ।

पंडित डी० एन० तिवारी : उस मुकदमे में ऐसा न हो यह दूसरी बात है, लेकिन होता ऐसा ही है । वह सिलसिलेवार गाड़ी नहीं देता था बल्कि एक दूसरे को बिड कराकर ज्यादा से ज्यादा रुपया लेने की कोशिश करता । व्यापारी नहीं चाहता कि रुपया दे, लेकिन मुश्किल यह है कि नहीं दे तो उस की चीज़ स्टेशन पर पड़ी सड़ जाय । उनका हज़ारों का नुक़सान होता है तो सौ दो सौ रुपया दे देते हैं ।

जब तक आप लोगों की सुविधा की बात नहीं कीजियेगा यह घूस बन्द नहीं हो सकती । जिस महकमे में सुविधा नहीं है वहां घूस ज्यादा है । पोस्ट आफ़िस के महकमे में घूस क्यों अधिक नहीं चलती ? क्योंकि लोगों को सुविधा है, इस वास्ते घूस नहीं चलती । जहां लोगों को असुविधा हैं उस असुविधा को हटाने की आप कोशिश कीजिये । अगर उस असुविधा को हटाने की आप कोशिश नहीं करेंगे तो अगर आप चाहें कि क़ानून से घूस देना बन्द हो जाय, यह असंभव है । घूस लेने वाले मुंह बाये हुए हैं, यह हम सब जानते हैं । हां, घूस कैसे रुके, इसको अवश्य हमें सोचना है । इस सिलसिले में मैं ने कई रिपोर्टें देखीं कि कहीं ऐसी बात है कि कोई ऐसी कोशिश की गई हो कि जिस से घूस रुके, केवल क़ानून बनाने से घूस नहीं रुकती । इस बारे में कोई जांच हुई या नहीं यह हम ने देखा तो हम को दो उदाहरण मिले । एक उदाहरण मिला सन् १९०२ या १९०३ का । उस वक्त एक पुलिस कमीशन बिठाया गया था और उस में ज़िक्र है कि जब तक पुलिस दुरुस्त नहीं होती है उस वक्त तक घूस लेना देना बन्द नहीं हो सकता । यदि आपकी पुलिस दुरुस्त हो जाय तो सारे डिपार्टमेंट में एक दिन में घूस खोरी बन्द हो सकती है । आपका हथियार आप के हाथ पैर, सब पुलिस है । जिस तरह से भी हो पुलिस डिपार्टमेंट को, एक डिपार्टमेंट को आप सुधार दें तो दूसरे डिपार्टमेंट में घूस लेना देना सब बन्द हो सकता है । कोई भी मामला हो, इंक्वारी (जांच) के लिये वह पुलिस के पास जाता है । चाहे छोटा अफ़सर हो या बड़ा अफ़सर यदि वह करप्ट है तो आपका काम नहीं चल सकता ।

फिर दूसरा उदाहरण मैंने देखा सन् १९३८ में फ्रंटियर में जब हमारे खां साहब वहां के चीफ़ मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक एलान किया था कि जिस को भी कम्प्लेंट करना हो, अमुक दिन को अमुक जगह आकर कम्प्लेंट करे, पबलिक्ली और कम्प्लेंट करने वाले को यह राहत थी कि उस पर कोई

मुकद्दमा न चले । लोग जाते थे और अपनी अपनी बातें, आफ़िशियल करप्शन की, सब बातें उनको कहते थे । उस की इंक्वारी होती थी या नहीं या क्या होता था यह मैं नहीं कह सकता । लेकिन एक तरीक़ा उन्होंने अख्तियार किया था, करप्शन को दूर करने का । तो मैं आप से कहूंगा कि आप क़ानून बनाइये, सज़ा दो वर्ष, चार वर्ष, दस वर्ष या बीस वर्ष कर दीजिये । लेकिन हम लोगों का जो अनुभव है उस से हम यही जानते हैं कि घूस देने में बड़े बड़े आदमी मुश्किल से ही पकड़े जाते हैं और अगर पकड़े भी गये तो बीसियों इनफ्लूऐंसेज़ काम करते हैं जिन की वजह से मुकद्दमे चल नहीं पाते ।

५ म० प०

आप इसको क़ानून बना दीजिये, मैं उसका विरोध नहीं करता, लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि आप का जो मक़सद है करप्शन रोकने का और घूसखोरी एक दम बन्द करने का, वह पूरा होता है या नहीं । मैं आपको बतलाऊं कि आज सर्विसेज़ इतनी करप्ट हो गई हैं कि वह ज़बरदस्ती किसी न किसी प्रकार घूस लेने का प्रबन्ध कर ही लेती हैं और हम दिन पर दिन गिरते ही जा रहे हैं । और यह समझ बैठना कि हमारी सर्विसेज़ अच्छी होती जा रही हैं, फूल्स पैराडाइस में रहना है ।

सभापति महोदय : शांति, शांति । मैं आनरेबुल मैम्बर को बीच में रोकना नहीं चाहता, लेकिन वह खुद ही फ़रमाते हैं कि उन्हें बिल पर कुछ नहीं कहना है । इस समय हाउस के सामने यह बिल सिलेक्ट कमेटी से वापस होकर आया है और इस लिये सिर्फ़ इस बिल के ऊपर ही इस समय बहस हो सकती है । जो आम मज़मून है, कि किस प्रकार से रिश्वतखोरी और करप्शन को रोका जाय, उस के ऊपर आनरेबुल मेम्बर ने बहुत कुछ फरमा दिया है । अब अगर आनरेबुल मेम्बर अपनी तक़रीर को जारी रखना चाहें तो वह कृपया इस बिल के ऊपर कुछ कहें ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं तो इस कानून को बनाने का जो असली मक़सद है उस के बारे में कह रहा था । यह क़ानून हम केवल क़ानून की किताब में रखने के लिये नहीं बना रहे हैं, इस क़ानून के बनाने का हमारा एक खास मक़सद है और वह यह है कि इस क़ानून के ज़रिये हमारे देश में घूसखोरी रुक जाय और रिश्वत लेना और देना दोनों बन्द हो जायें और मैं वह मक़सद कैसे सिद्ध होगा इस पर बोल रहा था ।

सभापति महोदय : वह तो आपने फ़रमा दिया, अब आप इस बिल के ऊपर फ़रमायें कि उस बिल का क्या असर है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : श्रीमान्, मैं तो एक लेमैन हूं, कोई वकील नहीं जो मैं बिल के लीगल इम्पलीकेशन्स में जाऊं और बतलाऊं कि इस बिल पर क्या असर पड़ता है । लेमैन की हैसियत से मैं बिल की जो दफ़ा तीन है उसी पर तो बोल रहा हूं कि उसमें जो आपका मक़सद है वह कामयाब नहीं होगा क्योंकि जब तक आप उस धारा में यह न साफ़ कर दें कि जो किसी कारणवश जबरन घूस देता है उस पर मुकदमा न चले, तब तक उन बेचारे मामूली आदमियों को जो घूस देने पर मजबूर होते हैं, बड़ी तक़लीफ और दिक्कत का सामना करना पड़ेगा । आज हमारी सर्विसेज में काफ़ी करप्शन मौजूद है, और जैसा कि कुछ लोगों की यह धारणा है कि हमारी सर्विसेज स्वराज्य प्राप्ति के बाद से अच्छी होती चली जा रही हैं और हमारे देश का नैतिक स्तर ऊंचा होता चला जा रहा है, मैं इससे सहमत नहीं हूं बल्कि मेरी समझ में तो ठीक इसका उलटा होता जा रहा है । इसलिये मुझे इस बिल के संबंध में यह कहना है और होम मिनिस्टर

[पंडित डी० एन० तिवारी]

साहब से इतना अर्ज़ करना है कि वे मेहरबानी करके इस कानून में ऐसा सेफगार्ड रक्खें जिस से ऐसे गरीब लोगों की, जिनको जबरन घूस देना पड़ती है, रक्षा हो सके और वह सताये न जा सकें । बस मुझे इतना ही अर्ज़ करना है ।

श्री यू० एस० दुबे (जिला बस्ती—उत्तर) : श्रीमान्, मैं इस विधेयक के सिद्धांत का समर्थन करना चाहता हूं । प्रस्तुत विधेयक के विरोध में कुछ सज्जनों द्वारा यह कहा गया है कि किसी आरोप लगाये गये व्यक्ति पर अपनी निर्दोषता सिद्ध करने का भार रखना विधि के सामान्य सिद्धांतों के अनुकूल नहीं होगा । परन्तु, मुझे यह कहना है कि यदि आप समाज में प्रचलित ऐसी बुराइयों को निकाल फेंकना चाहते हैं तो आपको ऐसे विशिष्ट उपाय करने ही होंगे । उत्तर प्रदेश के उत्पादन-शुल्क अधिनियम में भी ऐसे ही उपबन्ध हैं । जब आप यह मान चुके हैं कि रिश्वत देने वाला भी उतना ही दोषी है जितना कि रिश्वत लेने वाला, तब आपको यह भी स्वीकार करना चाहिये कि अपनी निर्दोषता सिद्ध करने का काम रिश्वत देने वाले का भी होना चाहिये ।

मैं मानता हूं कि यह उपाय भी पर्याप्त नहीं है, फिर भी भ्रष्टाचार को दूर करने में यह सहायक अवश्य होगा । कुछ व्यक्तियों द्वारा यह कहा गया है कि लोगों को तो रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जाता हैं । कभी कभी सरकारी कर्मचारी लोगों पर अनुचित दबाव डालते हैं और उनसे पैसा ऐंठते हैं । ऐसी कार्यवाही के लिये भारतीय दंड विधान में पहले से ही अलग उपबन्ध मौजूद है । परन्तु इस विधेयक का आधार तो बिल्कुल सादा सा है—रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों ही दोषी हैं । और फिर दंड विधि संशोधन अधिनियम में अलग उपबन्ध हैं जिनके द्वारा आप उन व्यक्तियों को, जिन्होंने कुछ रुपये रिश्वत के साथ में दिये हों, क्षमा कर सकते हैं, और उस प्रकार वे बच सकते हैं, मैं नहीं समझता कि इस विधेयक के पारित हो जाने से हमारा कोई और सिद्धांत भंग होगा । अतः मैं इसका समर्थन करता हूं ।

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : इस विधेयक का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट तथा संक्षिप्त है । बख्शी टेकचन्द समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि रिश्वत दिया जाना भी मूल अपराध बना दिया जाना चाहिये । संसद् ने समिति की उक्त सिफारिश को स्वीकार कर लिया है तथा रिश्वत दिया जाना मूल अपराध बना दिया गया है ।

वर्तमान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा ४ में यह उपबन्ध है कि यदि रिश्वत लेने वाले ने किसी से कोई ऐसी चीज़ स्वीकार की है जो उसकी हैसियत के प्रतिकूल है तो न्यायालय यह समझ लेगा कि यह चीज रिश्वत के रूप में ली गई है । अब यही उपबन्ध रिश्वत देने वालों पर भी लागू होना चाहिये । यदि कोई व्यक्ति एक हीरे का हार लेकर किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी के पास जाता है जो केवल ३०० रुपये प्रति मास प्राप्त कर रहा हो—और स्थिति यह हो कि उस भेंट का औचित्य से कोई सम्बन्ध न हो—तो, उस दशा में, न्यायालय प्रमाण के रूप में यह समझ लेगा कि यह हार रिश्वत दिये जाने के लिए अभिप्रेत था । संशोधक विधेयक में केवल इस उपबन्ध के निविष्ट किये जाने की व्यवस्था है ।

मेरे माननीय मित्र ने एक पुस्तक में से कुछ उद्धरण दिये हैं । यह पुस्तक कौन सी है ? यह है दण्ड विधान के प्रारूप के निर्माताओं की मूल रिपोर्ट । 'ड विधान के नहीं, बल्कि दण्ड विधान के प्रारूप के जो

मैकोले द्वारा जबकि वह ३५ वर्ष का था—तैयार किया गया था। उसने एक दंड विधान का प्रारूप तैयार किया था जिसमें २५ वर्ष बाद परिवर्तन किये गये थे—उसे काफी संशोधित किया गया था—और फिर कहीं वह हमारा दण्ड विधान बनाया गया था। तो उन्होंने उस प्रारूप के निर्माताओं की रिपोर्ट में से कुछ उद्धरण दिये। यह पुस्तक सन् १८३७ में छापी गई थी। यह उस समय की बात है जब महारानी विक्टोरिया ने १९ वर्ष की अवस्था में इंग्लैण्ड का राजसिंहासन संभाला था। अब इन ११५ वर्षों में तो न जाने क्या क्या बातें हो गई हैं। देश का संविधान ही बदल गया है। उस समय तो देश में ईस्ट इंडिया कम्पनी का शासन था।

एक माननीय सदस्य : परन्तु मानव प्रकृति तो नहीं बदल गई है।

डा० काटजू : मानव प्रकृति वैसी ही रहती है; यह मैं जानता हूं। परन्तु इससे हमें कोई विशेष मतलब नहीं है।

लोगों से—उन पर अनुचित दबाव डाल कर—रुपया ऐंठने की प्रवृत्ति बराबर जारी रही है, परन्तु यह भी याद रखिये कि लोगों को पथभ्रष्ट करने का कार्य बड़े पैमाने पर पुलिस राज्य के लोकहितकारी राज्य बन जाने के बाद ही शुरू हुआ है। दो-दो, चार-चार रुपये की छोटी-छोटी राशि रिश्वत के रूप में देने वालों के बारे में तो मुझे इतनी चिंता नहीं है जितनी कि ऐसे लोगों के बारे में जो दस-दस हजार या बीस-बीस हजार की लम्बी-लम्बी रकमें रिश्वत में देते हैं। हो सकता है, जैसा कि मेरे एक माननीय मित्र ने भी कहा, वे पकड़ाई में न आ सकें। एक वकील होने के नाते मैं यह जानता हूं। कभी-कभी रिश्वत देने वालों को पकड़ना टेढ़ी खीर भी हो जाता है, परन्तु यही खतरा है जिसका हमें सामना करना है। तो यह विधान विशेष रूप से उन व्यक्तियों को तथा उन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है।

हमें ऐसे रिश्वत देने वालों से अधिक सहानुभूति नहीं दिखलानी चाहिये। वे रिश्वत लेने वालों के विरुद्ध कभी गवाही नहीं देंगे क्योंकि उनका काम कोई एक ही व्यक्ति को भ्रष्ट करने का थोड़ा ही होता है—वे तो एक-एक कर के विभाग के सभी कर्मचारियों को भ्रष्ट करते हैं। यदि वे किसी एक के विरुद्ध गवाही दे दें कि उन्होंने किसी को रिश्वत दी है तो इसका परिणाम यह होगा कि एक पदाधिकारी को दंडित करवा कर फिर वे किसी और को रिश्वत नहीं दे सकेंगे और उनका कारबार ठप हो जायेगा। मैं इन सब बातों की यहां चर्चा नहीं करना चाहता।

इस चर्चा में एक बात की उपेक्षा की गई है—उसी की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। मान लीजिये सरकार या पुलिस सुपरिंटेंडेंट या जिला मजिस्ट्रेट किसी के विरुद्ध अभियोग चलाता है। तो आप को यह मानना चाहिये कि उन में कुछ तो सामान्य बुद्धि है ही। यदि उससे दबाव डाल कर रिश्वत ली गई होती, तो कौन ऐसा मूर्ख होता कि उस पर मुकदमा चलाता और रिश्वत देने वाले को गवाह के रूप में पेश करता। उस पर मुकदमा तो केवल उसी दशा में चलाया जाता है जब कि वह खुद लोगों को रिश्वत दे कर बिगाड़ता है। ऐसी रिश्वत देने वाले लोग बहुत बड़े-बड़े होते हैं। मामूली रिश्वत देने वालों पर तो कोई मुकदमा नहीं चलाने जा रहा है। इस विषय पर हम काफी चर्चा कर चुके हैं, अतः मैं सदन का समय इस पर नष्ट नहीं करूंगा।

इस विधेयक का उद्देश्य बहुत सीधा-सादा है, अर्थात् यह कि रिश्वत लेने वालों पर लागू विधि-नियम या साक्ष्य-नियम अब रिश्वत देने वालों पर भी लागू किया जाये।

[डा० काटजू]

इसके अलावा एक नया अपराध भी घोषित कर दिया गया है—सदन जानता है कि सन् १९४७ में भ्रष्ट पदाधिकारियों को सजा देने के लिए एक नया अपराध बनाया गया था। उसके अन्तर्गत, यदि किसी व्यक्ति पर उसकी हैसियत से अधिक सम्पत्ति या धन हो तो उसके बारे में यह समझ लिया जाता है कि यह सम्पत्ति या धन अवैध रूप से प्राप्त किया गया है और उस व्यक्ति को दण्ड दिया जा सकता है। एक उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि यदि कोई व्यक्ति दण्डनीय दुराचार का अपराधी है तो उसके विरुद्ध दण्डनीय विश्वासघात के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इस निर्णय को ठीक नहीं समझा गया है। अतः एक संशोधन तो उस स्थिति को ठीक करने के लिए है। दूसरे संशोधन इस विषय में हैं कि इन दण्डनीय भ्रष्टाचार के मामलों में कौन जांच करेगा। मूल अधिनियम में तो यह उपबन्ध है कि जांच ज्येष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाये, जो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस के दर्जे के हों। भिन्न-भिन्न राज्यों में इस दर्जे के अधिकारियों को भिन्न-भिन्न नामों से पुकारा जाता है। अतएव हमने उसकी व्यवस्था की है।

इस विधेयक में और कुछ नहीं है। अतः मैं सम्मान पूर्वक यह अनुरोध करूंगा कि मेरे इस स्पष्टीकरण के बाद सदन को इस विधेयक को पारित करने में अधिक समय नहीं लेना चाहिये। १०-२० मिनट के अन्दर ही इसे पारित कर के निबटा दिया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि:

"भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम को अग्रेतर संशोधित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड ३—(धारा ४ आदि का संशोधन)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य श्री पी० टी० चाको ने एक संशोधन की सूचना दी है। यह संशोधन नियमानुकूल नहीं है क्योंकि इसके द्वारा सम्पूर्ण खंड को ही रद्द करने की अपेक्षा की गई है।

श्री पी० टी० चाको : यदि संशोधन नियमानुकूल नहीं भी है, तो भी मुझे खंड का विरोध करने का तो हक्क है ही।

सभापति महोदय : यह तो दूसरी बात है। पहले मैं इस खंड ३ के संशोधनों को ही ले रहा हूं। यदि इस पर कोई संशोधन न हों तो माननीय सदस्य इस पर बोल सकते हैं। परन्तु, मैं उन से कहूंगा कि कृपया वह पहले कही गई बातों को न दुहराएं।

श्री पी० टी० चाको: मैं जो बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं वह यह है कि भारतीय दण्ड विधान में ऐसे व्यक्तियों में जिन्हें रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जाता है और ऐसे व्यक्तियों में जो सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत स्वीकार करने के लिए विवश करते ह भेद रखा गया है। मेरे कुछ माननीय मित्र कह रहे थे कि हमारे दण्ड विधि संशोधन विधेयक में धारा १६५क को स्वीकार कर लेने मात्र से यह परिणाम निकलता है कि हम ने यह सिद्धान्त भी मान लिया है कि रिश्वत देने वालों को भी दण्ड मिलना चाहिये। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि ऐसा नहीं है। धारा १६५क के अन्तर्गत रिश्वत देने या देने का प्रयत्न करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दण्ड नहीं दिया जा सकता क्योंकि उस धारा में तो केवल धारा १६१ तथा १६५ के अन्तर्गत अपराध की प्रेरणा देने पर दण्ड दिये जाने की व्यवस्था है। धारा १६५क के पारित किये जाने के बाद भी हमने दो प्रकार के रश्वत

देने वालों के बीच भेद बनाये रखा है। धारा १६५क के अधीन—जैसी कि पहले भारतीय दण्ड विधान में भी व्यवस्था थी—केवल अपराध की प्रेरणा दंडनीय है। धारा १६५क के पारित किये जाने के पहले भी अपराध की प्रेरणा धारा ११६ तथा १०९ के अन्तर्गत दण्डनीय थी। धारा १६५ क के जरिये तो हमने इन दोनों को एक कर दिया है। विधि सम्बन्धी स्थिति तो यों ही त्यों रही है।

मैं समझता हूं कि सभी लोग यह स्वीकार करेंगे कि रिश्वत लेने वाला तो प्रत्येक दशा में अपराधी होता है, परन्तु रिश्वत देने वाला कभी कभी निर्दोष भी होता है। भारतीय दण्ड विधान में इन दो प्रकार के रिश्वत देने वाले व्यक्तियों में भेद रखा गया है। धारा १६५—क को पारित करते समय भी इसमें कोई फेरबदल नहीं की गई है। परन्तु, इस खंड ३ द्वारा क़ानून में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जा रहा है। इसका क्या प्रभाव होगा? इससे तो केवल रिश्वत लेने वालों का बचाव होगा, रिश्वत देने वालों का नहीं, चाहे उन्हें शिकार ही क्यों न बनाया गया हो। अतः मेरा निवेदन यह है कि सदन को इस खण्ड पर, इसके परिणामों को देखते हुये, पर्याप्त गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि:

"खण्ड ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड ४—(धारा ५ आदि का संशोधन)

श्री विभूति मिश्र (सारन व चम्पारन): एक लफ्ज़ होम मिनिस्टर साहब ने फ़रमाया है। उन्होंने कहा है...

सभापति महोदय: शान्ति, शान्ति। हम खंड ४ पर विचार कर रहे हैं। यह मंत्री महोदय से निवेदन करने का समय नहीं है। यदि आप खंड ४ पर बोलना चाहते हैं तो आपको अवसर दिया जायेगा।

श्री विभूति मिश्र: एक लफ्ज़ आनरेबुल होम मिनिस्टर साहब ने फ़रमाया है कि इसमें डी० एस० पी० जांच करेगा। मेरी प्रार्थना है कि इस में डी० एस० पी० जो पुराने हैं उन को न रखा जाये। वह लोग नीचे से उठ कर ऊपर आये हैं, सब इन्स्पेक्टर और इन्स्पैक्टर्स से डी० एस० पी० बन हैं, इस लिये उन की शुरू से ही घूस लेने देने की आदत पड़ी हुई है। मैं चाहता हूं कि इस में नये "इंडियन पुलिस सर्विस" के लोगों को जांच का काम दिया जाय; यह बड़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने के लोग डी० एस० पी० वग़ैरह बने हैं उन की आदत ख़राब पड़ गई है। जो वकील लोग हैं वह इस सम्बन्ध में काफ़ी जानते हैं कि क्या ख़राबी हुआ करती है। इस में इतना सुधार कर दिया जाय।

सभापति महोदय: शान्ति, शान्ति। खंड ४ का विषय तो बिल्कुल भिन्न है। उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्रश्न यह है कि:

"खंड ४ विधयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ४ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड ५—(नई धारा ५-क आदि का निवेश)

डा० काटजू: मेरा एक शाब्दिक संशोधन है, श्रीमान्।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ २, पंक्ति १६ में "the inspector" ("इंस्पैक्टर") के स्थान पर

[डा० काटजू]

"the police officer" ("पुलिस अधिकारी") आदिष्ट किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ६ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

नया खंड ७

सभापति महोदय : एक संशोधन एक नया खंड ७ जोड़े जाने के विषय में है ।

डा० काटजू : श्रीमान्, यह संशोधन अनियमित है ।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य का कुछ कहना है ?

श्री एम० एल० अग्रवाल (ज़िला पीलीभीत व ज़िला बरेली—पूर्व) : श्रीमान्, मैं समझता हूं कि यह नियमानुकूल है । मेरे विचार में यह धारा अभियुक्त के लिये लाभदायक है । क्योंकि धारा १६५-क...

सभापति महोदय : हमें यहां इस बात से मतलब नहीं है । आपत्ति तो यह की गई है कि संशोधक विधेयक धारा ७ से संगत नहीं है । अतएव माननीय सदस्य को संशोधन प्रस्तुत करने का हक्क नहीं है ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : मेरा निवेदन यह है कि नई धारा १६५-क दंड विधि (संशोधन) अधिनियम में संशोधन किये जाने के परिणामस्वरूप जोड़ी गई है । भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम में इस धारा का जोड़ा जाना आवश्यक है । इसी प्रकार यह खंड परिणामतः इस विधेयक में भी जोड़ा जाना चाहिये तथा मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्री को इस संशोधन को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी ।

डा० काटजू : मैं ने जो औचित्य प्रश्न उठाया है, उसके अधीन रहते हुये मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है । रिश्वत देने वाला हलफ़ से बयान दे । धारा १६५-क जोड़ दी जाये ।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री को कोई आपत्ति नहीं है । अतः माननीय सदस्य संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री एम० एल० अग्रवाल: मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ २ में, पंक्ति २८ के पश्चात्, निम्न जोड़ा जाय :

> *"7. Amendment of Section 7, Act II of 1947.*—In section 7 of the principal Act after the word and figures 'section 165' the words, figures and letter 'or section 165A' shall be inserted."

("७. **१९४७ का अधिनियम २, धारा ७ का संशोधन**—मूल अधि नयम की धारा ७ में 'धारा १६५' शब्द तथा अंकों के पश्चात् 'अथवा धारा १६५—क' शब्द, अंक तथा अक्षर निविष्ट किये जायेंगे।")

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नया खंड ७ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड १ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बना लिये गये ।

डा० काटजू : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

"विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

श्री **रघवय्या** (ओंगोल) : इस विधेयक के पारित होने से पहले मैं दो-तीन ऐसी बातों की चर्चा करना चाहता हूं जिनकी ओर किसी भी सदस्य ने निर्देश नहीं किया है । उस दिन मुझे "भ्रष्टाचार" नामक एक छोटी सी पुस्तिका पढ़ने का अवसर मिला था । इस पुस्तिका में बहुत से ऐसे मामलों की चर्चा की गई है जिनमें अभियुक्त छोड़ दिये गये हैं । प्राय: देखा जाता है कि रिश्वत लने वाले स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमैंट के साथ मिल जाते हैं और इस प्रकार वे छोड़ दिये जाते हैं । परन्तु, दुर्भाग्य की बात है कि न तो इस विधेयक में और न ही दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक में कोई ऐसा खंड रखा गया जिसमें रिश्वत लेने वालों के स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमैंट के साथ मिल जाने को रोकने के लिये उपबन्ध किया गया हो ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हम ने रिश्वत देना तो अपराध बना दिया है, परन्तु न तो मूल अधिनियम में और न ही इस संशोधक विधेयक में "रिश्वत" की परिभाषा की गई है । माननीय मंत्री ने अपने प्रारम्भिक भाषण में तथा वादविवाद के उत्तर में यह कहा था कि इस विधान के अन्तर्गत केवल वे व्यक्ति आयेंगे जो सैंकड़ों या हजारों रुपयों की रिश्वत देते हैं, वे व्यक्ति नहीं जो अपने छोटे छोटे कामों को कराने के लिये एक दो रुपये रिश्वत के रूप में देते हैं । इस समय तो यह बात कह दी गई; ठीक है । कठिनाई तो उस समय उपस्थित होगी जब ये उपबन्ध लागू होंगे । जब इसमें रिश्वत की कोई स्पष्ट परिभाषा ही नहीं है, तो उस दशा में चार आने से ले कर हज़ार रुपये तक की रिश्वत देने वाले सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है । इससे जनसाधारण, जो एक आध रुपया या चार-पांच आने देकर अपना काम कराते हैं, बड़ी मुसीबत में पड़ जायेंगे ।

मैं ने अभी जिस पुस्तिका का निर्देश किया उसमें कुछ करोड़ रुपये की रिश्वत के मामलों का उल्लेख है । इनमें से कुछ मामलों की चर्चा तो मैं अपने पहले भाषण में कर चुका हूं । एक और मामला है जिसमें मुक़दमा चलाने का आदेश तो दे दिया गया था, परन्तु उस आदेश का पालन नहीं हुआ । जब दशा ऐसी है तो जनता तथा सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे इस बात का प्रयत्न करें कि देश में भ्रष्टाचार न रहे। इसके लिये जनता तथा सरकार दोनों को ही क़दम उठाने हैं । मैं देखता हूं कि इस विधेयक में या इससे पहले पारित किये गये अधिनियम में जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये कोई उपबन्ध नहीं है । भ्रष्टाचार निरोधक समितियों जैसी सार्वजनिक संस्थाओं के सहयोग के लिये तो उपबन्ध किये ही जाने चाहिये थे । इस विषय में उनका सहयोग अत्यावश्यक है क्योंकि ये जनता की समितियां हैं और देश से भ्रष्टाचार दूर करने का काम विधान की अपेक्षा जनता की समितियां अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से कर सकती हैं ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को ज्ञात होना चाहिये कि यह विधेयक का तृतीय वाचन है । इस स्तर पर आकर विधेयक में सुधार करने के सुझाव देना निरर्थक होगा । या तो वह विधेयक का

[सभापति महोदय]

समर्थन करें या इसके अस्वीकृत किये जाने के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करें ।

श्री **रघवय्या** : मैं यह नहीं चाहता कि इस अवस्था पर विधेयक में कोई नये उपबन्ध सम्मिलित किये जायें, मैं तो केवल यह चाहता हूं कि इस विधान को लागू करते समय भ्रष्टाचार निरोधक समितियों तथा जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली अन्य असरकारी संस्थाओं को अधिक मान्यता दी जाये । इन संस्थाओं का मुख्य प्रयोजन भ्रष्टाचार दूर करना है । केवल स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमैंट तथा अन्य सरकारी सूत्रों पर ही निर्भर रहने की बजाय सरकार इन असरकारी संस्थाओं पर अधिक ज़ोर दे सकती है ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि वास्तव में यह बात निंदनीय है कि इस विधान के द्वारा रिश्वत लेने वाले को भी रिश्वत देने वाले के समान ही समझा जा रहा है । आख़िर, हमारे देश में अपढ़ और निरक्षर लोगों की संख्या शिक्षित जनसंख्या से बहुत अधिक है । ऐसे निरक्षर और अशिक्षित लोगों पर यह क़ानून लागू करना एक दुख की बात है । प्रशासन-व्यवस्था को सुधारने की बजाय हम बेचारे जनसाधारण को दंडनीय व्यक्तियों में शामिल करने जा रहे हैं । मैं तो इसे एक दुखद विषय ही कह सकता हूं ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं । सरकार का बराबर यही प्रयत्न रहा है कि उद्योगपतियों, भूस्वामियों और अन्य ऐसे व्यक्तियों का, जो भ्रष्टाचार करने के आदी हैं, तुष्टिकरण किया जाये । उसी दिन कुछ लोगों को बिक्री कर से मुक्त कर दिया गया । अब फिर उन्हें छोड़ा जा रहा है । मैं गृह मंत्री को बहुत से ऐसे मामले बता सकता हूं जिनमें अपराधों को छोड़ा गया । हम इन ग़रीब और अशिक्षित व्यक्तियों पर ही यह क़ानून लागू क्यों करे ? मेरी राय में तो इन अशिक्षित साधारण लोगों को इस विधेयक के उपबन्धों से मुक्त रखा जाय ।

डा० काटजू : अभी हमने जनसाधारण के पक्ष में बड़ा ज़ोरदार भाषण सुना । यदि जनसाधारण को रिश्वत देने के लिये विवश किया जाता है तब तो वह निस्सन्देह हमारी सहानुभूति का पात्र है, परन्तु यदि वह अपना कोई काम करवाने के लिये किसी को रिश्वत देता है तो ऐसी स्थिति में हम उसके प्रति उतनी सहानुभूति नहीं दर्शा सकते । रिश्वत लेने वालों और रिश्वत देने वालों पर सदन में गत दो सप्ताहों से वादविवाद चल रहा है । कभी-कभी मुझे सरकारी कर्मचारियों की सामान्य निन्दा सुन कर बड़ा दुख होता है । लोगों को उनकी चर्चा करना बड़ा अच्छा लगता है । यदि ऐसे लोग कोई विदेशी होते तब तो हम उन से नफ़रत करते; परन्तु वे तो हमारे इस सदन में ही मौजूद हैं । ये सब भ्रष्ट पदाधिकारी हमारे अपने सगे-सम्बन्धी तथा मित्र बन्धु ही हैं । रिश्वत लेने वालों की सामान्य रूप से निन्दा करने से कोई लाभ नहीं है । जब तक देश में ऐसे लोग मौजूद रहेंगे जो रिश्वत दे कर अपना काम कराना चाहते हैं, तब तक यह बुराई दूर नहीं की जा सकती—चाहे ऐसे लोग अमीर हों या गरीब । यह बात मैं कितनी ही बार कह चुका हूं । मजबूर करके रुपया लेने की बात तो छोड़िये; जनसाधारण के विषय में ही मैं एक उदाहरण देता हूं । मैं आपको इलाहाबाद की बात बतलाता हूं । वहां चीज़ों पर चुंगी लगती है । तथाकथित जनसाधारण प्रातः शहर में ककड़ी लाता है । उसे उस पर चुंगी देनी होती है । मान लीजिये उसे दो आने चुंगी के देने हैं । अब वह क्या करता है कि चुंगी क्लर्क को दो पैसे दे देता

है, एक ककड़ी पकड़ा देता है और अपना रास्ता लेता है । उस ने एक ककड़ी देकर चुंगी के छै पैसे बचा लिये । तो वह मूर्ख नहीं है । सामान्य निर्वाचन से हमने एक सबक़ लिया है कि जनसाधारण, जिसका कि मैं और आप यहां प्रतिनिधित्व करते हैं, बुद्धिमान है । साढ़े सत्तरह करोड़ मतदाताओं में से कोई सात करोड़ ने मतदान किया । ये सामान्य लोग लोक कल्याण की महत्वपूर्ण समस्याओं पर अपनी राय देने के योग्य हैं । सब बातों में तो उन्हें सामान्य बुद्धि प्राप्त है, परन्तु जब रिश्वत देने का सवाल सामने आता है तब आप यह कह देते हैं कि वे निर्दोष हैं और उन्हे माफ़ कर दिया जाना चाहिये—उनके विरुद्ध अभियोग नहीं चलाया जाना चाहिये । मैं रिश्वत देने वालों या रिश्वत लेने वालों के पक्ष में या विरोध में कोई बात नहीं कह रहा हूं । इस विषय में हमें सामान्य बुद्धि से काम लेना चाहिये । लोग तो कह देते हैं कि ऊपर से ले कर नीचे तक सभी सरकारी लोग भ्रष्ट हैं ।

इन बुराइयों के विरुद्ध जनमत संगठित किया जाना है । मान लीजिये किसी व्यक्ति का लड़का पुलिस विभाग में नौकर है और वह पहली बार रिश्वत लाता है । मान लीजिये वह एक हज़ार रुपये लाता है और अपने पिता या माता या स्त्री को दे देता है । तो ऐसे कितने पिता होंगे जो उससे यह कहेंगे : "मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता ; तूने हमारी इज्ज़त खाक में मिलादी; जा मेरे घर से निकल जा" ? बल्कि इसके विपरीत वह दिन तो कुटुम्ब में एक खुशी का दिन होगा । आज घर में १००० रुपये आये हैं । शायद स्त्री कहेगी : मैं एक नेकलेस (गले का हार) लूंगी । पिता कहेगा : मैं आज इस रुपये से अपना ऋण चुका दूंगा । यदि उक्त इंस्पैक्टर शादी योग्य आयु का होगा तो हर आदमी उससे अपनी लड़की का विवाह करना चाहेगा । यह हालत है जिस पर हमें बड़ी निष्पक्षता से विचार करना चाहिये ।

उदाहरणार्थ, एक साधारण व्यक्ति गांव के पटवारी पर जाता है और उसने खाते में एक इंदराज करने के लिये कहता है । पटवारी का वेतन १५ रुपये प्रति मास हुआ करता था, शायद महंगाई का भत्ता मिला कर अब ५० रुपये मिलते होंगे । तो वह, मान लीजिये, १५ रुपये लेने के लालच में आ जाता है ।

अतएव ईश्वर के लिये हम जनता की राय रिश्वत के विरुद्ध संगठित करें । मैं ने दूसरे सदन में कहा था : हमें रिश्वत देने वालों का तथा रिश्वत लेने वालों का एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिये । उनसे बिल्कुल सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये । उनके घर नहीं जाना चाहिये । उनके निमन्त्रण नहीं स्वीकार करने चाहियें । तो उस दशा में आप भ्रष्टाचार को समाप्त होते पायेंगे । यह कहने मात्र से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा कि देश में समस्त सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट हैं । अतएव हमें चाहिये कि इस विषय में तनिक विवेक से कार्य लें तथा इस बुराई को सही तरीक़े से दूर करें ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इसके पश्चात सदन की बैठक बुधवार ३० जुलाई १९५२ को सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।

GIPD—HS—528 PSD—22-7-53—285